



57th वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

Annual Report 2020-21

1965 - 2021



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

Cement Corporation of India Limited

(A Govt. of India Enterprise)

GLIMPSE OF CCI



TABLE OF CONTENTS

57th Annual Report 2020-21

Board of Directors	03
Chairman's Speech	06
Director's Report	08
Management Discussion & Analysis	30
Report on Corporate Governance	38
Secretarial Audit Report	40
Auditor's Report and Management's Replies	45
Annual Accounts 2020-21	57
Cash Flow Statement	59
C&AG's Comments	93
Our Employees -Our Greatest Assets	95
Salient Features of our Units	97



Cement Corporation of India Limited

(A Govt. of India Enterprise)

New Delhi

Audit Committee

Smt. Sukriti Likhi (Chairman)
Shri B.V.N. Prasad (Member)
Smt. Alka Tewari (Member)

Statutory Auditors

Principal Auditor
M/s. Mahalwala & Co
Chartered Accountants
E-97, LGF Greater kailsh-I
New Delhi-110048

Remuneration Committee

No Remuneration Committee

Branch Auditors

M/s Raipelly Ramesh & Co.
Chartered Accountants,
Adilabad-504001

M/s. Praveen Aggarwal Co.
Chartered Accountants,
New Delhi-110001

Registered Office

Cement Corporation of India Ltd.
Core 5, Scope Complex
7, Lodhi Road New Delhi-110003
CIN No. U74899DL1965GOI004322

M/s. SRP &Co.
Chartered Accountants,
Rohtak-124507

M/s. C. Venkat Krishna & Co.
Chartered Accountants,
Hyderabad-500034

Cost Auditor

M/s K G Goyal & Associates
Cost Accountants,
4A, Pocket2,
Mix Housing Scheme,
New Kondli, Mayur Vihar-III
New Delhi-110096

M/s. R Kumar Aggarwal & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-493118

M/s. Gupta Maskara & Associates
Chartered Accountants,
Guwahati-781001

M/s. Manilal Shah & Co,
Chartered Accountants,
Kalaburgi -585101

M/s. Pruthi & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-494334

M/s. Bandyopadhyaya Bhaumik & Co.,
Cost Accountants,
126-D, Satyen Roy Road
Kolkata-700034

M/s. PKR & Associates LLP,
Cost Accountants,
Plot No.80/A, Flat No.402
Western hills, Pragathi nagar Road,
Hyderabad, Telangana 500085

Bankers

State Bank of India
ICICI Bank
Bank of Baroda

BOARD OF DIRECTORS



Shri Sanjay Banga
Chairman & Managing Director



Shri R. P. Singh
Director (Finance)
{Additional Charge}



Smt. Nidhi Chhibber
Govt. Nominee Director,
Additional Secretary, MHI



Shri B. P. Satapathy
Govt. Nominee Director,
Deputy Secretary, MHI



**Dr. Ravindra
Shivshankar Arali**
Independent Director



Dr. Manju Baghel
Independent Director



Shri Ajay Kumar Sharma
Company Secretary

as on date of AGM

KEY FUNCTIONARIES



Smt. Alpana Shukla Rao
Chief Vigilance Officer



Shri. Saju S. Dominic
General Manager (HR)



Shri. B.M. Mahana
General Manager (T&O)



Shri. Vivek Kumar
General Manager (Tandur)




**Shri. Jogeshwar
Behera**
General Manager (Rajban)



Shri Sharad Kumar
General manager (Bokajan)



Shri Alok Shukla
Addl. GM (Mktg.)




Shri. M.K. Patra
Addl. GM (Fin.)




Shri. C B Jaggi
Addl. GM (HR)


पन्यावर्त / Turnover



निवल लाभ / Net Profit



सीमेंट उत्पादन / Cement Production



SPEECH OF THE CHAIRMAN AT THE 57TH ANNUAL GENERAL MEETING



Dear Shareholders,

I have the pleasure in welcoming you all on behalf of the Board of Directors to the 57th Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your august presence in this meeting goes on to underline your support and interest in the Company's endeavour; and I am thankful to everyone.

The Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2021 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

Performance Highlights

The Cement industry witnessed a de-growth of 10-12% due to the COVID-19 Pandemic. The COVID induced nationwide lockdown during the year 2020-21 has put a huge challenge for all manufacturing industries. However, due to measures taken by the Central and State Governments towards unlocking the economy, an encouraging trends were seen from the latter part of May, 2020. Since then, the industry has

been on a volume growth path driven mainly by the government's 'Housing for All by 2022' mission and large infrastructure projects. Government spending on infrastructure projects and affordable housing schemes such as the Pradhan Mantri Awas Yojana with enhanced budgetary allocations remain the primary drivers of growth for the cement industry.

Your company worked on its inherent strengths to mitigate the challenges. Your company was able to ramp up cement production sharply in May 2020, with the result that annual cement production reached 8.93 lac MT, registering a growth of 53 % over cement production of 5.84 lac MT recorded during FY 19-20. Similarly cement sales also increased from 5.74 lac MT to 8.95 lac MT, registering an increase of 56 %. The company earned a net profit of Rs. 13.15 Crores during the year 2020-21 as against a loss of Rs. 50.94 crore in the year 2019-20.

Quality Management

Your Company has Quality Management System in place for all the three operating plants at Tandur,

Rajban and Bokajan with ISO certification. Regular quality monitoring and control activities from raw material stage to product stage are being done in Company's own well equipped laboratories by qualified and trained personnel. Periodical training programs are conducted to instil the commitment towards quality among employees. Human Resource Development

In its continued commitment towards development of human resources and their skill development, in the year gone by, your company has organised various online sessions/trainings for its employees during the full tenure of the lockdown period.

CCI in view of the pandemic has introduced e-Office, so as to allow employees to work from home, effectively and efficiently, thus reducing costs for the company. Also, an online Performance management System has been introduced in CCI, thus making the APAR system fully automated and more proficient.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board and the policy is being implemented at the Corporation in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by the Government from time to time.

Corporate Governance

The Company believes that ethical and transparent business practices with all stakeholders of the company is key to adhering to the norms of Corporate Governance. Your company reiterates its

PLACE: New Delhi

DATE : 25th February, 2022

commitment to pursue the same. I feel elated to inform you that Independent External Monitors (IEM) has been appointed to oversee and resolve any grievance arising out of any tender floated by the company with value more than prescribed limit. I would like to draw your attention to the Directors' Report, where a separate section under Corporate Governance included.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspires in pursuing new endeavours for excellence and I, on behalf of Board of Directors of your Company, wish to place on record our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Ministry of Heavy Industries for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued support to the products of CCI.

I also acknowledge and feel grateful for the overwhelmed support of Government of India, State Governments, CAG, our Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & Member, Audit Board-II and all other Authorities and Agencies.

Last but not the least, I would convey my appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you all again, Jai Hind.

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN No. 09353339

DIRECTORS' REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 57th Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2021, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance for the year 2020-21 along with previous year's figures are given below:

Sl. No.	PARTICULARS	For the year ended 2020-21	For the year ended 2019-20
1	Net Income from Operation	414.59	249.33
2	Other Income	34.80	49.02
3	Total Expenses other than depreciation and interest	427.10	328.43
4	Exceptional Income/ (Expenses)	0.00	(13.21)
5	PBDIT	22.28	(43.29)
6	Less: Finance Cost	0.00	0.00
7	PBDT	22.28	(43.29)
8	Less: Depreciation	9.13	7.65
9	Profit/ (Loss) before Tax	13.15	(50.94)
10	Less: Income Tax	0.00	0.00
11	Net Profit after Tax	13.15	(50.94)

1.1 Corporation has earned a net profit of Rs. 13.15 crores during the year 2020-21 as against net loss of Rs. 50.94 crores during the previous year. The cement production during the year is 8.93 lakhs MT as against 5.85 lakhs MT during the previous year.

2. DIVIDEND

Company has accumulated losses. Accordingly, no dividend will be declared for the financial year 2020-21.

3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of

Business operations done during the year 2020-21:-

A. OPERATIONS

Performance of Operating Units –

The Capacity utilization of Cement (%), Clinker Production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of Cement (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

	BOKAJAN		RAJBAN		TANDUR		FOR OPERATING PLANTS ONLY	
	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20
Capacity Utilization of Cement (%)	52.53	44.00	59.68	39.30	64.14	40	61.78	40.4
Clinker Production (MT)	93965	74670	102150	100730	611650	317560	807765	492960
Cement Production (MT)	104005	87024	148000	97450	641356	400110	893361	584584
Dispatch (MT)	104879	86782	147690	97731	643897	392440	896466	576951

The status of projects are mentioned below:

a) Bokajan Expansion Project

A Work Order for expansion of Bokajan unit to 1200 TPD was placed at a cost of Rs. 142.4 crore and for setting up a Bokajan unit at Silchar for 50 TPH, vide Work Order No. 46/10/6(6)/10-MMO/196 dated 30.09.2010 on M/s Promac Engineering Industries Ltd. (Promac), Bangalore.

The total value of the project was Rs. 142.40 crore with a completion period of 18 months from the date of placement of letter of Intent i.e. 24.09.2010.

The project languished for about 7 years and could not be commissioned as envisioned in the contract.

Subsequently, M/s Promac invoked Arbitration vide letter No. CCI/Project/18/D-006 dated 3rd January, 2018. The Claimant, M/s Promac filed the statement of claim praying inter alia for Rs. 112 crore (approx.) and the Respondent CCI filed the statement of Defence and the Counter Claim for Rs. 924.84 crore (approx.)

On 06.03.2019, CCI terminated the Contract with M/s Promac, the arbitration proceeding are continuing with arbitral tribunal.

b) Silchar Grinding Unit

A Work Order No.47/10/6(7)/10-MMO/206 dated 30.09.2010 was issued to M/s Promac Engineering Industries Ltd. (Promac) for setting up of 50 TPH Cement Grinding Unit at Baikantpur (kalian) 40 Kms. from Silchar (Assam) on Turnkey Basis.

The total value of the Contract was Rs. 39.68 crore with a completion period of 12 months from the date of placement of Letter of Intent i.e. 24.09.2010.

On breach of contractual obligations, the Work Order was terminated by CCI.

M/s Promac vide letter No.HR/DIR/024/2019-20 dated 24.04.2019 invoked arbitration and filed the statement of Claim praying inter alia for Rs. 8.60 crore (approx.). CCI filed the statement of Defence and the Counter Claim for Rs. 5.30 crore (approx.).

The arbitration proceeding are continuing with arbitral tribunal.

c) Technological Up-Gradation at Tandur

High efficiency equipments of new technology are being procured to improve performance. These are aimed at reduction cost of Production while CCI is totally dependent on indigenous technology. Some new initiatives are:-

- Installation of VFD system in Cement Mill ESP fan, MFC, Blower, 4 Cooler fans. These have resulted in Power saving.
- Installation of two Solar Power Plant for 40 & 15 KW

NON-OPERATING UNITS:-

As per the order of Ministry of Labour & Employment, GOI, non-operating Units i.e. Mandhar, Kurkunta, Nayagaon, Akaltara, Charkhi dadri, and Delhi Grinding Units have been closed w.e.f. 31.10.2008. The Adilabad unit stands closed vide order dated 20.02.2017. Bhatinda Grinding Unit was uncommissioned.

Status of sale of Non-operating Units:

Nayagaon Unit: As per the directive of GOI, the strategic disinvestment process has been taken up for the Nayagaon Unit. Expression of Interest for sale of the Unit was published, however, as per IMG meeting held on 16.06.2021, it has been recommended that the case of Nayagaon Unit may be taken up with CGD for dropping the disinvestment of Nayagaon Unit from the list, considering the recent amendment in MMDR Act.

Land Data of Non-Operating Units :

Total Land area of Non-operating Units including CCI's Private Land, Govt Lease Land, Private Lease Land & other is as under:

S. No.	Unit	Free Hold	Lease Hold			Other	Total * (Acres)
			Govt.	Pvt.	Total		
1	Mandhar	656.06	290.54	0	290.54	39.34	985.94
2	Nayagaon	563.85	789.28	00	789.28	65.25	1418.38
3	Adilabad	772.85	36.33	1477.70	1514.03	0.00	2286.88
4	Akaltara	187.62	385.50	460.75	846.25	459.88	1493.75
5	Kurkunta	465.48	360.55	0.00	360.55	105.70	931.73
6	Charkhi dadri	205.03	0	0	0	0	205.03
7	Bhatinda	20.24	0	0	0	10.12	30.36
	Total	2871.13	1862.2	1938.45	3800.65	680.29	7352.07

* The actual area of land may vary as the same is subject to updation of land records and demarcation by Revenue Department of the respective State Governments as per the local Land Revenue laws.

B. PROFITABILITY

The company has earned a net profit of Rs. 13.15 Crores during the year 2020-21 as against the net loss of Rs. 50.94 crores in the previous year.

C. AN OVERVIEW

The financial year 2020-21 witnessed the first wave of Covid 19 induced lockdowns which led to contraction of Indian economy in first half of the Financial year. Covid 19 posed a formidable challenge to the economy and required a balance between live and livelihood. The second half of Financial year witnessed a subdued but positive growth in the cement sector.

Amidst the pandemic, cement consumption saw a strong growth in the rural markets as labour availability increased along with growth in construction of rural infrastructure and low cost housing. Central Government's scheme of "Housing for All by 2022" and large infrastructure projects provided impetus to regaining the cement demand. However overall the Indian cement production fell by about 11% due to lockdown in quarter 1 of financial year on YOY basis. All India cement production which was approx. 329 Million Tonnes during FY 2019-20 fell to 294.4 Million Tonnes during FY 2020-21 as almost the entire month of April 20 was under nationwide lockdown.


However CCI was able to resume cement production in the last week of April 2020 itself even after following Covid 19 related protocols and this speaks about the resolute nature of the management and the workforce.

D. SALES AND CAPACITY UTILIZATION


Your company was able to ramp up cement production sharply in May 2020, with the result that annual cement production reached 8.93 lac MT, registering a growth of 53 % over cement production of 5.84 lac MT recorded during FY 19-20. Similarly cement sales also increased from

5.74 lac MT to 8.95 lac MT, registering an increase of 56 %. The cement production and sale during the current financial year is the highest during the last five years. Monthly cement production and cement sale figures are given in the following table-

CCI Cement Production for F/Y 19-20 vs F/Y 20-21



CCI Sales for the F/Y 19-20 vs F/Y 20-21



Thus, both cement production and sale has been higher in every month of FY 20-21, except April over the corresponding month of FY 19-20. The capacity utilization for cement production increased to 60% in Financial year 20-21 as compared to 40% during last financial year.



Dealers Meet at Hyderabad Zonal office



Dealers Meet at Dehradun Zonal office

E. QUALITY

- Quality aspects are given almost importance in all the three operating units of CCI. Regular quality monitoring and control activities from raw material stage to product stage are being done in Company's own well equipped laboratories by qualified and trained personnel. Besides, cement samples are tested for complete physical & chemical parameters in reputed govt. laboratories such as NTH, NCB etc.
- The three Operating units are ISO -9001 certified. Tandur unit is SA: 8000 certified also.
- Rajban Unit is producing OPC-43 Gr. IS269:2015 and PPC IS:1489 Part-I-2015 as per BIS Standards.

4. CAPITAL STRUCTURE

The Corporation has not received any amount as equity from Government of India during the Financial year and company's share capital at the end of the year stood at Rs. 811.41 crore; consisting of paid up Equity share capital of Rs. 455.98 crores and paid up Non-cumulative redeemable preference shares of Rs. 355.43 crores.

5. HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

Cement Corporation of India Limited as a company feels immensely proud to be the only Cement Manufacturing Public Sector Undertaking of India, wholly owned by the Government of India. Being a company which has made a name for itself in the market since 50 years, it has grown astronomically by integrating innumerable progressive modifications, both in terms of products and satisfied customers.

COVID-19 has emerged as a global pandemic, which has posed a lot of challenges in the Indian Industry on different levels.

Only recently, the country was under lockdown due to pandemic conditions, but Cement Corporation of India Limited has emerged as a black horse during such tough times, working continuously and tirelessly so as to contribute their share of efforts into the nation building process.

As the nation continued to battle the coronavirus, numerous companies could not step back from their duties and required to keep running the show and CCI has been part of this nation building process ever since the onset of the pandemic.

CCI has achieved many accolades during this period due to sincere efforts of employees and their dedication towards work. CCI raising the bar, with its performance every year.

सी.सी.आई. प्रबंधन ने बांटा राशन



पांवटा साहिब : सी.सी.आई. प्रबंधन की टीम राशन वितरण करती हुई।
(संजय)

Food Distribution by Rajban Unit During Covid-19 Pandemic

6. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

CCIL lays utmost importance on the human resources as employees are the most valued asset of any organization. Manning the company with employees possessing a variety of skills, qualifications and competence. The Corporation is committed to develop human resources and provide them with greater opportunities linked to their contribution to the organization's objectives. CCIL has been making all efforts to ensure development of human competencies and welfare of its most important and valuable asset i.e. its employees.

The Industrial Relations remained peaceful throughout the year in all the units of the Corporation. Fruitful discussions and interactions are being conducted with the trade unions and employees at various forums which have



Inauguration of Children's Park by C&MD at Bokajan Unit



Celebration of Yoga Day at Bokajan Unit



A popular harvest festival BOHAG BIHU celebrated at CCI BOKAJAN UNIT



Cultural Programme Conducted by Mahila Samiti of Rajban Unit

significantly contributed towards governing redressal, resolving differences and improving industrial relations resulting into no mandays lost during the year.

7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

Human Resource Development and has made efforts and given thrust towards development and optimum utilization of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future.

CCI introduced e-Office, so as to allow employees to work from home, effectively and efficiently, thus reducing costs for the company. e-Office not only reduced the carbon footprint of the Company, but also strengthened the confidentiality aspect on various matters.

An online Performance management System has also been introduced in CCI, thus making the APAR system fully automated and more proficient.

CCI has grown immensely as a technology responsive company by designing SoP for Online Recruitment process using various electronic means, thus reaching out to the eligible candidates at a less cost, as compared to the physical recruitment process.

8. TRAINING AND DEVELOPMENT:

As part of Human Resource development, the

company has given utmost importance to the skill development of all level of employees. During the year, various online trainings were imparted to the employees to enhance their skills. The company has also nominated employees for external training on various subjects during the year. The employees are also nominated for several seminars and conferences on in their functional areas of working at different locations.

Senior officers of the company at all the operating units are exposed to training on the concept and implementation of Risk management techniques. Besides above, CCIL also conducts competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

CCI has organised various online sessions/trainings for its employees during the full tenure of the lockdown period, even ensuring active participation of its employees on holidays. Presentations by the Head of Departments/employees/ Industry experts were a significant part of the learning process during the period.

The prime focus of organising vigorous activities/sessions and various knowledge transfer interactions amongst the employees was to accomplish a positive growth in the production output of the Units.

In addition to above initiatives, CCIL continuously putting its efforts in creating pool of skilled manpower through engagement of

apprentices in the Corporation in a band of 2.5% to 15% of total workforce.

9. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION :

The Corporation continued its efforts for progressive use of official language in line with the Official Language Policy of the Govt. The Official Language Implementation Committee meeting takes place regularly and the Corporation also taken active part in the activities of Official Language Implementation Committee. Hindi Week / Fortnight is being celebrated to encourage and motivate the employees for more and more use of Hindi in their day-to-day official work. A discussion programme of the Drafting and Evidence Sub- Committee of the Committee of the Parliament on Official Language with the Cement Corporation of India Ltd. along with Chairman of Town Official Language Implementation Committees (TOLIC) also held on 18.11.2020. CCI always endeavor to

appreciate and encourage use of official language by organizing activities like Hindi Workshops, different types Competitions not only for its employees but also for the members of NARAKAS. Going forward with this commendable move, CCI has organized Rajbhasha Sammelan with four other PSUs such as POSCO, NRDC, NBCFC, Central Cottage Industries on 15 March 2021.

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, it has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level. Previously, as a part of its Corporate Social Responsibility initiative, in 2019-20 CCI has contributed to the PM CARES Fund. Also, all employees of CCI contributed one day salary to the PM CARES Fund.



Health Camp at Bokajan Unit



Tree Plantation at Rajban Unit



Tree Plantation at Tandur Unit

11. WELFARE OF WOMEN:

The Company is fully sensitive and conscious of its social responsibility for welfare of women. All statutory and other benefits are being extended to the women employees working at various Units/Offices of the Corporation.

In order to promote the welfare of the women, the units of CCI are having Ladies Club where various social and recreation activities are being carried out for the women. The vocational programmes on computer literacy, mother & child health care etc. are being undertaken at these various clubs. The Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to undertake such activities for welfare of women. As far as Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is concerned, the committee has been established to inquire any such issues and meetings are being conducted for the same at regular interval of time. During 2020-21, the committee has not received any complaint under Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.



Corporate – International Women's Day Celebration



International Women's Day Celebration at Rajban



Grand celebrations held on the eve of International Women's Day (Corporate Office)

12. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

Effective internal machinery for grievances redressal has been evolved and established in Cement Corporation of India Ltd., for its employees.

CCI is maintaining grievance handling system very effectively and employees are given an opportunity at every stage to raise grievances relating to wage matters, working conditions leave, work assignments and welfare amenities etc. Majority of grievances are redressed informally in view of the participative nature of environment existing in the units. The system is comprehensive, simple and flexible and has proved effective in promoting harmonious relationship between employees and management.

13. REMUNERATION POLICY

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, Government of India vide letter No. F.No.1(6)2009-PE.XII dated 30th April, 2009. The last pay revision effective from 01/01/2007 was done in accordance with Ministry's OM No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26th November, 2008 No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 9th February 2009 & No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 2nd April, 2009 The PRP is based on the Performance / profitability of the Company as well as individual performance rating which is aligned to the organization's objectives.

As per guidelines issued vide OM W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/17 dated 03.08.2017 on Pay Revision of Board Level and

below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of CPSEs w.e.f. 01.01.2017, the 3rd PRC for Executives, Supervisors & Non-Supervisors is yet to be implemented.

14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

15. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

16. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives.

17. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

1. During the year, Vigilance Department has created vigilance awareness amongst its employees at all levels in the Organisation and promoted culture of honesty, efficiency and transparency in the working environment. Vigilance Awareness Week was celebrated from 27th October, 2020 to 2nd November, 2020, under guidance of CVC with the theme “Satark Bharat Samridhh Bharat”. During the Week, Corporate Office and operating Units have organized seminars, debate, workshops, competition on essay

writing/slogan etc. Lectures were also organized on preventive vigilance with a view to eliminate the scope of indulging in malpractices.

2. Inspection of Tandur Unit was done by CVO, CCI from 8.3.2021 to 11.3.2021. Through formal as well as informal interactions with all Executives including GM of Tandur Unit, Vigilance Awareness inculcated amongst the employees at all levels and main emphasis is given on Preventive Vigilance and System Improvement with a view to eliminate the scope for indulging in mal-practices.
3. E-procurement, e-auction, e-office and Integrity Pact has been implemented. As per CVC guidelines IEM has been appointed.
4. Three CTE type inspections were done, one each in Tandur Cement Factory, Bokajan Cement Factory and Rajban Cement Factory during the financial year.
5. Annual Sectoral Review Meeting of CVC was held on 04.02.2021 through video conferencing. CVO, CCI attended the meeting. The issues related to CCI have been taken up for compliance.
6. Annual Property Returns of employees for the year 2020 have been collected by HR Department and the same are being scrutinized on quarterly basis by Vigilance Department.

18. E-PROCUREMENT/INTEGRITY PACT

The e-procurement facility has been in place in the organization with M/s. Antares System Pvt. Ltd., Bangalore being the service for e-procurement portal. All tenders above Rs. 2 (Two) Lakh are being invited through e-tender, the online mode. All high value procurement from CO including Alumina Bricks, conveyor belts, Hi-Chrome grinding media, Mn-steel castings and HRCS Castings etc are procured through e-tendering.

As per report dated 13th October submitted by the Mrs. Vijaya Kanth, IEM there are no pending complaint/observation of any vendor before IEM.

A format of vendor registration is also displayed on CCI Website. The vendors are registered at units as well as at Corporate Office, as and when they apply.

The online e-tender are being encouraged. The revised Integrity Pact in line with revised standard operating procedures issued by CVO have also been uploaded in CCI website. The IEM has been appointed to oversee the implementation of Integrity Pact.

19. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance The company has two types of internal audit system mainly :-

- Internal Audit by Independent Chartered Accountant firms
- In house audit.

Outside Internal auditors are appointed by Audit Committee duly approved by Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Based on report of Internal Auditor, corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc. The marketing manual has been updated and management has taken steps to update all other manuals time to time for better check and control.

20. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2020-21.

21. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE

PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report.

22. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES:

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

23. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

24. ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is attached to this Report.

25. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company has conducted four Board Meetings during the financial year 2020-21.

26. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

27. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement:—

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.
- (f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

28. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

29. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year 2020-21.

30. DIRECTORS

The following directors were appointed / seized during the year 2020-21.

- Smt. Alka Tewari, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industry joined the Board as part time official Director (Govt. Nominee) w.e.f. 10.11.2020.
- Shri S. Sakthimani, ceased to be Director (Finance) on the Board of the Company w.e.f.

07.03.2021. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.

- Shri A. M. Manichan, ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) on the Board of the Company w.e.f. 10.11.2020. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.

31. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

There was no Independent Director on the Board during the period under review i.e. 2020-21. Accordingly, Declaration of Independence under Section 149 (7) of the Companies Act, 2013 could not be taken.

32. IMPLEMENTATION OF TALLY ERP, LINKS TO COMPANY WEBSITE AND STATUS OF E-OFFICE

(a) Implementation of Tally ERP9:-

- The modules of Tally ERP 9 are effectively working in operating units, Marketing Offices & Corporate Office.
- In order to improve performance of Tally ERP 9, Tally Server-9 has been deployed.
- LAN & Leased Line Internet connectivity has been deployed at Corporate Office.

(b) Links to Company Website:-

- The Website of Cement Corporation of India Ltd. is <https://www.ccilttd.in> which contains current policies of the company like CSR, Medical benefit to existing and retired employees, financial results, Marketing Network etc.

(c) e-Office

- e-Office (File Management, Online Leave) has been implemented in CCI for all approvals.

(d) Bill Tracking System for Vendor:-

- For tracking the payment of Bill for the Vendor, Bill Tracking System has been implemented and a link is provided on CCI website for the same.

33. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

34. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are far away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. The entire production of cement is being sold in the domestic market.

35. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s. Mahalwala & Co., chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2020-21 and M/s. C Venkat Krishna & Co., M/s. Gupta Maskara & Associates, M/s. Raipelly Ramesh & Co., M/s. Manilal Shah & Co., M/s. Praveen Aggarwal & Co., M/s. SRP & Company, M/s. Purthi & Co. and M/s. R Kumar Agrawal & Co. were appointed as Branch Auditors. The report of the statutory auditors and reply thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

COST AUDITORS

M/s. K.G. Goel & Associates, Cost Accountants, were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban, M/s. Bandyopadhyaya Bhaumik & Co., Cost

Accountant for Bokajan & M/s. PKR & Associates LLP, Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2020-21.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Balika Sharma & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2021. The report of the Secretarial Auditors is attached as Annexure. In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under:

“During the period under review i.e. 2020-21, the composition of the Board of Directors/ Audit Committee could not be duly constituted as per provisions of the Companies Act, 2013 and DPE Guidelines due to lack of required Independent Directors on the Board. Requests to fill the vacancies on regular intervals were sent to Administrative Ministry”. However, MHI vide order No. 1(4)/2013-PE-XII/CPSE-III dated 2.11.2021 has appointed Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel as Non-official Independent Directors on the Board of CCI for a period of three years or until further orders”.

36. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee constituted keeping in view the special circumstances consists of the following Directors:

- a. Smt. Sukriti Likhi, Director (Govt. Nominee) as Chairperson.
- b. Shri B.V.N. Prasad, C&MD as Member
- c. Smt. Alka Tewari, Director (Govt. Nominee) as Member

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairperson of the

Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in

37. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Ministry of Heavy Industries, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of

Railways, PESB, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s. Mahalwala & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-II. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN No. 09353339

Date : 25.02.2022

Place: New Delhi

Particulars are required under Companies (Disclosure of particulars in the report of the Board of Directors) Rules 1988.

1. Resource Efficiency –

➤ Power and Coal Consumption:-

In order to have resource optimization, technology up-gradation / energy conservation measures are under various stages of for implementation. The works related to Fly-ash handling system, Construction of 53-S silo and Installation VFDs panel and energy efficient motors are under process.

A. Conservation of Energy

ENERGY CONSERVATION STEPS TAKEN IN THE YEAR 2020-21

BOKAJAN:-

- Installation of 02 No. Energy Efficient Motors less than 75 kW rating.

RAJBAN:-

- Installation of 10 Nos. 24W, Solar Street lights at Plant and Township.
- Installation of Energy Efficient Motors at Raw Mill, Kiln & Cement Mill sections quantity 08 nos.
- Installation of LED lights in place of Conventional lights.

- Installation of lighting timer for Automatic ON/OFF of plant lightings of different section.

TANDUR:-

- In Tandur unit two no. speed control panels have been installed while six Nos. are in process for finalization. Tandur Unit has totally switched over to LED lights & energy efficient fans in plant as well as township, other units are executing the same.
- Tandur and Rajban Units have been using alternate source of energy i.e. Solar Panels while Bokajan unit is in process for initiating.
- New trees/samplings were planted in all the three Units as an initiative to conserve environment.

TECHNOLOGY ABSORPTION

As per fund availability & priority, Capex are being executed in the three operating units. Fly Ash Handling System, Coal shed construction, Retrofitting of Cement Mill ESPs, Construction of 53-S storage Silo are in advance stage of finalization at Tandur. Pulse Jet Bag Filter (PJBF) at Rajban unit. The W.O has been placed in the month of March' 2020-21 & at Bokajan Unit the same is in advance stage of finalization to meet the current emission norms of Pollution Control Board.

(A) Unit wise total energy consumption and energy consumption per unit of production:-

1) ELECTRICITY	BOKAJAN	RAJBAN	TANDUR
a) PURCHASED			
I) UNITS (KWH)	19751276.00	17723927.00	81779899.00
II) TOTAL AMOUNT (₹.in lakh)	1334.27	1117.42	4075.70
III) RATE PER UNIT (₹./kwh)	6.76	6.30	4.98
b) OWN GENERATION			
I- THROUGH DIESEL GENERATION			
I) UNITS(KWH)	10636.80	0.00	0.00
II) TOTAL DIESEL CONSUMPTION IN LITRE	7600.00	0.00	0.00
III) UNITS/LITRE OF DIESEL OIL (KWH/ LITRE)	1.40	0.00	0.00
IV) COST PER UNIT ₹./KWH	43.82	0.00	0.00
2) COAL			
QTY Consumed (MT)	24933.00	21199.00	146315.00
TOTAL COST (₹.in lakh)	1591.27	1735.45	8132.90
AVERAGE RATE (₹./MT)	6382.20	8186.48	5558.48
3) CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION			
I) ELECTRICITY (KWH/MT of packed cement incl. Township)	188.60	134.68	128.61
II) Booked Coal (% of clinker Production)	26.53	20.75	23.93
III) Coal (UHV) k.cal/kg of coal	5336.00	5247.00	3948.00

Production figures for the year 2020 -2021

	Clinker	Cement
BKO	93965	104005
RJO	102150	148000
TDO	611650	641356
TOTAL	807765	893361

(B) CCI as a Whole total energy consumption per unit of production-

1. ELECTRICITY		
a) Purchased	(2020-21)	(2019-2020)
	(Operating Units only)	(Operating Units only)
i) Units (in lakhs)	1192.55	811.81
ii) Total amount (in lakhs)	6527.39	5570.21
iii) Rate per Unit	5.47	6.86
b) Own Generation		
i) Units (Kwh)	10636.8	70745.20
ii) Total Diesel Consumption in Litre	7600.00	35000.00
iii) Units/Litre Of Diesel Oil (Kwh/ Litre)	1.40	2.02
iv) Cost per Unit (₹./ Kwh)	43.82	29.67
2. COAL		
i) Qty. Consumed (Tonne)	192447	120493.00
ii) Total Cost (₹ In Lakhs)	11459.62	7455.32
Average rate (₹/MT)	6709.05	6615.11
Consumption per Unit of Production		
i) Electricity (KWH/ tonne of packed Cement incl. Township)	136.60	142.20
ii) Booked coal (% of clinker production)	23.83	24.44
iii) Coal quality (UHV)(K.Cal / kg. of coal)	4273.73	4217.18



Rajban Unit Situated in Sirmaur District, State- Himachal Pradesh



Bokajan Unit Situated in Karabi Anglong District, State- Assam



Tandur Unit Situated in K.V. Rangareddy District, State-Telangana

CSR ACTIVITIES

1. A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy:

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as **“A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating”**.

CCI integrates and aligns its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

Web-link address to the CSR Policy is: <http://ccilttd.in/page.php?id=194>

2. The Composition of the CSR Committee.

The Company does not have any Independent Director on the Board during the year 2020-21. Accordingly, CSR Committee could not be constituted.

3. Average net profits of the company for the last three financial years: ₹ (886.70) Lakhs

4. Prescribed CSR expenditure (2% of the amount as in item 3 above): N.A

5. Details of CSR spent during the financial year:

- (a) Total amount spent for the financial year: NIL
 (b) Amount unspent, if any: NIL
 (c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

(Amount in ₹)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
S. No.	CSR project or activity	Projects or programs (1) Local area or other	Amount outlay (Budget) project	Amount spent (in Rupees)	Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent direct or through implementing agency
-	-	-	-	-	-	-

(R. P. Singh)
Director (Finance)
DIN No. 08750557

(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN No. 09353339

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be

less than 3 Directors and not more than 12. The number of Independent directors shall not be less than one third of the actual strength of the Board.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2021, the Board of CCI comprised of three (3)* Directors out of which one is Functional Director and two Part-time official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry.

[*Shri P.M Chandraiah (Functional Director) was entrusted the additional charge of Director (Finance) with effect from 07.03.2021 vide MHI order dated 15.03.2021. He assumed the additional charge of Director (Finance) with effect from 30.03.2021. Subsequently, due to untimely demise of Shri P.M Chandraiah on 30th April, 2021, he ceases to be the Director (Finance) on the Board of CCI.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 04.03.2021)	No. of Directorship held as on 31.03.2021 (Including CCI)	No. of Committee Membership held in other companies as on 31.03.2021
Functional Directors:						
1.	Shri B. V. N. Prasad, C&MD	4	4	Yes	1	NIL
2.	Shri S. Sakthimani (06.03.2021)	3	3	Yes	1	NIL
Government Nominee Directors:						
3.	Smt. Sukriti Likhi	4	4	Yes	4	NIL
4.	Smt. Alka Tewari	2	2	Yes	1	NIL
5.	Shri A. M Manichan (Up to 10.11.2020)	1	0	NA	NA	NA

The company held four Board Meetings i.e. on 02.09.2020, 03.12.2020, 03.03.2021 and 24.03.2021 during the year under report. The Board Meetings

were conducted in accordance with the MCA notification Circular No. 11/2020, Letter No. F. No. 2/1/2020-CL-V dated 24th March, 2020.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. The C&MD/Directors decides the date and place of Board/Committee meetings. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed, and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the Functional Director/Chairman & Managing Director.
- Presentations are made in the Board/Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions, as and when necessary.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board/Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board Meeting for their confirmation. The minutes of Sub-Committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. Follow-up mechanism:

An Action Taken Report on the important decisions of the Board/Committee members is presented as and when the ATR agenda received. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Memorandum of Understanding (MOU), Award of large contracts.
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company did not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the Independent Directors are being paid sitting fees at the rate of Rs. 6000/- (Rs. Six thousand only) per meeting and out of pocket expenses for

attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof. The Company does not have any Independent Director on its Board since 29.06.2019. Accordingly, the aforesaid amount could not be paid during the Financial Year 2020-21.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies/ Disclosures (2020-21)
Functional Directors:			
1.	Shri B. V. N. Prasad, C&MD	Functional Director	NIL
2.	Shri S. Sakthimani Director (Finance) (Up to 06.03.2021)	Functional Director	Scooters India Limited
Government Nominee Directors			
3.	Smt. Sukriti Likhi	Govt. Nominee Director	1. Nepa Ltd 2. Engineering Projects (India) Limited 3. Tumakuru Machine Tool Park
4.	Smt. Alka Tewari	Govt. Nominee Director	NIL
5.	Shri A. M. Manichan (Up to 10.11.2020)	Govt. Nominee Director	1. Instrumentation Limited 2. Hindustan Cables Ltd. 3. Bhel Electrical Machines Limited

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {(official) and (non-official)}, as the case may be} by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2020-21.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

The company does not have Independent Directors on its Board during the financial year 2020-21. Accordingly, in view of the special circumstances, the Board constituted an Audit Committee consisting of the following Directors:-

- 1) Smt. Sukriti Likhi, Director (Govt. Nominee) as Chairperson
- 2) Shri B.V.N. Prasad, C&MD as Member
- 3) Smt. Alka Tewari, Director (Govt. Nominee) as Member

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2020-21, three Audit Committee Meetings were held on 03.12.2020, 03.03.2021 and 24.03.2021 attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Smt. Sukriti Likhi	3	3
2. Shri B.V.N. Prasad	3	3
3. Smt. Alka Tewari	3	3

4. Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration

and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

For want of Independent Directors the Remuneration Committee of the company could not be reconstituted.

Detail of Remuneration paid to Directors/ KMP:

Details of remuneration paid to Directors/KMP of the Company for the year 2020-21 are given below:-

(Rs. In Lakhs)

S. No	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance incentives	Value of Perquisites	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri B.V.N. Prasad, C&MD	27.91	6.34	0.00	0.00	0.18	3.00	37.43
2.	Shri S. Sakthimani, Director (Finance.) (Up to 06.03.2021)	23.80	6.30	0.00	0.00	0.19	2.56	32.86
3.	Shri Ajay Kumar Sharma, Co. Secretary	12.78	2.21	0.00	0.00	0.38	1.53	16.91
	Total	64.50	14.85	0.00	0.00	0.76	7.10	87.20

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have a Corporate Social Responsibility Committee. However, the Company is not having any Independent Director on the Board. Accordingly, CSR Committee could not be constituted.

6. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

7. Meeting of Independent Directors

Since there is no Independent Director on the Board of the Company, the meeting of Independent Directors could not be held.

8. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

9. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	54th AGM	55th AGM	56th AGM
Date & Time	26th September, 2018 at 12.30 PM	30th December, 2019 at 03.00 PM	4th March, 2021 at 12.00 PM
Location	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi -110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi -110003
Special Resolution(s) passed	No	No	No

10. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with

the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

The 56th AGM for the financial year 2019-20 was held on 4th March, 2021. In this regard, application under the provisions of Companies Act, 2013 for compounding of default is being filed before the Registrar of Companies.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the Accounting Standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the Financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2021.

IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2020-21 and last three years.

11. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance. CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

12. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.ccilttd.in The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

13. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the Competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in

14. Compliance Certificate:

Certificate from M/s GW & Associates, Practicing Company Secretaries confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms part of the Annual Report for the financial year 2020-21 which is **Annexed** herewith.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN No. 09353339

Date : 25.02.2022

Place: New Delhi

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. An Overview

The financial year 2020-21 witnessed the first wave of Covid 19 induced lockdowns which led to contraction of Indian economy in first half of the Financial year. Covid 19 posed a formidable challenge to the economy and required a balance between live and livelihood. The second half of Financial year witnessed a subdued but positive growth in the cement sector.

Amidst the pandemic, cement consumption saw a strong growth in the rural markets as labour availability increased along with growth in construction of rural infrastructure and low cost housing. Central Government's scheme of "Housing for All by 2022" and large infrastructure projects provided impetus to regaining the cement demand. However overall the Indian cement production fell by about 11% due to lockdown in quarter 1 of financial year on YOY basis. All India cement production which was approx. 329 Million Tonnes during FY 2019-20 fell to 294.4 Million Tonnes during FY 2020-21 as almost the entire month of April 20 was under nationwide lockdown.

However CCI was able to resume cement production in the last week of April 2020 itself even after following Covid 19 related protocols and this speaks about the resolute nature of the management and the workforce.

2. Financial Review and Analysis

The net profit of the Corporation for the F/Y 2020-21 is Rs.13.15 crores as compared to the net loss of Rs. 50.94 crores for F/Y 2019-20. The cement production during the year stood at 8.93 lac MT against 5.84 lac MT for the previous Financial year.

3. Corporate Governance

CCI is committed to follow the highest standards of Corporate Governance and the Directors reaffirm their commitment to good corporate governance. During the year under review, the company was compliant with provisions related to Corporate Governance.

4. Sustainability

Sustainable growth is an important part of the

company's business philosophy and CCI strives to enhance environmental conservation measures while pursuing business growth and profitability. Sustainability measures includes measures to reduce carbon emissions, increased use of alternate fuels, increased solar power capacity and water conservation. The units are also having Sewage Treatment Plants to help achieve sustainability. These efforts also help nearby populations and also strengthen brand and its reputation. CCI also installed and commissioned the highly efficient Pulse Jet Bag Filter at its Tandur unit, a major step towards sustainable growth.

5. Digital Ecosystem

A digital ecosystem is also being promoted and the successful launch and implementation of E-Office at all the three units and Corporate Office have helped in monitoring and tiding the Covid pandemic period substantially apart from ensuring reduced paper usage and also ensuring ready availability of all relevant documents. The decision making process has also been expedited and streamlined due to implementation E-Office. The employee leave approval and record keeping process is also done through the same package. The Corporation has also undertaken digitisation of records in a big way to ensure their longer life.

6. Risks Management

Cement is a highly competitive industry with more than 98% capacity lying with the private sector. In-fact cement has migrated from a commodity to a branded commodity phase in India. The important risks envisaged for the cement sector are given below-

- a) **Economic Environment and Market Demand**-The growth in construction has slowed down during the last few years impacting cement consumption adversely. With increased capacity of existing producers and emergence of new entrants, competition is a sustained risk. Similarly a sustained growth of the country shall also provide impetus towards a favourable economic environment for increased cement consumption.

- b) **Inflation and Increase in Cost of Production**—Cement production is an energy intensive continuous process production and any increase in prices of coal, pet-coke and other fuels shall increase the cost of production of cement, which may be difficult to be passed on to the consumer.
- c) **Environment**—Environment concerns have increased recently and hence discharge of waste, emission of greenhouse gases, sewage treatment plants, installation of bag houses and extensive plantation drives are being undertaken by the Corporation at almost all the units to preserve environment.

7. Internal Control system

The internal audit team monitors the effectiveness of the internal control systems and reports to the Audit Committee. The recommendations of the internal audit team on improvements in the operating procedures and control systems are also presented to the Audit Committee and the business use these as tools for strengthening the operating procedures.

8. CSR Policy

The company has a Corporate Social Responsibility & Sustainability policy as approved by the Board of Directors.

9. Other disclosures

Chapter-7 of Guidelines on Corporate

Governance for Central Public Enterprises (CPSEs) provides that as a part of Directors' Report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis Report should form part of the Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segment wise and product wise performance, the company deals only in one segment i.e. cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front and Environmental Protection and conservation, Technological conservation, Foreign Exchange conservation etc. have already been covered in Directors' Report.

Conclusion

The growth prospects of the cement industry are linked to the growth of the economy. The outlook in the short-term remains challenging. However, the long-term driver for cement industry remains intact. Importantly, the government's focus on infrastructure development and housing augur well for the industry.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.

FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31st March, 2021

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS :		
i)	CIN:-	U74899DL1965GOI004322
ii)	Registration Date:-	18/01/1965
iii)	Name of the Company: -	CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED
iv)	Category/ Sub-Category of the Company:-	MANUFACTURING SECTOR
v)	Address of the Registered office and contacts details:-	CORE-5, SCOPE COMPLEX, 7 LODHI ROAD, NEW DELHI-110003
vi)	Whether listed company Yes / No:-	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, If any:-	N.A.

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

SI. No.	Name and Description of the main products/ services	NIC Code of the Product/services	% to total turnover of the company
1	Cement	2394	100%

3. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. No	Name & Address of the Company	CIN/GLN	Holding / Subsidiary / Associate	% of Shares held	Applicable Section
	NIL				

4. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A) Promoters									
(1) Indian									
(a) Individual/HUF	0	0	0	0.00					
(b) Central Govt Equity Shares Preference Shares	-	-	45,59,749	35,54,325	45,59,749	35,54,325*	100%	100%	NIL
(c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(d) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(e) Banks/FI	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(f) Any Other	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
Sub- total(A)(1):-	0	81,14,074	81,14,074	100%	81,14,074	81,14,074	100%	100%	
(2) Foreign									
a) NRIs- Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
c) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
d) Bank/FI	0	0	0	0.00					
e) Any other....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
Sub- total(A) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+(A) (2)									
0			0	0	0	0	0	0	
A. Public share holding									
1. Institutions									
(a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
(b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
(c) Central Govt./State	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(d) Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(e) Insurance Companies	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(*) Were to be redeemed from the proceeds of sale of the assets of CCI. Request has been sent to Ministry for appropriate action.									
(f) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	
(g) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0.00					
(h) Others (specify)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
Stressed Asset	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
Sub-total (B)(1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp. (Indian & Overseas)	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
c) others (Specify) Trusts	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRI & Foreign Corporate Bodies	0	0	0	0	0	0	0	0	
c-ii) Clearing Members	0	0	0	0	0	0	0	0	
HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Shares held by Custodian for GDR&ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grand Total (A+B+C)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1.	Central Govt.	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL
	Total	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

S. No.	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reason for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ Sweat equity etc.):	NO CHANGE			
	At the end of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

S. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/sweat equity etc.):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

S. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc.):				NIL
	At the End of the year				

5. INDEBTNESS

Indebtness of the Company including interest outstanding/accrues but not due for payment

(₹ in Lakh)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtness at the beginning of the financial				
i) Principal Amount		15090.07		15090.07
ii) Interest due but not paid		12385.27		12385.27
iii) Interest accrued but not due		NIL		NIL
Total (i+ii+iii)		27475.34		27475.34
Change in Indebtness during the financial year		NIL		NIL
· Addition				
· Reduction				
Net Change		NIL		NIL
Indebtness at the end of the financial year				
i) Principal Amount		15090.07		15090.07
ii) Interest due but not paid		12385.27		12385.27
iii) Interest accrued but not due		NIL		NIL
Total (i+ii+iii)		27475.34		27475.34

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole – time Directors and/or Manager:

(₹ in Lakh)

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount
		Shri B.V.N. Prasad	Shri. S. Sakthimani (up to 06.03.2021)	
1.	Gross salary			
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income tax Act, 1961	34.25	30.10	64.35
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income –tax Act, 1961	--	--	---
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	--	--	--
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL
4.	Commission			
	- As % of profit	NIL	NIL	NIL
	- Others, specify....			
5.	Others , please specify			
	(i) Contribution to PF	3.00	2.56	5.56
	(ii) Medical Reimbursement	0.18	0.19	0.37
	Total (A)	37.43	32.86	70.29
	Ceiling as per the Act			

B. Remuneration to other directors

(₹ in Lakh)

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
			-	-	
1.	Independent Directors	0	-	-
	• Fee for attending board committee meetings				
	• Commission				
	• Others, please specify				
	Total (1)	0			
2.	Other Non-Executive Directors(BIFR Nominee)				
	• Fee for attending board committee meetings				
	• Commission				
	• Others, please specify				
	Total (2)	0			
	Total (b)=(1+2)	0	-	-
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/ MANAGER/WTD

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	COMPANY SECRETARY (FIN.)/ CFO	DIR (Up to 06.03.2021)
		Shri. Ajay Kumar Sharma	Shri. S. Sakthimani
1	Gross salary
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income – tax Act, 1961	14.99	30.1
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961		
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-
		-	-
2	Stock Option	-	-
3	Sweat Equity	-	-
4	Commission		
	- As % of profit	-	-
	- Others, specify		
5	Others, please specify	-	-
	(i) Contribution to PF	1.53	2.56
	(ii) Medical Reimbursement	0.38	0.19
	Total	16.91	32.86

7. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	Section 96	Holding of AGM for the year 2019-20 beyond the extended time period		ROC	Application before ROC, NCT of Delhi and Haryana is in process.
Compounding					
B. DIRECTORS					
NIL					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
NIL					
Penalty					
Compounding					

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN No. 09353339

Date : 25.02.2022

Place: New Delhi

B.Com, ACS, LLB

Geeta Rani Wadhwa
Company Secretary

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Cement Corporation of India Limited,
Core -5, Scope Complex 7-
Lodhi Road
New Delhi - 110003

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Cement Corporation of India Limited, having its registered office at Core -5, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003, for the financial year ended on **31.03.2021**, as stipulated in guidelines issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt of India, May, 2010 (as amended from time to time).
2. The compliance of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementations thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.
3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE guidelines except the following:
 - a. There was no Independent Director on the Board of Company since 29.06.2019, however request to fill the vacancies of Independent Directors had been sent to the administrative ministry from time to time.



A-428, Dakshin Puri, New Delhi-110062

M: 8802712645, E-mail: geetawadhwas@gmail.com Gwgewassociate12@gmail.com

b. As per the DPE guidelines, the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company has no Independent Director. Hence, composition of the audit committee is not as per DPE guidelines.

C. The company does not have constituted the **Remuneration Committee**.

4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

**For G W & Associates
Company Secretaries**



Cs Geeta Rani Wadhwa
Proprietor
Membership No 25218
Cp No 9822
M : 8802712645

UDIN NO. A025218C001339465

DATE: NEW DELHI
PLACE: 02.02.2022



Balika Sharma And Associates
Company Secretaries

Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharma@gmail.com

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9
of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members of,
Cement Corporation of India Limited
Reg. Off: Core -5, Scope Complex 7- Lodhi Road New Delhi-110003
CIN: U74899DL1965GOI004322

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cement Corporation of India Limited**, (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, e-Forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year commencing from **1st April, 2020 and ended on 31st March, 2021** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, e-forms and returns filed and other records maintained by **Cement Corporation of India Limited** ("the Company") for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

- 1) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- 2) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA") and the rules made there under;
- 3) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
- 4) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

GST No. : 07AJMPS 9564 K1ZE



Membership No. 4816, C. P. No. 3222



Balika Sharma And Associates Company Secretaries

Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharna@gmail.com

- 5) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
- 6) Being an Unlisted Government Company, the above mentioned acts given in para 2, 3,4 and 5 are not applicable to the Company.
- 7) We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We have examined compliances of the provisions of para (i) as they had been notified by Central Government with effect from 01st July, 2015 but we have not examined compliances of the provisions of para (ii) as these are not applicable to the Company (being Unlisted Government Company).

- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- ii) The Listing Agreements entered into by the Company with N.A. Stock Exchange(s), if applicable;

We further report that

During the year under review, the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors; except Independent Directors, however, the Company has already requested the Administrative Ministry to appoint requisite number of Independent Directors on the Board of Company and the confirmation on same is awaited.

GST No. : 07AMAPS 9564 K1ZE



Membership No. 4816, C. P. No. 3222



Balika Sharma And Associates Company Secretaries

Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharma@gmail.com

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines as stated above.

Acts, Rules and Regulations stated above at para no. 5 are not applicable to the Company; however, we have been informed that there was no transaction reported under the provisions of FEMA, during the year under report.

Place: New Delhi
Date: 28.01.2022

Signature:
Balika Sharma & Associates
Company Secretaries
FCS No: 4816
C.P. No : 3222
UDIN number F004816C002320943



This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure I and forms an integral part of this report.

GST No. : 07AMAPS 9564 K1ZE

Membership No. 4816, C. P. No. 3222



Balika Sharma And Associates Company Secretaries

Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharma@gmail.com


ANNEXURE I

To,
The Members of,
Cement Corporation of India Limited
Reg. Off: Core -5, Scope Complex 7- Lodhi Road New Delhi-110003
CIN: U74899DL1965GOI004322

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Management of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations & happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: New Delhi
Date: 28. 01. 2022

Signature: 
Balika Sharma & Associates
Company Secretaries
FCS No: 4816
C.P.No : 3222
UDIN number F004816C002320943



Ten Year Digest

(₹ in Lakh)

Particulars	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
Statement of Profit & Loss											
Sales & despatches and Accretion/ (Decretion) to stock	39255	25202	27237	33075	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286
Other income including exceptional income / Expense	3762	3752	8685	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893
Raw material consumed	5058	4749	4029	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969
Stores & packing material consumed	1755	1488	1472	1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703
Employees Remuneration & benefits	5672	5490	6070	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997
Interest	374	147	116	261	225	223	297	295	446	911	3683
Depreciation	913	765	635	603	665	790	636	906	811	744	774
Other manufacturing expenses	27930	21410	22965	24812	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340
Profit(+)/Loss(-)	1315	-5095	635	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713
Balance Sheet											
Paidup Share Capital*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140
Reserves & Surplus	(82034)	(83350)	(78256)	(78846)	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)
Loans	15090	15090	27475	28100	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172
Net Fixed Assets	14127	12317	12697	10418	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224
Current Assets	33977	28492	36856	41100	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269
Current Liabilities and provisions	18040	10564	10697	31399	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137
Capital W.I.P.	5959	5809	5812	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051
Other Assets (Including DRE)	2116	2248	2254	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795
Capital Employed#	40576	39765	44896	48478	50504	53610	50349	47859	50358	45928	17068
No. of employees	486	504	574	640	665	747	813	907	906	907	988
Net Worth	-2980	-4229	859	364	-1382	-5593	-10807	-14260	-15808	-16524	-18536

* Includes Equity Shares of Rs.45,598 lakh and Redeemable Preference Share of Rs.3,543 lakh

Capital Employed is calculated by reducing Current Liability and Unamortised Expense from Total Assets

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
(REVISED)****To****The Members,****Cement Corporation of India Ltd New Delhi****Revised Report on the Financial Statements**

This audit report is in supersession of our earlier Audit Report dated 9th December 2021 on the accounts as at 31st March 2021 of the CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED has been revised to give effect to the half margins dated 29th December 2021 issued by the Indian Audit and Accounts department, office of the Principal Director of Audit (I&CA), New Delhi.

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED** ("the Company") CIN No –U74899DL1965 GOI004322 which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2021, and Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated eleven units (Mandhar, Tandur, Tandur YRO, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurukunta, Adilabad, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General Of India and Rajban (Himachal Pradesh), Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Unit as at 31st March 2021, its profit and its loss, and its Cash Flows for the year then ended.

Basis for Qualified Opinion

- a. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favor of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the DDA had suo moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on 11-04- 2017, the cost of which is now transferred to "Recoverable from outside parties". Moreover, the physical possession of land measuring 6.74 acres given to railways for constructing siding is not yet handed over to the company, pending construction. [Refer Point No.04and 08 of Note-34].
- b. No provision is made in respect of the liability arising out of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township as road from pump house to national highway 7, the alienation order of which is awaited. [Refer Point No.06 of Note34].
- c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12of Note34]
- d. The balance of certain Trade Receivable, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No. 22of Note34].

- e. The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 34. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because recoverable value expected is normally more than the book value of the Assets.
- f. The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹1,000/- each for a value of ₹355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re- issue of preference share has been sought from Ministry as per Cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note 34].
- g. Out of the Total Inventory of ₹11,963.31 Lakh the inventory of non-operating units of ₹4,095.84 Lakh (around 34% of Total Inventory) had been carried forward in the books at same amounts from several past years. Having regard to nature of inventory items involved and comments of branch auditors on inventory in their respective audit reports, there may be considerable depletion in value of inventory the effect of which has not been quantified or provided for by the management in the financial statements.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to following notes in the financial statements:

1. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8-8-96. Hon'ble BIFR, in its hearing held on 21-03-2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03-05-2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. After closure of Hon'ble BIFR, the sale of non-operating unit is undertaken through DHI as per DIPAM guidelines. As per direction, sale of non-operating units is required to be taken place in two phases for which Assets Valuer, Transaction Advisor and Legal Advisor have been appointed. PIM (Preliminary Information Memorandum) for five units has been prepared. Expression of Interest for Nayagaon Unit has been published. Hence, the assets and liabilities of Nayagaon Expansion (1 million tonne plant), to the extent identified as directly related to operation, has been transferred to Nayagaon Cement Factory with effect from 01-04-2019. Similarly, the liabilities of Nayagaon Cement Factory, other than as mentioned earlier, has been transferred to Nayagaon Expansion (1 million tonne plant). (See Note 34.09)
2. A Payment of ₹ 2305.25 Lakhs has been made to DFO, Ponta Sahib, Himachal Pradesh State Government towards Net Present Value and interest thereon for non-forest use of forest land in pursuance of letter from Ministry of Environment, Forest and Climate Change dated 1st April 2015. (See Note 34.17)

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information other than the financial statements and auditor's report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during our audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cashflows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Other Matters

We did not audit the financial statements of 11 (eleven) branches included in the standalone financial statements of the company whose financial statements/ financial information include total assets of ₹383.49 crore as at 31st March 2021 and total revenues of ₹ 356.56 crore (Approx. 79% of total Revenue) for the year ended on that date. These financial statements have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

We have examined Company's few critical financial indicators viz. inventory holding ratio, current ratio, sales graph, drop in man power as stipulated in Standard on Auditing (SA) 570 (Revised) (Going Concern) and found that these showed a negative picture about the Company till FY 2019-20, but almost all financial indicators have showed a positive picture for the FY 2020-21 and as such we have nothing to report in the matter for the FY 2020-21.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.
2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the Annexure I and Annexure II on the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
 - c) The reports on the accounts of the branch offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
 - d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and returns.
 - e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.
 - g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".

- h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements—Refer Note No 32 to the financial statements.
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There have not been any amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under.

**For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005823N**





**CA Manoj Gupta Partner
M. No.: 089370**

Place: New Delhi

Date: 17/01/2022

UDIN: 22089370AAAAAJ7184

Annexure to the Independent Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31st March,2021]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

I. In respect of its fixed assets:

- (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets except Akaltara Cement Factory unit as mentioned its branch audit report. Furthermore, the fixed assets records of Kurkunta Unit (NOU) were not available for verification as reported by the branch auditor in its report.
- (b) As explained to us, fixed assets, with the exception of Akaltara Cement Factory unit and Kurkunta Unit, have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased manner program of verification adopted by the management which, in our opinion, provides for physical verification of all the fixed assets at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification and have been properly dealt with the books of accounts.
- (c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company except some of the units as mentioned in the branch audit reports. Following Title deeds of land and other properties of the Company are yet to be executed. (Refer Point No.4 and 8 of Notes 34) Detail given as under:

Sr. No.	Units Name	Description of Land/Building
1.	Mandhar	1.06 Acres
2.	Akaltara	495.75 Acres
3.	Bhatinda	10.12 Acres
4.	Nayagaon One Million Tonne Plant and Delhi Cement Grinding Unit	6.74 Acres
5.	Nayagaon	155.83 Acres
6.	Nayagaon	0.146 Hectares
7.	Adilabad	58.81 Acres
8.	Head Office Building	₹ 266.58 Lakh Excluding Electrical Installation of ₹ 5.7 Lakh

II. In respect of its inventory:

- (a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, and 'A' & 'B' category of stores, spare parts and raw materials except for Akaltara unit and Kurkunta unit, were physically verified at the end of the year by the Management. As regard inventory of 'C' category of spare parts, the management has a system of physical verification so that all items are physically verified at least once in the block of three years. Accordingly, a part of such inventory was physically verified during the year. There are no inventories lying with third parties.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has maintained proper records of its inventories and no material discrepancies were noticed on physical verification of stocks as compared to book records. As per Mandhar Unit branch audit report (A non-operating unit), some items of inventory are lying open in the ground and have lost their existence.

III. In respect of loans, secured or unsecured, granted to the parties covered in register maintained under section 189 of the Companies Act 2013:

According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans to companies, firms, limited liability partnership or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.

IV. In respect of loans, investments, guarantees, and security, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.

V. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not accepted deposits and does not have any unclaimed deposits. Therefore, the provisions of clause 3(v) of the order are not applicable to the Company.

VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained except for the units declared as sick by BIFR. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

VII. In respect of statutory dues:

(a) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, value added tax (VAT), service Tax, GST, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable:

Nature of Statute	Nature of Dues	Amount (₹ in Lakh)
Central Sales Tax	Central Sales Tax	9.61
Corporation Tax	Entry Tax	14.14
Corporation Tax	NALA TAX	18.92
Corporation Tax	Royalty (and interest)	66.98
Dead Rent	Dead Rent (and interest)	41.32
ED gram Panchayat tax	Surcharge/Additional Tax	45.93
Income Tax	Interest on Late Payment of income tax	0.23
Industries (Development & Regulation Act), 1951	Cess on Cement	18.03
Local Sales Tax	Sales Tax	1597.49
Mining Dues	Mining Department	186.61
Professional Tax	Professional Tax and other misc.	0.007
Surcharge/Additional Tax	Surcharge/Additional Tax	13.26

- (b) According to the information and explanations given to us, the disputed amounts payable in respect of Income-tax, Custom Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears were outstanding as at 31 March, 2021 is given below:

Particulars	Nature of Dues	Forum where Pending	Amount ₹ in Lakh)
NALA TAX	NALA TAX	N.A.	51.13
Property Tax	Property Tax	N.A.	251.98
Service Tax	Service Tax	N.A.	2.29
Royalty	Royalty (with interest)	N.A.	519.88
NPDCL	NPDCL	N.A.	2.6
Income Tax	Demand due to mismatch in TDS	Commissioner of Income Tax	9.33
Property Tax	House & Fire Tax	High Court of Punjab and Haryana	205.49
Excise Duty	Excise Duty	Appellate Authorities	538.7
Sales Tax	Sales Tax Dues	High Court Telangana	274.61
Service Tax	GTA Service	Commissioner (Appeal) Central Excise & Service Tax	38.73

Further, the branch auditor of Bokajan Unit disclaimed his opinion regarding disputed Income tax or sales tax dues due to the non-availability of assessment orders

- VIII. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has defaulted in the repayment of principal amount of loans and interest thereon in respect of dues, as per details given here as under:


Particulars	Amount in Lakhs	Period of Default
Govt. of India including Interest	27475.00	From 2011

- IX. Based on our audit procedures and according to the information given by the management, the Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or taken any term loan during the year.
- X. According to the information and explanations given to us, we report that no fraud by the Company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- XI. The provisions of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to Government Companies. According, the provisions of clause 3(xi) of the order are not applicable to the Corporation.
- XII. The company is not a Nidhi Company and Nidhi Rules, 2014 not applicable to it as such the provision of Clause 3 (xii) of the Order are not applicable on the Company.
- XIII. According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 have been disclosed in financial statement as required under Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable to the state Controlled entities.
- XIV. The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, provisions of Clause 3(xiv) of the order are not applicable.

XV. The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with him. Accordingly, provisions of Clause 3 (xv) of the order are not applicable.

XVI. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005823N



CA Manoj Gupta Partner
M.No: 089370

Place : New Delhi
Date : 17/01/2022

UDIN : 22089370AAAAAJ7184

Report on Internal Financial Controls over Financial Reporting

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD (“the Company”)** as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with the generally accepted accounting principles. A Company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation;
2. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements following generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with following authorization of management and directors of the corporation; and

3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.


Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005823N**



**CA Manoj Gupta Partner
M.No: 089370**


**Place : New Delhi
Date : 17/01/2022**

UDIN : 22089370AAAAAJ7184

**Compliance Report for Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013 for
the year ended 31st March 2021**

<p>1. Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.</p>	<p>Yes, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. We have not noticed any accounting transactions which have been processed outside the IT system.</p>
<p>2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (in case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).</p>	<p>During the year there has been no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the company's inability to repay the loan.</p>
<p>3. Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the causes of deviation.</p>	<p>The funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.</p>

**For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005823N**



**CA Manoj Gupta Partner
M.No: 089370**

Place : New Delhi

Date : 17/01/2022

UDIN : 22089370AAAAAJ7184

Balance Sheet as at March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As At March 31, 2021	As At March 31, 2020
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	02	81,140.74	81,140.74
(b) Reserves and Surplus	03	(82,033.82)	(83,349.38)
		(893.08)	(2,208.64)
Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	04	15,090.07	15,090.07
(b) Other Long Term Liabilities	05	24,152.55	23,856.86
(c) Long-Term Provisions	06	4,312.73	4,851.13
		43,555.35	43,798.06
Current Liabilities			
(a) Short-Term Borrowings	07	-	-
(b) Trade Payables	08	2,121.43	2,219.41
(c) Other Current Liabilities	09	8,983.35	6,593.88
(d) Short-Term Provisions	10	2,622.69	1,946.22
		13,727.47	10,759.51
Total		56,389.74	52,348.93
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Fixed Assets			
(i) Tangible Assets	11A	14,125.80	12,317.44
(ii) Intangible Assets	11B	0.80	-
(iii) Capital Work-In-Progress	12	5,958.60	5,808.56
(iv) Intangible Assets under development	13	12.81	0.20
(b) Non-Current Investments	14	227.98	227.98
(c) Long-Term Loans and Advances	15	3,202.01	3,316.53
(d) Other Non-Current Assets	16	29.76	38.75
(e) Unamortised Expenses	17	2,086.52	2,019.84
		25,644.28	23,729.30
Current Assets			
(a) Current Investments	18	-	-
(b) Inventories	19	11,963.31	14,309.33
(c) Trade Receivables	20	542.01	940.71
(d) Cash and Bank Balances	21	13,585.85	9,133.49
(e) Short-Term Loans and Advances	22	3,382.34	3,012.84
(f) Other Current Assets	23	1,271.95	1,223.26
		30,745.46	28,619.63
Total		56,389.74	52,348.93

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For **Mahalwala & Co.**

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No. 005823N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(CA Manoj Gupta)

Partner

Membership No. 089370

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN : 09353339

Sd/-

(Raj Pal Singh)

Director (Finance)

DIN : 08750557

Sd/-

(Ajay Kumar Sharma)

Company Secretary

Sd/-

(Manoj Kumar Patra)

AGM (Finance)

Date: 09-12-2021

Place: New Delhi

Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Revenue			
I Revenue from Operations			
(a) Sale of Products (Includes clinker)		41,176.61	24,761.69
(b) Other Operating Revenues		282.51	171.26
Total from Operations		41,459.12	24,932.95
II Other Income	24	3,479.94	4,902.08
Total Revenue		44,939.06	29,835.03
Expenses			
(a) Cost of Materials Consumed	25	5,057.89	4,748.70
(b) Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	26	1,922.00	(439.73)
(c) Employee Benefits Expense	27	5,671.85	5,489.65
(d) Other Expenses	28	30,058.72	23,044.65
(e) Finance Costs	29	-	-
(f) Depreciation and Amortisation Expense	30	913.04	765.08
Total Expenses		43,623.50	33,608.35
Profit / (Loss) before Exceptional Items		1,315.56	(3,773.32)
Exceptional Items Income / (Expense)	31A	-	(1,320.77)
Profit / (Loss) before Tax		1,315.56	(5,094.09)
Tax Expense on Continuing operations	-	-	-
Profit / (Loss) from Continuing operations		2,345.23	(4,567.16)
Profit / (Loss) from Discontinuing operations	31C	(1,029.67)	(526.93)
Tax expense of Discontinuing operations	-	-	-
Profit / (Loss) from Discontinuing operations (After Tax)		(1,029.67)	(526.93)
Profit / (Loss) for the year		1,315.56	(5,094.09)
Earnings per Equity Share (in Rs.)			
(Par Value of Rs.1000/- per Equity Share)			
Basic		28.77	(82.83)
Diluted		28.77	(82.83)

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34
The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit & Loss

This is the Statement of Profit & Loss referred to in our report of even date

For **Mahalwala & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No. 005823N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(CA Manoj Gupta)
Partner
Membership No. 089370

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN No. 09353339

Sd/-
(Raj Pal Singh)
Director (Finance)
DIN No. 08750557

Date: 09-12-2021
Place: New Delhi

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Manoj Kumar Patra)
AGM (Finance)

Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
A. Cash flow from Operating Activities:						
Net profit/(loss) before Tax	2,345.23	(4,567.16)	(1,029.67)	(526.93)	1,315.56	(5,094.09)
Adjusted for:						
Depreciation and amortisation expenses	1,555.16	644.85	85.98	120.91	1,641.14	765.76
Finance Cost	-	-	-	-	-	-
Interest and Other Income	(2,740.18)	(3,081.67)	(122.10)	(1,627.70)	(2,862.28)	(4,709.37)
Profit on disposal of Fixed Assets	(1.14)	(13.60)	-	(11.08)	(1.14)	(24.68)
Profit on sale of Investment	-	-	-	-	-	-
Provisions no longer required written back	(570.71)	(166.83)	(45.81)	(1.22)	(616.52)	(168.05)
Provision for doubtful receivables	-	13.09	-	-	-	13.09
Unamortised Expenses written off	258.32	181.49	-	-	258.32	181.49
Exceptional (Income)/Expense	-	-	-	1,320.77	-	1,320.77
Operating profit before working capital changes	846.68	(6,989.83)	(1,111.60)	(725.25)	(264.92)	(7,715.08)
Changes in Working Capital:						
Increase / (Decrease) in Trade Payables	31.01	52.19	(128.99)	118.34	(97.98)	170.53
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	3,362.68	(365.10)	(61.00)	190.61	3,301.68	(174.49)
Increase / (Decrease) in Provisions	249.53	(120.09)	(111.45)	117.55	138.08	(2.54)
Decrease / (Increase) in Trade Receivables	398.69	(107.77)	-	(417.29)	398.69	(525.06)
Decrease / (Increase) in Inventories	2,344.46	(778.79)	1.56	10.06	2,346.02	(768.73)
Decrease / (Increase) in Loans and Advances	(206.16)	135.04	(48.82)	(29.93)	(254.98)	105.11
Decrease / (Increase) in Other Assets	(64.27)	292.81	-	-	(64.27)	292.81
Unamortised Expenses incurred	(325.00)	(175.58)	-	-	(325.00)	(175.58)
Net cash from / (used in) Operating Activities	6,637.62	(8,057.12)	(1,460.30)	(735.91)	5,177.32	(8,793.03)
B. Cash flow from Investing Activities:						
Purchase of Fixed Assets	(3,360.67)	(160.10)	(89.91)	(238.89)	(3,450.58)	(398.99)
Interest and Other Income	2,764.74	3,080.66	122.10	1,628.69	2,886.84	4,709.35
Capital work-in-progress	(182.56)	(38.49)	19.91	42.49	(162.65)	4.00
Receipts on sale of Fixed Assets	1.43	21.92	-	13.37	1.43	35.29
Net cash from Investing Activities	(777.06)	2,903.99	52.10	1,445.66	(724.96)	4,349.65
C. Cash flow from Financing Activities:						
Proceeds from Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Proceeds from Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Funds transferred to other units	-	-	-	-	-	-
Grant received from Govt. of India	-	-	-	-	-	-
Interest and Other Borrowing Cost paid	-	-	-	(1,320.77)	-	(1,320.77)
Fund transferred between units	(1,349.85)	(647.46)	1,349.85	647.46	-	-
Net cash from financing activities	(1,349.85)	(647.46)	1,349.85	(673.31)	-	(1,320.77)
Net Increase / (Decrease) in Cash & Bank Balances	4,510.71	(5,800.59)	(58.35)	36.44	4,452.36	(5,764.15)
Opening Cash and Bank Balances	9,067.49	14,868.08	66.00	29.56	9,133.49	14,897.64
Closing Cash and Bank Balances	13,578.20	9,067.49	7.65	66.00	13,585.85	9,133.49

(₹ in Lakhs)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Notes :						
1 Closing Cash and Bank Balances comprises:						
Cash	0.55	1.67	0.03	0.03	0.58	1.70
Cheques in hand	-	-	-	-	-	-
Balance with Banks:						
- On Current Accounts	755.51	623.61	7.62	65.97	763.13	689.58
- On Deposit Accounts	12,822.14	8,442.21	-	-	12,822.14	8,442.21
Total	13,578.20	9,067.49	7.65	66.00	13,585.85	9,133.49

- The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in Accounting Standard 3 'Cash Flow Statements' notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.
- Bank Deposits include deposits of Rs 1021.46 lakh (Previous Year: Rs 1673.82 lakh) whose maturity period is more than 12 months.
- Additional working capital, as and when required, is proposed to be met out of own cash resources.
- Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year's classification.

For **Mahalwala & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No. 005823N

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(CA Manoj Gupta)
Partner
Membership No. 089370

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN No. 09353339

Sd/-
(Raj Pal Singh)
Director (Finance)
DIN No. 08750557

Date: 09-12-2021
Place: New Delhi

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Manoj Kumar Patra)
AGM (Finance)

AUDITORS' CERTIFICATE

We have verified the above Cash Flow Statement of Cement Corporation Of India Limited derived from the audited annual financial statements for the year ended March 31, 2021 and found the same to be drawn in accordance therewith.

As per our report of even date attached

For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No. 005823N

Date: 09-12-2021
Place: New Delhi

(CA Manoj Gupta)
Partner
Membership No. 089370

01 Significant Accounting Policies

01.01 Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under historical cost convention, on accrual basis, in compliance with applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act., 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the Companies Act., 2013 except for the following items which are accounted for on cash basis.

- (i) Liquidated damages/penalties/claims, other than Railway & Insurance claims, made are accounted for on realization and included in Miscellaneous Income.
- (ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

Operating Cycle

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's operating cycle and other criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013. Based on the nature of operations, the Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities.

01.02 Revenue Recognition

- (i) Revenue is recognized net of returns, discounts and rebates etc., and also excluding Goods and Services tax.
- (ii) Interest income is accrued on a time basis, with reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable.

01.03 Land & Amortisation

- (i) Land given free by the State Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.

- (ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

01.04 Investments

- (i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.
- (ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

01.05 Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use.

All other borrowing costs are charged to revenue.

01.06 Fixed Assets

- (i) Tangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Acquisition cost comprises of the purchase price and any other attributable cost to bring the asset to its working condition for its intended use.
- (ii) Intangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. Acquisition cost comprises of the purchase price and any other attributable expenditure on making the asset ready for its intended use.

01.07 Depreciation / Amortisation

- (i) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use. Depreciation on fixed assets is calculated on straight line basis based on the useful life of assets in accordance

with the Schedule II of the Companies Act, 2013 and 95% of the cost is written off during the expected useful life of the assets as mentioned in (iv) below.

- (ii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded /sold / demolished/ destroyed.
- (iii) Any individual asset whose written down value is Rs.5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.
- (iv) Any individual asset costing upto Rs.5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.
- (v) Leasehold Land is amortised over the period of lease.
- (vi) Intangible assets are amortised on a straight line basis over their expected useful life as follows: Computer software is amortised over a period of five years.

01.08 Inventories

a) Valuation

- (i) Stores, spare parts and raw materials, except as indicated in (ii) below, are stated at weighted average cost. The obsolete/unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.
- (ii) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation it is stated at zero value.
- (iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.
- (iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is

valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles

Tools and tackles are written off over a period of three years.

01.09 Deferred Revenue Expenditure

- (i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.
- (ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.
- (iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupee one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.
- (iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of hi-chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.
- (v) In case there is no unutilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service

or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 01/04/2003 is recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

01.10 Prior Period / Extraordinary Adjustments

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than Rs. 10,000/-. In case the amount is more than Rs. 10,000/-, the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its account under natural head of accounts of Current year / Prior period / Extraordinary Expenditure / Income.

01.11 Accountal of Foreign Exchange Transaction

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to Incidental Expenditure During Construction (IEDC), (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but, those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

01.12 Government Grants/ Subsidies

(i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of

incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.

- (ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.
- (iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.
- (iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

01.13 Claims of the Corporation

- (i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.
- (ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

01.14 Deposit Works

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital Work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

01.15 Staff Benefits

- (i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service at the end of each financial year in accordance with the actuarial valuation.

- (ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service at the end of each financial year in accordance with the actuarial valuation.
- (iii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unit wise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

01.16 Premium on Redemption of Debentures

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss / IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

01.17 Prepaid Expenses

Expenditure of Rs. 10,000/- or less, in each case, incurred in advance of the subsequent year(s) are charged off as expenses of the current year.

01.18 Accounting for Bad & Doubtful Recievables/Loans/Advances etc

- (i) Provision is made for doubtful Recievables/Loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.
- (ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

01.19 Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers

- (i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.
- (ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.

- (ii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.

- (iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

01.20 Classification of Expenditure

- (i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares, except as shown as in (ii) below, are charged to Statement of Profit & Loss.
- (ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance (e.g. an increase in capacity) is capitalized.
- (iii) Salaries and Wages: Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.
- (iv) Other Sundry Expenses: Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

01.21 Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

01.22 Allocation of Corporate Office Expenditure

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	March 31, 2021	March 31, 2020
02 Share Capital		
Authorised		
50,00,000 (31 March 2020: 50,00,000) Equity Shares, Rs.1000/- par value per share	50,000.00	50,000.00
40,00,000 (31 March 2020: 40,00,000) Preference Shares, Rs.1000/- par value per share	40,000.00	40,000.00
Total	90,000.00	90,000.00
Issued, Subscribed and Paid-Up		
45,59,749 (31 March 2020: 45,59,749) Equity Shares, Rs.1000/- par value per share fully paid	45,597.49	45,597.49
35,54,325 (31 March 2020: 35,54,325) Preference Shares, Rs.1000/- par value per share fully paid	35,543.25	35,543.25
Total	81,140.74	81,140.74

02.1 Rights, preferences and restrictions in respect of each class of shares

The Company has two classes of shares referred to as Equity Shares and Preference Shares having par value of Rs.1000/- per share. Each holder of Equity Share is entitled to one vote per share. Preference Shareholder is eligible to vote only on the resolutions directly affecting the rights attached to his Preference shares.

02.2 Reconciliation of the Number of Shares outstanding

Equity Shares	March 31, 2021		March 31, 2020	
	Number of Shares	Amount Rs. Lakh	Number of Shares	Amount Rs. Lakh
Balance as at the beginning of the year	45,59,749	45,597.49	45,59,749	45,597.49
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	45,59,749	45,597.49	45,59,749	45,597.49

0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares	March 31, 2021		March 31, 2020	
	Number of Shares	Amount Rs. Lakh	Number of Shares	Amount Rs. Lakh
Balance as at the beginning of the year	35,54,325	35,543.25	35,54,325	35,543.25
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	35,54,325	35,543.25	35,54,325	35,543.25

02.3 Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the Corporation:

Name of the Shareholder	March 31, 2021		March 31, 2020	
	Number of Shares	% of Shareholding	Number of Shares	% of Shareholding
Equity Shares:				
Government of India	45,59,749	100%	45,59,749	100%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:				
Government of India	35,54,325	100%	35,54,325	100%

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
03 Reserves & Surplus		
Surplus / (Deficit) in the Statement of Profit and Loss		
Balance as at the beginning of the year	(83,349.38)	(78,255.29)
Add: Net Profit / (Loss) for the year	1,315.56	(5,094.09)
Balance as at the end of the year	(82,033.82)	(83,349.38)
04 Long Term Borrowings		
Unsecured:		
Govt. Loans	15,090.07	15,090.07
Total	15,090.07	15,090.07
05 Other Long Term Liabilities		
Trade Payable		
- MSMEs	90.07	78.61
- Others	2,689.33	2,454.07
Security & Earnest Money Received	2,737.51	2,489.55
Advance from Customers	35.01	420.59
GST/Sales Tax payable	73.64	73.64
Power dues payable	1,163.67	1,058.96
Royalty payable	65.30	65.30
Interest accrued and due on borrowings- Govt Loan	12,385.27	12,385.27
Other Payables	4,912.75	4,830.87
Total	24,152.55	23,856.86

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
06 Long Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	2,197.01	2,669.01
- Earned Leave	1,415.02	1,494.44
Provision for Capital Work in Progress	10.57	10.57
Other Provisions	690.13	677.11
Total	4,312.73	4,851.13
07 Short Term Borrowings		
From Banks	-	-
Total	-	-
08 Trade Payables		
Trade Payables- MSMEs	640.51	244.75
Trade Payables- Others	1,480.92	1,974.66
Total	2,121.43	2,219.41
09 Other Current Liabilities		
Advance from customers	1,557.37	1,165.35
Security & Earnest Money Received	1,053.24	1,067.24
GST/Sales Tax Payable	1,462.20	1,254.39
Power Dues Payable	691.33	786.04
Dues to Employees	422.78	824.87
Royalty payable	208.56	205.03
Other Payables	3,587.87	1,290.96
Total	8,983.35	6,593.88
10 Short Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	665.18	592.98
- Earned Leave	360.91	274.35
Other Provisions	1,587.76	1,070.09
Bonus	8.84	8.80
Total	2,622.69	1,946.22

(₹ in Lakhs)

Particular	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
	As at April 01, 2020	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2021	As at April 01, 2020	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2021	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
a) Works										
1 Land Freehold	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2 Land Leasehold	401.42	1,551.40	-	1,952.82	170.30	911.81	-	1,082.11	870.71	231.12
3 Roads & Culverts	903.79	-	-	903.79	650.99	39.40	-	690.39	213.40	252.80
4 Plant Buildings	8,086.61	-	-	8,086.61	7,659.27	8.65	-	7,667.92	418.69	427.34
5 Non-Plant Buildings	841.79	-	-	841.79	602.31	8.58	-	610.89	230.90	239.48
6 Water Supply, Drainage & Sewerage	1,081.03	-	-	1,081.03	942.45	2.44	-	944.89	136.14	138.58
7 Railway Siding	3,296.19	-	-	3,296.19	1,762.13	101.06	-	1,863.19	1,433.00	1,534.06
8 Electrical Installation	1,859.62	273.53	-	2,133.15	1,768.97	35.85	-	1,804.82	328.33	90.65
9 Plant & Machinery	47,150.25	1,610.00	-	48,760.25	40,022.66	477.31	-	40,499.97	8,260.28	7,127.59
10 Aerial Ropeway	706.04	-	-	706.04	672.33	-	-	672.33	33.71	33.71
11 Railway Rolling Stock	423.65	-	-	423.65	406.45	-	-	406.45	17.20	17.20
12 Quarry Equipment	2,324.45	3.34	-	2,327.79	2,200.45	3.37	-	2,203.82	123.97	124.00
13 Vehicles	407.84	-	4.20	403.64	385.97	1.66	3.99	383.64	20.00	21.87
14 Office Equipments	500.82	10.34	0.17	510.99	459.91	8.71	0.03	468.59	42.40	40.91
15 Furniture & Fixture	266.55	0.27	-	266.82	252.53	2.16	-	254.69	12.13	14.02
16 Miscellaneous Equipments	1,008.82	0.31	-	1,009.13	810.56	19.50	-	830.06	179.07	198.26
17 Plant & Mach. costing upto Rs.5000	60.50	0.73	-	61.23	60.50	0.73	-	61.23	-	-
Total Works	70,656.29	3,449.92	4.37	74,101.84	58,973.85	1,621.23	4.02	60,591.06	13,510.78	11,682.44
b) Township										
1 Land Freehold	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2 Land Leasehold	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3 Roads & Culverts	39.01	-	-	39.01	36.99	-	-	36.99	2.02	2.02
4 Residential & welfare buildings	1,750.99	-	-	1,750.99	1,206.64	18.96	-	1,225.60	525.39	544.35
5 Water Supply, Drainage & Sewerage	185.27	-	-	185.27	153.28	0.88	-	154.16	31.11	31.99
6 Electrical Installation	41.33	-	-	41.33	40.21	0.06	-	40.27	1.06	1.12
7 Vehicles	121.49	-	1.67	119.82	116.66	-	1.59	115.07	4.75	4.83
8 Office Equipments	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08
9 Furniture & Fixture	18.54	-	-	18.54	17.26	-	-	17.26	1.28	1.28
10 Miscellaneous Equipments	19.57	-	-	19.57	18.29	-	-	18.29	1.28	1.28
Total Township	2,228.40	-	1.67	2,226.73	1,593.40	19.90	1.59	1,611.71	615.02	635.00
Total works & Township	72,884.69	3,449.92	6.04	76,328.57	60,567.25	1,641.13	5.61	62,202.77	14,125.80	12,317.44
Previous year	72,714.97	399.00	229.28	72,884.69	60,020.16	765.76	218.66	60,567.25	12,317.44	

Particular	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
	As at April 01, 2020	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2021	As at April 01, 2020	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2021	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
1 Computer Software	-	0.81	-	0.81	-	0.01	-	0.01	0.80	-
Total	-	0.81	-	0.81	-	0.01	-	0.01	0.80	-
Previous year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(Rs. in Lakhs)

	As at 31 March 2020	Additions during the year	Capitalised during the year	As at 31 March 2021
12 Capital Work-in-Progress (Tangible)				
Mechanical consultancy	131.37	-	-	131.37
Civil Engineering Works	2,022.59	-	5.81	2,016.78
Plant & Machinery including awaiting erection	3,755.98	1,878.39	1,695.33	3,939.04
Erection Expenses of Plant & Machinery	0.55	-	-	0.55
Incidental Expenditure Pending Allocation*	137.57	0.28	-	137.85
Capital Stores	8.82	-	-	8.82
Others	187.65	-	27.49	160.16
Sub Total	6,244.53	1,878.67	1,728.63	6,394.57
Provision	435.97	-	-	435.97
Total	5,808.56	1,878.67	1,728.63	5,958.60
* Incidental Expenditure Pending Allocation				
Employee Remuneration & Benefits Salaries, Wages & Allowances	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Power	0.55	-	-	0.49
Miscellaneous Expenses	1.43	-	-	0.76
Legal Expenses	3.75	-	-	-
Security Expenses	20.35	-	-	21.35
Depreciation	0.14	-	-	0.14
Total	26.22	-	-	22.74
Transferred	25.88	-	-	22.46
Addition during the year	-	-	-	-
Total	0.34	-	-	0.28
13 Capital Work-in-Progress (Intangible)				
Software Development	2.30	12.61	-	14.91
Sub Total	2.30	12.61	-	14.91
Provision	2.10	-	-	2.10
Total	0.20	12.61	-	12.81

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Market Value as on 31-03-21	Book Value as on 31-03-21	Book Value as on 31-03-21	Market Value as on 31-03-20	Book Value as on 31-03-21	Book Value as on 31-03-20
14 Non Current Investments						
A Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Quoted						
i) 31 Equity Shares of Rs.10/- each of Andhra Cement Co. Ltd. Market Value Rs.5.40 per share on NSE (Previous Year: Rs.1.60 per Share)	#		#	#		#
ii) 280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of Rs. 10/- each of ACC Ltd.(1)Market Value @Rs.1,903.25 per share on NSE (Previous Year: Rs.968.50 per Share)	5.33		0.01	2.71		0.01
Sub Total			0.01			0.01
B Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Unquoted						
i) 1 Equity Share of Rs.10/- each of Assam Bengal Cement Co. Ltd. (2)			#			#
ii) 79 Equity Share of Rs.10/- each of Jaipur Udyog Ltd.			0.01			0.01
iii) 40 Equity Share of Rs.5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd.			#			#
iv) 55,31,250 Equity Share of Rs.10/- each of A P Gas Power Corporation Ltd. including 2315520 Bonus Shares		322.00			322.00	
Less: 16,10,680 Shares sold including 1,34,000 Bonus Shares		94.04			94.04	
Balance held 39,20,840 Shares including 21,81,520 Bonus Shares			227.96			227.96
Sub Total			227.97			227.97
Total (A + B)			227.98			227.98
Aggregate of Quoted Investments						
Cost			0.02			0.02
Market Value	5.33			2.71		
Aggregate of Un-quoted Investments						
Cost			227.96			227.96
Total			227.98			227.98

(1) Converted from 28 Shares of Rs.100 each. New Share Certificates awaited.

(2) Shares are yet to be transferred to the name of the Corporation.

Amount is less than Rs.0.01 lakh

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
15 Long-term Loans and Advances		
a) Capital Advances		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	207.20	207.20
Doubtful	18.59	18.59
Less: Allowances for bad and doubtful advances	18.59	18.59
Sub Total	207.20	207.20
b) Deposits: Central Excise		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	0.44	0.44
Doubtful	0.02	0.02
Less: Allowances for bad and doubtful advances	0.02	0.02
Sub Total	0.44	0.44
c) Deposits: Others		
Secured, Considered Good	158.16	158.16
Unsecured, Considered Good	1,411.88	1,404.55
Doubtful	53.66	53.66
Less: Allowances for bad and doubtful advances	53.66	53.66
Sub Total	1,570.04	1,562.71
d) Contractors & Suppliers		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	92.45	28.76
Doubtful	470.63	470.63
Less: Allowances for bad and doubtful advances	470.63	470.63
Sub Total	92.45	28.76
e) Balance with Govt. Department		
Secured, Considered Good	0.41	0.38
Unsecured, Considered Good	173.39	170.25
Doubtful	151.20	151.20
Less: Allowances for bad and doubtful advances	151.20	151.20
Sub Total	173.80	170.63
f) Insurance and Other claims		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	7.08	7.68
Doubtful	133.84	133.84
Less: Allowances for bad and doubtful advances	133.84	133.84
Sub Total	7.08	7.68
g) Loans & Advances to Employees		
Secured, Considered Good	3.16	3.16
Unsecured, Considered Good	0.60	0.60
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	3.76	3.76

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
h) Claims Recoverable- Railways		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	13.44	13.44
Doubtful	406.06	406.06
Less: Allowances for bad and doubtful advances	406.06	406.06
Sub Total	13.44	13.44
i) Excise Duty Relief Recoverable		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	27.55	27.55
Doubtful	80.21	80.21
Less: Allowances for bad and doubtful advances	80.21	80.21
Sub Total	27.55	27.55
j) Recoverable from Employees		
Secured, Considered Good	0.36	0.36
Unsecured, Considered Good	0.02	0.05
Doubtful	7.65	7.65
Less: Allowances for bad and doubtful advances	7.65	7.65
Sub Total	0.38	0.41
k) Recoverable from Outside Parties		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	1,105.87	1,293.95
Doubtful	674.38	674.38
Less: Allowances for bad and doubtful advances	674.38	674.38
Sub Total	1,105.87	1,293.95
l) Shortage, Losses Pending Investigation		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	589.52	589.52
Less: Allowances for bad and doubtful advances	589.52	589.52
Sub Total	-	-
Total	3,202.01	3,316.53

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
16 Other Non-Current Assets		
Long- Term Trade Receivables:		
Secured- Considered Good	-	-
Unsecured- Considered Good	-	-
Doubtful	1,514.54	1,514.54
Less: Allowances for doubtful receivables	1,514.54	1,514.54
Sub Total	-	-
Interest accrued & due on Loans & Advances		
Secured- Considered Good	-	-
Unsecured- Considered Good	29.76	38.75
Doubtful	0.37	0.37
Less: Allowances for doubtful receivables	0.37	0.37
Sub Total	29.76	38.75
Total	29.76	38.75
17 Unamortised Expenses		
Quarry Development Expenditure		
Opening for the year	2,019.84	2,025.75
Additions	325.00	175.58
	2,344.84	2,201.33
Less: Capitalised/Adjusted	258.32	181.49
Total	2,086.52	2,019.84
18 Current Investments		
Non Trade Investments	-	-
Total	-	-

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2021		As at March 31, 2020	
19 Inventories (As verified, valued and certified by the Management)				
a) <i>Stores and Spares:</i>				
In stock	6,443.04		6,375.14	
In transit	71.12	6,514.16	55.67	6,430.81
b) <i>Work in Progress:</i>				
In stock	2,547.49		4,104.24	
In transit	-	2,547.49	-	4,104.24
c) <i>Finished Goods:</i>				
In stock	374.17		659.28	
In transit	102.55	476.72	1.58	660.86
d) <i>Raw Materials:</i>				
In stock	1,255.16		1,188.23	
In transit	-	1,255.16	-	1,188.23
e) <i>Loose Tools:</i>				
In stock	1.04		0.91	
In transit	-	1.04	-	0.91
f) <i>Packing Materials:</i>				
In stock	145.78		92.85	
In transit	-	145.78	-	92.85
g) <i>Coal:</i>				
In stock	849.01		1,476.36	
In transit	-	849.01	-	1,476.36
h) <i>Scrap:</i>				
In stock	184.44		365.56	
In transit	-	184.44	-	365.56
Sub total		11,973.80		14,319.82
Less: Provision for Unrealisable inventory	10.49		10.49	
Total		11,963.31		14,309.33

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
20 Trade Receivables		
a) <i>Outstanding for a period exceeding six months</i>		
Secured, Considered Good	0.43	-
Unsecured, Considered Good	109.78	161.51
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful receivables	- 110.21	- 161.51
b) <i>Others</i>		
Secured, Considered Good	43.99	87.24
Unsecured, Considered Good	387.81	691.96
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful receivables	- 431.80	- 779.20
Total	542.01	940.71
21 Cash & Bank Balances		
Cash in hand	0.58	1.70
Cheques in hand	-	-
Balance with Banks:		
- In Current Account	763.13	689.58
- Fixed Deposits	10,250.20	5,817.23
- Fixed Deposits Held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of Credit	2,571.94	2,624.98
Total	13,585.85	9,133.49

Note:

Bank Deposits include deposits of Rs.1021.46 lakh (Previous Year: Rs. 1673.82 lakh) whose maturity period is more than 12 months.

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
22 Short-term Loans and Advances		
a) Capital Advances		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
b) Deposits: Central Excise		
Secured, Considered Good	18.00	30.42
Unsecured, Considered Good	17.80	17.80
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	35.80	48.22
c) Deposits: Others		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	470.35	459.62
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	470.35	459.62
d) Contractors & Suppliers		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	992.23	332.66
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	992.23	332.66
e) Balance with Govt. Department		
Secured, Considered Good	594.30	407.12
Unsecured, Considered Good	702.55	1,226.65
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	1,296.85	1,633.77
f) Insurance and Other claims		
Secured, Considered Good	9.11	7.22
Unsecured, Considered Good	138.82	87.24
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	147.93	94.46
g) Loans & Advances to Employees		
Secured, Considered Good	7.35	7.57
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	7.35	7.57

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
h) Claims Recoverable- Railways		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
i) Excise Duty Relief Recoverable		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	52.17	52.17
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	52.17	52.17
j) Recoverable from Employees		
Secured, Considered Good	11.26	11.02
Unsecured, Considered Good	6.29	7.06
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	17.55	18.08
k) Recoverable from Outside Parties		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	362.11	366.29
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	362.11	366.29
l) Shortage, Losses Pending Investigation		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
Total	3,382.34	3,012.84
23 Other Current Assets		
Interest Accrued on Term Deposits	406.60	382.04
Recoverable from outside parties	865.35	841.22
Total	1,271.95	1,223.26

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2021		Year ended March 31, 2020	
24 Other Income				
Refund under budgetary support		-		261.68
Rent from Property		2,082.31		3,483.14
Interest on:				
- Fixed deposits with banks		608.75		811.80
- Others		50.27		46.67
Receipts from Township		47.97		40.57
Excess Provision written back		616.52		168.05
Miscellaneous Income		72.98		65.49
Profit on sale of discarded Assets		1.14		24.68
Total		3,479.94		4,902.08
25 Cost of Raw Materials Consumed				
Opening Balance		1,188.23		1,011.60
Acquisition during the year:				
Limestone Raising, Quarrying & Transportation (1)		3,155.91		2,745.28
Other Raw Materials Purchased		1,968.91		2,180.05
Adjustment of Raw material		-	6,313.05	-
Less:				
Closing Stock		1,255.16		1,188.23
Raw Materials Consumed		5,057.89		4,748.70
(1) Limestone Raising, Quarrying & Transportation				
Limestone Raising & Payment to Contractors		872.76		592.37
Employees Remuneration & Benefits				
Salaries, Wages and Bonus		343.69		371.11
Gratuity paid		40.40		103.39
Benefits to Employees		0.14		0.29
Contribution to Provident Fund		24.25		23.41
Contribution to Pension Fund		4.97		6.78
Leave Encashment		16.45		31.63
Medical Expenses		3.24		5.13
Provision for Gratuity		-		1.97
Provision for Earned Leave		7.65	440.79	3.65
				547.36
Stores Consumed				
Gross Amount		205.48		183.46
Less: Amount included under Repairs		9.63	195.85	22.50
				160.96
Power		51.20		71.81
Fuel		77.83		85.46

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2021		Year ended March 31, 2020	
Rates and Taxes	14.33		20.65	
Payment to Contract Labour	342.72		340.84	
Royalty and Cess	1,204.37		870.58	
Quarry Development Expenditure written off	258.32		181.49	
Travelling Expenses	0.18		4.48	
Insurance	0.48		0.52	
Other Expenses	12.46	1,961.89	21.84	1,597.67
Repairs				
- Machinery	3.02		18.46	
- Building	0.05		-	
- Others	6.55	9.62	4.04	22.50
Sub Total		3,480.91		2,920.86
Less: Quarry Development Expenditure		325.00		175.58
Total		3,155.91		2,745.28

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2021		Year ended March 31, 2020	
26 Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade				
Semi Finished Goods				
- Opening Stock	4,104.24		4,122.21	
- Closing Stock	2,547.49	1,556.75	4,104.24	17.97
Finished Goods				
- Opening Stock	659.28		273.83	
- Closing Stock	374.17	285.11	659.28	(385.45)
Finished Goods in transit				
- Opening Stock	1.57		6.98	
- Closing Stock	102.55	(100.98)	1.58	5.40
Scrap Stock				
- Opening Stock	365.56		287.91	
- Closing Stock	184.44	181.12	365.56	(77.65)
Total		1,922.00		(439.73)
27 Employee Benefits Expenses				
Salary, Wages and Bonus		4,172.08		3,669.34
Gratuity Paid		470.82		527.93
Benefits to Employees		26.09		5.16
Leave Encashment		277.45		326.35
Contribution to Provident Fund		295.62		290.26
Contribution to Pension Fund		46.48		59.90
Medical Expenses		164.37		207.30
Provision for Earned Leave		67.23		74.40
Provision for Gratuity		0.59		60.06
Staff Welfare Expenses		151.12		268.95
Sub Total		5,671.85		5,489.65
Less: Employee Benefits Expenses transferred to IEDC		-		-
Total		5,671.85		5,489.65

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2021		Year ended March 31, 2020	
28 Other Expenses				
Power	6,545.50		5,566.44	
Coal	11,459.62		7,455.33	
Fuel Oil	0.17		2.69	
Rent	50.02		32.92	
Rates & Taxes	139.95		120.05	
Insurance	38.48	18,233.74	23.31	13,200.74
Repairs & Maintenance				
- Plant & Machinery	1,374.58		1,533.79	
- Buildings	112.66		164.59	
- Others	247.90	1,735.14	224.60	1,922.98
Other Production Expenses		486.21		1,266.37
Tools & Tackles Written off		0.52		0.45
Travelling Expenses		44.86		102.28
Selling Expenses				
- Freight on Cement	3,210.95		1,784.72	
- Handling Charges	188.23		134.02	
- Godown Charges	65.77		85.73	
- Sales Promotion & Publicity	33.33		26.76	
- Other Selling Expenses	28.54	3,526.82	7.84	2,039.07
Vehicle Running Expenses		15.24		27.95
Auditors' Remuneration				
- For Audit Fee	7.78		7.75	
- For Reimbursement of Expenses	1.16		1.81	
- In Other Capacity	2.31	11.25	2.41	11.97
Cost Auditors' Remuneration				
- For Audit Fee	1.06		1.10	
- For Reimbursement of Expenses	-	1.06	0.05	1.15
Subscription to CRI & Others		8.05		8.55
Communication Expenses		18.84		21.23
Printing & Stationery		21.44		19.33
Hire Charges for Data Processing		0.34		11.06
Legal & Professional Expenses		109.62		195.60
Security Expenses		739.65		703.44
Interest on deposits from Stockists/Others		374.01		146.74
Training of Workers & Supervisors		1.16		0.59
Miscellaneous Expenses (1)		263.86		564.95
Payment to Contract Labour		1,398.09		1,249.81
Expenses on closed project		22.46		25.88
Provision for doubtful receivables & advances		-		13.09
Prior period Expenses (Net) [Refer Note No.31B]		1,314.60		5.36
Corporate Social Responsibility		-		44.45
Consumption of Stores & Spare Parts:				

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2021		Year ended March 31, 2020	
- Gross Amount	1,788.51		1,884.77	
- Less: Includes under Repair & Maintenance Packing Materials	1,184.96	603.55	1,206.47	678.30
		1,150.83		809.38
Sub Total		30,081.34		23,070.72
Less: Power expenses transferred to IEDC		0.50		0.55
Less: Legal and Professional expenses transferred to IEDC		-		3.75
Less: Security expenses transferred to IEDC		21.36		20.34
Less: Miscellaneous expenses transferred to IEDC		0.76		1.43
Total		30,058.72		23,044.65
(1) Includes:				
- Entertainment Expenses		-		0.06
- Director Sitting Fees		-		0.06
29 Finance Cost				
Other Borrowing Cost				
- Others		-		-
Total		-		-
30 Depreciation and Amortisation Expense				
Depreciation/ Amortisation of tangible assets		1,641.14		765.76
Less: Amount charged to Prior Period		727.96		0.54
Sub Total		913.18		765.22
Less: Depreciation transferred to IEDC		0.14		0.14
Total		913.04		765.08

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2021		Year ended March 31, 2020	
31 Exceptional, Extraordinary Items and Adjustment Relating to Past Years				
31A Exceptional Items				
Income:				
Waiver of Interest etc.		-		-
Sub total		-		-
Expenses:				
Interest on Mining Lease Rent		-		1,320.77
Sub total		-		1,320.77
Net Exceptional Items Income/(Expenses)		-		(1,320.77)
31B Prior Period Items				
Income:				
Interest		-		36.35
Others	17.41	17.41	13.73	50.08
Total		17.41		50.08
Expenses:				
Repairs & Maintenance	0.95		-	
Rates & Taxes	5.24		5.84	
Royalty	-		9.69	
Depreciation & Ammortisation	727.96		0.54	
Interest	589.55		0.00	
Others	8.31	1,332.01	39.37	55.44
Total		1,332.01		55.44
Net Prior Period Income / (Expense)		(1,314.60)		(5.36)

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

31C Statement of Revenue & Expenses of Continuing and Discontinuing Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
A Revenue:						
Turnover (Net)	41,176.61	24,761.69	-	-	41,176.61	24,761.69
Other Operating Revenue	282.51	110.61	-	60.65	282.51	171.26
Accretion/Decretion to Semi-Finished Goods & Finished Goods	(1,921.99)	442.01	-	(2.28)	(1,921.99)	439.73
Total	39,537.13	25,314.31	-	58.37	39,537.13	25,372.68
B Expenses:						
Operating Expenses	40,503.93	33,143.28	1,197.56	904.80	41,701.49	34,048.08
Total	40,503.93	33,143.28	1,197.56	904.80	41,701.49	34,048.08
C Profit/(Loss) Before Interest & Tax from Operating Activities	(966.80)	(7,828.97)	(1,197.56)	(846.43)	(2,164.36)	(8,675.40)
Interest Expenses	-	-	-	-	-	-
D Profit/(Loss) Before Tax	(966.80)	(7,828.97)	(1,197.56)	(846.43)	(2,164.36)	(8,675.40)
Income Tax	-	-	-	-	-	-
E Profit/(Loss) from Operating Activities After Tax	(966.80)	(7,828.97)	(1,197.56)	(846.43)	(2,164.36)	(8,675.40)
Other Income	3,312.03	3,261.81	167.89	1,640.27	3,479.92	4,902.08
F Exceptional Items- Income/(Expenses)	-	-	-	(1,320.77)	-	(1,320.77)
G Net Profit / (Loss) from Operating Activities	2,345.23	(4,567.16)	(1,029.67)	(526.93)	1,315.56	(5,094.09)

(₹ in Lakhs)

	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
32 Contingent Liabilities and Commitments (To the extent not provided for)		
A) Contingent Liabilities		
(i) Claims against the company not acknowledged as debts		
a) Income Tax Demand	8.57	9.22
b) Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	813.89	813.89
c) Bokajan Expansion Contract	12,060.00	12,647.68
d) Arbitration Matter	751.29	751.29
e) Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara	1,151.50	1,151.50
f) Power wheeling charges etc. in respect of Units	24,214.52	17,637.04
g) Others- Miscellaneous Cases	6,473.15	6,451.88
(ii) Other money for which company is contingently liable	-	-
Sub Total	45,472.92	39,462.50
B) Commitments		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on the capital accounts and not provided for	0.94	270.00
Sub Total	0.94	270.00
Total (A+B)	45,473.86	39,732.50

Note:

Effect for cases lying in various courts for compensation/ Promotion/claims of employees for service matters etc. has not been given in the Books of Accounts as the amount thereof is unascertainable.

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2021		Year ended March 31, 2020	
33 Quantitative Details				
1 Actual Production				
Portland Cement				
- Ordinary	679,875.00	M Tonnes	446,946.78	M Tonnes
- Pozzolana	213,510.00	M Tonnes	137,637.00	M Tonnes
	893,385.00	M Tonnes	584,583.78	M Tonnes
2 Clinker (A pre cement stage material & not an additional product)				
- Own manufactured	807,770.00	M Tonnes	492,960.00	M Tonnes
- Purchased	-	M Tonnes	34,281.81	M Tonnes
3 Cement Despatches	896,465.62	M Tonnes	576,952.56	M Tonnes
	Quantity in	Value In	Quantity in	Value In
	M. Tonnes	Rs. Lakh	M. Tonnes	Rs. Lakh
4 Opening Stock				
a) Cement				
i) Stock at Factory				
- Cement OPC	9,786.18	334.06	2,299.64	98.23
- Cement PPC	1,947.29	92.72	1,802.60	70.18
ii) Stock at Dumps				
- Cement OPC	4,207.55	205.24	2,238.20	98.12
- Cement PPC	-	-	-	-
iii) Stock in Transit				
- Cement OPC	30.00	1.58	160.00	6.98
- Cement PPC	-	-	-	-
iv) Damaged Cement				
- Cement OPC	6,253.44	27.26	5,090.15	7.30
- Cement PPC	3,015.50	-	3,015.50	-
Sub Total	25,239.96	660.86	14,606.09	280.81
b) Clinker (Own manufactured)	140,598.88	2,944.87	160,234.90	3,257.87
Clinker (Purchase)	0.80	0.04	-	-
Sub Total	140,599.68	2,944.91	160,234.90	3,257.87
5 Net Sales including self consumption/Transfer etc.				
i) Cement OPC	637,784.91	32,783.39	476,594.42	19,775.86
ii) Cement PPC	258,607.58	8,386.46	97,265.30	4,963.73
iii) Cement used for testing	0.04	-	0.59	-
iv) Cement shortage during transit	57.23	-	67.55	-
v) Self Consumption OPC	160.00	5.00	22.06	0.89
vi) Self Consumption PPC	32.00	1.76	-	-
	896,641.76	41,176.61	573,949.92	24,740.48
v) Clinker	-	-	517.02	21.21
6 Closing Stock				
a) Cement				
i) Stock at Factory				
- Cement OPC	4,223.71	139.63	9,786.18	334.06
- Cement PPC	4,429.14	152.75	1,947.29	92.72

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2021

(₹ in Lakhs)

	Year ended March 31, 2021		Year ended March 31, 2020	
ii) Stock at Dumps				
- Cement OPC	1,470.80	52.39	4,207.55	205.24
- Cement PPC	876.00	29.40	-	-
iii) Stock in Transit				
- Cement OPC	1,447.30	50.37	30.00	1.58
- Cement PPC	1,632.50	52.18	-	-
iv) Damaged Cement				
- Cement OPC	4,888.25	-	6,253.44	27.26
- Cement PPC	3,015.50	-	3,015.50	-
Sub Total	21,983.20	476.72	25,239.96	660.86
b) Clinker (Own manufactured)	116,129.68	2,046.65	140,598.88	2,944.87
Clinker (Purchase)	-	-	0.80	0.04
Sub Total	116,129.68	2,046.65	140,599.68	2,944.91
7 Others				
i) Clinker Transferred to /(from) other units	-	-	-	-
ii) Cement Sold as Scrap	-	-	-	-
iii) Clinker Sold as Scrap	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
8 Clinker used for Cement Grinding	832,240.00	25,445.01	546,360.01	18,659.91
9 Raw Materials Consumed				
i) Limestone	1,161,965.00	3,064.04	722,767.00	2,741.47
ii) Laterite	2,132.00	7.79	2,054.00	9.84
iii) Iron Ore	20,879.00	808.92	10,445.00	368.83
iv) Gypsum	23,563.00	549.40	12,363.00	259.79
v) Shale	43,899.75	110.99	21,359.00	58.09
vi) Fly Ash	44,042.00	399.09	29,474.00	275.53
vii) Clinker (Purchase)	0.80	0.04	34,281.01	963.44
viii) Burnt Clay	586.00	5.38	169.00	1.48
ix) Others	16,404.25	112.24	20,359.14	70.23
Total	-	5,057.89	-	4,748.70
10 Value of Imports Calculated on CIF Basis in respect of:				
i) Raw Materials	-	-	-	-
ii) Components and Spare Parts	-	-	-	-
iii) Capital Goods	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
11 Directly Imported and indigenously available Raw materials, Spare parts consumed and the percentage of each to the total consumption :				
Directly Imported	0.72%	49.03	0.53%	35.02
Indigenously Available	99.28%	6,797.34	99.47%	6,598.32
	100.00%	6,846.37	100.00%	6,633.34

34 Notes Forming Part of Financial Statements

34.01 The claims/ counter claims lodged by the Corporation for Rs. 1,04,581.50 lakh (Previous year Rs. 1,04,454.74 lakh) are under arbitration/ pending in various Courts etc., and the outcome will be known only on award/ decree etc. Hence effects are not given in the Accounts.

34.02 Under section 143(3), Income Tax Department, for the Assessment Years 2006-07 and 2007-08, assessed income of Rs.88,500.88 lakh and Rs.8,798.64 lakh respectively and adjusted the same with brought forward losses. As a result, the assessed losses of the company reduced to Rs.97,299.52 lakh. The company had filed appeals and Appellate Authority had reverted back the case to Assessing Officer. Consequently, the Assessing officer recomputed the Total Income to Rs.8,852.22 lakh due to the addition w.r.t disallowance of depreciation on Plant and Machinery of Non Operating Units. Hence, the assessed loss of the company now stands reduced by Rs.53.58 lakh making the cumulative carried forward loss to Rs.97,353.09 lakh. The company has filed an appeal against the disallowance of Rs.53.58 lakh and the same is pending with Appellate Authorities.

34.03 The contract of Bokajan Expansion, including Silchar Unit, had been awarded to M/s Promac Engineering Industries Limited, Bangalore (Contractor) in the year 2010 for Rs. 18208 lakh. M/s Promac Engineering Industries Limited revoked the arbitration clause as per work order. CCI also lodged counter claim for loss/damage suffered due to non-execution of Bokajan Expansion work including Silchar for Rs. 93,013.28 lakh against the contractors claim of Rs.12,060.00 lakh. Work Order issued to the party has been cancelled. As per terms of contract, Arbitrator has been appointed and arbitration proceedings has started.

34.04 Title deeds for land measuring 1.06 acres (Mandhar), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75 acres (Akaltara), 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for

155.83 acres (Nayagoan) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. DHI has given the direction for disinvestment of Non-operating Units.

Delhi Development Authority (DDA) allotted land measuring 20.94 acres of lease hold land to CCI for setting up of a Grinding Unit and Railway siding.

DDA vide their letter dated 11-04-2017, suo moto transferred CCI's Lease hold land measuring 14.20 acres meant for setting up the Grinding Unit to South Delhi Municipal Corporation (SDMC). The cost of land of 14.20 acres is now transferred to 'Recoverable from outside parties' as the same is recoverable from SDMC/DDA. DHI Vide letter in 2018 directed CCI to negotiate with SDMC for compensation in terms of money. The matter was also discussed in a meeting dated 16.05.2019 in NITI Ayog. Remaining 6.74 acres of land allotted for construction of Railways sidings for CCI was given to Railways to construct the Railway siding. Pending Construction of the railway siding work, the land along with siding is not yet handed over to CCI.

34.05 Mining lease is deemed to have been granted for all the Govt. Company as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03-12-2015. Accordingly, mining leases of CCI are deemed to have been granted and is still valid.

34.06 The acquisition of Government lands outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No.7 measuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department, Provision if any for this consideration is not made in the accounts.

34.07 The shares of various Companies (Face Value of Rs. 37.79 lakh), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of Rs. 214.00 lakh taken by him, have been taken possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at Rs.2.80 lakh (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.

34.08 The Office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of Rs. 266.58 lakh excluding Electrical Installation of Rs. 5.70 lakh, is being amortized provisionally by way of depreciation, considering as a deemed owner. However, the execution of lease deed in favour of Corporation is pending.

34.09 A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25-04-1996. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 08-08-1996. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03-05-2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/ technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. After closure of Hon'ble BIFR, the sale of non-operating unit is undertaken through DHI as per DIPAM guidelines. As per direction, sale of non-operating units is required to be taken place in two phases for which Assets Valuer, Transaction Advisor and Legal Advisor have been appointed. PIM (Preliminary Information Memorandum) for five units has been prepared. Expression of Interest for Nayagaon Unit has been published. Hence, the assets and liabilities of Nayagaon Expansion (1 million tonne plant), to the extent identified as directly related to operation, has been transferred to Nayagaon Cement Factory with effect from 01-04-2019. Similarly, the liabilities of Nayagaon Cement Factory, other than as mentioned earlier, has been transferred to Nayagaon Expansion (1 million tonne plant).

34.10 (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.

(ii) Plan Loan from Government of India since 1975 (interest free) amounting to Rs.15,090.07 lakh (Previous year: Rs. 15,090.07 lakh) will be repaid from the sale proceeds of seven non-operating units as per the sanctioned scheme dated 03-05-2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of Rs. 12,385.27 lakh on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been frozen with effect from 01-04-2011. The Company is in default in towards repayment to this extent. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.

34.11 Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

Sl.	Unit Name	State	Discontinued from
i)	Mandhar	Chatisgarh	Thursday, June 06, 1996
ii)	Charkhi Dadri	Haryana	Wednesday, August 14, 1996
iii)	Akaltara	Chatisgarh	Monday, December 09, 1996
iv)	Nayagaon & Nayagaon Expansion	Madhya Pradesh	Monday, June 30, 1997
v)	Kurkunta	Karnataka	Sunday, November 01, 1998
vi)	Adilabad	Telangana	Thursday, November 05, 1998
vii) a)	Delhi	Delhi Grinding Unit	Monday, February 08, 1999
vii) b)	Bhatinda	Punjab Grinding Unit	Not Commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 and sanctioned scheme circulated on 03-05-2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure / sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of any

potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

- 34.12** The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s. India Cements Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.
- 34.13** During implementation of Rehabilitation Scheme, Non-cumulative Preference Share of Rs. 35,543.25 lakh was issued on 22-03-2007 for seven years, further extension for reissue of Preference Share has been sought from the Ministry as per Cabinet/ BIFR direction.
- 34.14** Deferred Tax Assets/ Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.
- 34.15** For classification of liabilities into current and non-current, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.

34.16 Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under Accounting Standard-17 is not applicable.

34.17 As per the letter from Ministry of Environment, Forest and Climate Change dated 01-04-2015 to all State Governments, DFO, Poanta Sahib, Himachal Pradesh State Government raised a demand of Rs.1455.94 Lakh towards Net Present Value (NPV) of forest land and Rs.849.31 Lakh towards interest on NPV from the year 2017-18. Subsequently, the above payment has been made. Accounting entry for the payment has been made as per the accounting policy.

34.18 As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29-05-2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' has been sent to DHI for approval. As on date, the necessary approval from DHI is still awaited. Employee Benefits Expenses includes provision on this account.

34.19 Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 6 & 10.

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance		Adjustment/Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Gratuity	3261.99	3382.06	400.38	199.24	0.58	79.17	2862.19	3261.98
Bonus	8.80	11.04	0.70	3.08	0.73	0.84	8.83	8.80
Capital work-in-progress	10.57	10.57	2.76	-	2.76	-	10.57	10.57
E.L. Liability	1768.79	1700.28	60.09	10.38	67.23	78.89	1775.93	1768.79
Others	1747.20	1871.41	386.50	393.91	917.20	445.17	2277.90	1922.67

34.20 Details of interest due / paid to Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs)

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	730.58	323.36
2	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	367.39	351.59
3	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	-	-
4	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	-	-
5	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	15.80	13.42
6	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	365.00	351.59

34.21 Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of Provident Fund (P.F.) at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability for gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated Earned Leave (EL), Half Pay Leave (HPL) etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefits

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependents at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summary of various defined benefits recognised in the statement of Profit and Loss and Balance Sheet are as under:

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
a)	Current Service Cost	123.09	150.01	125.17	128.29	0.79	0.79
b)	Interest Cost	210.64	248.09	117.35	127.93	1.06	1.29
c)	Net actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	(245.94)	113.15	46.65	157.73	1.58	0.11
d)	Expenses recognised in the Statement of Profit & Loss	87.79	511.25	289.17	413.95	3.44	2.19

B. Amounts recognized in Balance Sheet

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
a)	Present value of obligation as at the end of the period	2748.83	3148.62	1761.17	1754.03	15.80	15.88
b)	Funded status/Difference	(2,748.83)	(3,148.62)	(1,761.17)	(1,754.03)	(15.80)	(15.88)
c)	Net asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	(2,748.83)	(3,148.62)	(1,761.17)	(1,754.03)	(15.80)	(15.88)

C. Change in present value obligation

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
a)	Present value of obligation as at the beginning of the year	3148.62	3268.70	1754.03	1685.53	15.88	17.04
c)	Current Service Cost	123.09	150.01	125.17	128.29	0.79	0.79
b)	Interest Cost	210.64	248.09	117.35	127.93	1.06	1.29
d)	Benefits Paid	(487.58)	(631.33)	(282.02)	(345.45)	(3.52)	(3.35)
e)	Actuarial (Gain)/Loss on obligation	(245.94)	113.15	46.65	157.73	1.58	0.11
	Present value of obligation as at the end of the year	2748.83	3148.62	1761.17	1754.03	15.80	15.88

D. Amount for the current period

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
a)	Present value of obligation as at the end of the year	2748.83	3148.62	1761.17	1754.03	15.80	15.88
b)	Surplus/(Deficit)	(2,748.83)	(3,148.62)	(1,761.17)	(1,754.03)	(15.80)	(15.88)

E. Actuarial Assumptions

(₹ in Lakhs)

Sl.	Description	As at 31 March 2021	
i)	Retirement age	60 years	
ii)	Age	Withdrawal Rate	%age
		Upto 30 years	0%
		From 31 to 44 years	1%
		Above 44 years	1%
iii)	Discounting rate	6.70%	
iv)	Future salary increase	6.00%	
v)	Expected return on Plan Assets	Nil	

34.22 Balances shown under advances, trade payable and trade creditors etc. are subject to confirmation/reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny for adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.

34.23 The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) as per Companies Act, 2013 is given below. The total amount spent is shown in Note No. 28.

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31-03-2021	Year Ended 31-03-2020
i)	Average net profit of Corporation for last three years	(886.70)	2222.33
ii)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under Companies Act, 2013)	NA	44.45
iii)	Total amount spent during the year as given below	-	44.45
iv)	Amount unspent (ii - iii)	-	-

Details of the amount spent during the year

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Already paid		Yet to be paid		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	Construction/Acquisition of any assets	-	-	-	-	-	-
b)	On purposes other than above PM CARES and State Govt. Funds	-	44.45	-	-	-	44.45
	Total	-	44.45	-	-	-	44.45

34.24 In accordance with Accounting Standard-18 'Related Party Disclosures' of the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006, it is certified by the Management that no Related Party Transactions have been made during the year. The details of remuneration paid to Key Managerial Personnel are given below:

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Designation	Year Ended 31-03-2021	Year Ended 31-03-2020
1.	Sh. B V N Prasad	Chairman & Managing Director	37.43	35.06
2.	Sh. S.Sakthimani	Director (Fin)/ CFO Upto 06-03-2021	32.86	32.24
3	Sh. PM Chandraiah*	Director (Fin) From 30-03-2021	-	-
3.	Sh. Ajay Kumar Sharma	Company Secretary	16.91	16.25

* Sh. P.M. Chandraiah has taken additional charge of Director (Finance) in Cement Corporation of India Limited with effect from 30th March, 2021.

In addition, C&MD and full time Directors are also allowed to use company vehicle for non-duty journey upto 1000 kms. per month on payment of Rs.2000/- per month.

34.25 The Earnings Per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as under:

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31-03-2021	Year Ended 31-03-2020
a)	Net Profit after tax for the year (Rs. Lakh)	1,315.56	(5,094.09)
b)	Less: Extraordinary/Exceptional items (Rs. Lakh)	-	(1,320.77)
c)	Less: Dividend on Non- Cumulative Preference Shares (Rs. Lakh)	3.55	3.55
d)	Net Profit after tax attributable to Equity Share Holders (Rs. Lakh)	1,312.01	(3,776.87)
e)	Number of Equity Shares outstanding during the year	4,559,749	4,559,749
f)	Face Value of Equity Share (Rs.)	1,000.00	1,000.00
g)	Basic Earnings Per Share (Rs.)	28.77	(82.83)
h)	Diluted Earnings Per Share (Rs.)	28.77	(82.83)

34.26 Figures of the previous years have been split up and regrouped, wherever necessary, so as to correspond to the current year figures.

For **Mahalwala & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No. 005823N

Sd/-
(CA Manoj Gupta)
Partner
Membership No. 089370

Date: 09-12-2021
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN No. 09353339

Sd/-
(Raj Pal Singh)
Director (Finance)
DIN No. 08750557

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary

Sd/-
(Manoj Kumar Patra)
AGM (Finance)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कारपोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली- 110 002



OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI- 110 002

संख्या: ए.एम.जी-III/2(36)/वार्षिक
लेखे/ सीसीआई(2020-21)/2021-22/459

दिनांक: 04 FEB 2022

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अग्रेषित है।

Further, Director Identification Numbers (DIN) were not mentioned against the Directors who signed the financial statements which led to non-compliance of Section 158 of Companies Act 2013. This deficiency needs to be corrected at the time of printing of Annual Report as assured by the Management while furnishing replies to Provisional Comments.

भवदीया,

(रिना अकोइजम)

महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone:- +91-11-23702357, फैक्स / Fax: +91-11-23702359, E-mail: pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 17 January 2022 which supersedes their earlier Audit Report dated 09 December 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the Statutory Auditor's report, to give effect to three of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**



**(Rina Akoijam)
Director General of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi**

Place: New Delhi

Date: 04/02/2022

Our Employees-Our Greatest Asset

Employees are the heartbeat of the Company.

CCI has a dedicated team of more than 450 employees all over India, who toil round the clock for better productivity for the Company. CCI has adopted progressive policies in scientific planning, acquisition, utilization, training and motivation of the team. At CCI, everybody matters; every person adds something or the other to the Company's success.

Our Employees are the backbone of our organization. CCI believes that investment in people improves the performance of the organization and developing staff is one of the most effective motivator for retaining them. s

CCI feels that there is always an economic link between employee satisfaction and company financial performance. A happy workplace culture does translate into better stock returns.

Happy employees = Happy Customers = Happy Stakeholders

HR policies at CCI revolve around the basic tenet of creating a highly motivated, vibrant & self-driven team. The Company cares for each and every employee and has in-built systems to recognise and reward them periodically. Since, CCI believes in equality, women employees are encouraged to apply and various workshops are organized for the employees including programme on gender sensitization and gender equality.

“Human Resources” are of vital importance and significance to an enterprise and constitute a primary segment of the total resources held. A peculiar aspect of “Human Resources” is that while these have infinite potential yet whatever is realised out of this resource is generally akin to the tip of the iceberg the remaining whole lot lying submerged untapped. Deliberate efforts have therefore, to be made to augment the gap between 'Actual' and 'potential' “Human resources” may also be branded as “Mother Resources” through the medium of which other scarce resources viz. Machines, material, money are organised, co-ordinated, directed and controlled. Maximum realization of the Potentialities of this “Mother Resources” is of crucial importance for the success of an enterprise. The in-house management and leadership styles the participative, collaborative and supportive climate, the motivational environment, care concern and fellow feelings for each other, the freedom and flexibility to operate within given frame-work of organisational goals and objectives productivity oriented performance yard sticks and continued management's positive awareness for training & development effort to keep the threat of human obsolescence at bay are some of the essential inputs for tapping this resource of human assets. Besides, the human resources, the highly perishable by mere efflux of time unless they are effectively and meaningfully put to use continually.

A good insight into existing human potential can be well perceived through the profile of the human power distributed profession wise and age wise around 65 % of the total employees' strength of CCI represent technically and professionally qualified, degree/diploma holders. As such 52.8% of total strength of the organisation falls in the age group of 26-50 year. The Broad distribution of CCI's human force is as under:

Sl.No.	Particulars	Professional Profile	
		No. of Employees	
		As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
1	PHDs	1	1
2	Post Graduate Engineers	1	1
3	Graduate Engineers	79	81
4	MBA's	26	29
5	Professional Diploma Holders	15	16
6	Post Graduate	25	29
7	CA/ICWA/SAS/ACS	12	11
8	Engineer Diploma Holders	49	52
9	Graduate	65	70
10	ITI Certificate Holders	107	92
11	Others	106	122
	Total	486	504

The Age wise and category wise distribution of employees as on 31.03.2021

Row Labels	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	Grand Total	Average Age
EXE.		5	26	29	10	14	22	38	144	46
SUP.		13	18	7	2	2	19	60	121	49
WORKER	5	27	36	34	20	9	38	52	221	48
Grand Total	5	45	80	70	32	25	79	150	486	48

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
	REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.				No. of appointments made during the calendar year									
	(AS ON 01/01/2021)				By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation / Absorption		
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A-TOT	146	16	2	29	5	1	0	2	20	3	2	0	0	0
Group B-TOT	126	15	8	24	0	0	0	0	44	9	3	0	0	0
NOU														
Group C-TOT	205	42	25	59	34	9	3	15	26	6	3	0	0	0
GROUP D-TOT	20	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	497	76	38	118	39	10	3	17	90	18	8	0	0	0

NAME OF THE UNIT		CCI LIMITED																
Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2021																		
Group-wise manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2021																		
Groups	NUMBER OF EMPLOYEES	DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)						PROMOTION										
	(AS ON 01/01/2021)	NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)			NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)							
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH
Group A	146	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	126	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	205	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Group D	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	497	0	0	3	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)																		
ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)																		
iii) OH stands for orthopodically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)																		

Salient features of our Units

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhillai Steel Plant.

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (In lakhs)	(129)	(91)	(37)

The production remained suspended due to unit being unviable.

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (in lakhs)			
Profit/(Loss) (in lakhs)	(166)	(105)	7

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighboring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from 1st April, 1977.

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	1.04	0.87	0.84
Value of Production (in lakhs)	5914	4808	4761
Profit/(Loss) (in lakhs)	(668)	(1475)	(1092)

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.48	0.98	1.44
Value of Production (in lakhs)	6514	6020	5872
Profit/(Loss) (in lakhs)	(2342)	(776)	(965)

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			-
Value of Production (in lakhs)			-
Profit/(Loss) (in lakhs)	(186)	(1061)	44

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)			-
Value of Production (in lakhs)			-
Profit/(Loss) (in lakhs)	(92)	(555)	433

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			-
Value of Production (in lakhs)			-
Profit/(Loss) (in lakhs)	(64)	1500	1174

The production remained suspended due to unit being unviable.

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)			-
Value of Production (in lakhs)			-
Profit/(Loss) (in lakhs)	(153)	(20)	37

The production remained suspended due to unit being unviable

ADILABAD (Distt. Adilabad, Telengana)

This unit went into commercial Production from April, 1984

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			-
Value of Production (in lakhs)			-
Profit/(Loss) (in lakhs)	(240)	(196)	288

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	2020-21	2019-20	2018-19
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	6.41	4.00	4.07
Value of Production (in lakhs)	26827	14376	16604
Profit/(Loss) (in lakhs)	5355	-2316	746

57^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

	पृष्ठ सं.
निदेशक गण	101
अध्यक्ष का भाषण	104
निदेशक की रिपोर्ट	106
प्रबन्धन के साथ चर्चा और विश्लेषण	128
निगमित शासन पर रिपोर्ट	136
सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	138
निष्पक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तर	143
वार्षिक लेखे 2020-21	155
कैश विवरणी	157
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं समीक्षा	191
हमारे कर्मचारी-हमारी महानतम परिसंपत्तियां	193
यूनिटों की प्रमुख विशेषताएं	195



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

लेखापरीक्षा समिति

श्रीमती सुकृति लिखी (अध्यक्ष)
श्री बी.पी.एन. प्रसाद (सदस्य)
श्रीमती अल्का तिवारी (सदस्य)

सांविधिक लेखापरीक्षक

प्रधान लेखापरीक्षक
मैसर्स महलवाला एंड क.
सनदी लेखाकार
ई-97, एलजीएफ ग्रेटर कैलाश-।
नई दिल्ली-110048

पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति विद्यमान नहीं है।

पंजीकृत कार्यालय

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
कोर 5, स्कोप कॉम्प्लैक्स
7, लोधी रोड नई दिल्ली-110003
सीआईएन सं. U74899DL1965GOI004322

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स रायपेल्ली रमेश एंड कं.
सनदी लेखाकार,
आदिलाबाद-504001

मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार,
नई दिल्ली-110001

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार,
4ए, पॉकेट 2
मिक्स हाउसिंग स्कीम,
न्यू कोडली, मयूर विहार-।।।
नई दिल्ली-110096

मैसर्स एसआरपी एंड कं.
सनदी लेखाकार,
रोहतक-124507

मैसर्स सी. वेंकट कृष्णा एंड कं.
सनदी लेखाकार,
हैदराबाद-500034

मैसर्स आर कुमार अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार,
रायपुर-493118

मैसर्स गुप्ता मस्कारा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
गुवहाटी-781001

मैसर्स मनीलाल शाह एंड कं.
सनदी लेखाकार,
कलबुर्गी-585101

मैसर्स पूर्ति एंड कं.
सनदी लेखाकार,
रायपुर-494334

मैसर्स बंदोपाध्याय भौमिक एंड कं.

लागत लेखाकार,
126-डी, सत्येन रॉय रोड
कोलकाता-700034

मैसर्स पीकेआर एंड एसोसिएट्स

लागत लेखाकार,
प्लॉट सं. 80/ए, फ्लैट सं. 402
वेस्टर्न हिल्स, प्रगति नगर रोड,
हैदराबाद, तेलंगाना-500085

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा

निदेशक गण



श्री संजय बंगा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री आर.पी. सिंह
निदेशक (वित्त)
(अतिरिक्त प्रभार)



श्रीमती निधि छिबेर
सरकार द्वारा नामित निदेशक,
अवर सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय



श्री बी.पी. सत्पथी
सरकार द्वारा नामित निदेशक,
उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय



डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अरली
स्वतंत्र निदेशक



डॉ. मंजू बघेल
स्वतंत्र निदेशक



श्री अजय कुमार शर्मा
कम्पनी सचिव

एजीएम की तिथि के अनुसार

प्रमुख पदधारी



श्रीमती अल्पना शुक्ला राव
मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री साजू एस. डोमिनिक
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)



श्री बी.एम. महाना
महाप्रबंधक (टी एंड ओ)



श्री विवेक कुमार
महाप्रबंधक (तांदूर)




श्री जोगेश्वर बेहरा
महाप्रबंधक (राजबन)



श्री शरद कुमार
महाप्रबंधक (बोकाजन)



श्री आलोक शुक्ला
अपर महाप्रबंधक (विपणन)




श्री एम.के. पात्र
अपर महाप्रबंधक (वित्त)




श्री सी.बी. जग्गी
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)


पन्यावर्त / Turnover



निवल लाभ / Net Profit



सीमेंट उत्पादन / Cement Production



57वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण



प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) के निदेशक मंडल की ओर से, कंपनी की 57वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस बैठक में आपकी गरिमामयी उपस्थिति कंपनी के प्रयासों में आपके समर्थन और रुचि को रेखांकित करती है और मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। आपकी अनुमति से, मैं यह मानकर चलता हूँ कि आपने उसे पढ़ लिया है।

कार्य-निष्पादन के मुख्य बिंदु

विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के कारण सीमेंट उद्योग में 10-12 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड की भयावहता को देखते हुए लगाये गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने सभी विनिर्माण उद्योगों के लिए बड़ी चुनौती पेश की है। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने की दिशा में किए गए उपायों के कारण, मई, 2020 के उत्तरार्ध से उत्साहजनक रुझान देखा गया। तब से, उद्योग मुख्य रूप से सरकार के 'वर्ष 2022 तक

सबके लिए आवास' मिशन एवं बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा संचालित विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। ढांचागत परियोजनाओं एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी किफायती आवास योजनाओं पर सरकारी खर्च में वृद्धि के साथ बजटीय आवंटन सीमेंट उद्योग के विकास के प्राथमिक चालक बने हुए हैं।

आपकी कंपनी ने इन चुनौतियों में कमी लाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों पर काम किया। आपकी कंपनी मई, 2020 में सीमेंट उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने में सक्षम थी जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक सीमेंट उत्पादन 8.93 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दर्ज किए गए 5.84 लाख मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादन की तुलना में 53 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी तरह सीमेंट की बिक्री भी 5.74 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 8.95 लाख मीट्रिक टन रही जिसमें 56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने वर्ष 2019-20 में 50.94 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान 13.15 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया।

गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी के पास आईएसओ प्रमाणन के साथ-साथ तांदूर, राजबन और बोकाजन के तीनों प्रचालनरत संयंत्रों में

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विद्यमान है। कंपनी में अपनी अच्छी तरह की सुसज्जित प्रयोगशालाओं में योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कच्चे माल के चरण से लेकर उत्पाद चरण तक नियमित गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण संबंधी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। कर्मचारियों में गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता जगाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधनों के विकास और उनके कौशल विकास के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता में, आपकी कंपनी ने गत वर्ष संपूर्ण लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन सत्र/प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए।

सीसीआई ने महामारी की विकट परिस्थिति को देखते हुए ई-ऑफिस की व्यवस्था आरंभ की है, ताकि कर्मचारियों को घर से प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करने में आसानी हो तथा कंपनी की लागत कमी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त, सीसीआई में ऑनलाइन निष्पादन प्रबंधन प्रणाली भी आरंभ की गई है, जिससे एपीएआर प्रणाली पूर्णतया स्वचालित तथा और अधिक कुशल हो गई है।

निगम का सामाजिक दायित्व

बोर्ड द्वारा सीएसआर नीति अनुमोदित की गई थी एवं इस नीति को निगम में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है।

निगम का प्रशासन

कंपनी का विश्वास है कि कंपनी के सभी हितधारकों के साथ नैतिक और पारदर्शी व्यापार व्यवहार निगम प्रशासन के मानदंडों का पालन करने की कुजी है। आपकी कंपनी इसे आगे

बढ़ाने में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी द्वारा जारी निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य की किसी भी निविदा से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत की निगरानी और समाधान के लिए एक स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता (मॉनिटर) नियुक्त किया गया है। मैं आपका ध्यान निदेशकों की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें निगम प्रशासन शीर्षक के अंतर्गत एक अलग अनुच्छेद शामिल किया गया है।

आभार

आपका अनवरत समर्थन और विश्वास हमें उत्कृष्टता के नए प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, आपको और भारत सरकार को, विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग को, हमारे सभी कार्यों में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं सीसीआई के उत्पादों का निरंतर समर्थन करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के अपने सम्मानित ग्राहकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, सीएजी, हमारे बैंकों सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक और सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-ए एवं अन्य सभी प्राधिकरणों और एजेंसियों के अपार समर्थन के लिए भी उनका आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं निगम के समग्र विकास और उन्नति में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, भागीदारी और समर्पण के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

आप सभी का पुनः धन्यवाद, जय हिंद।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 फरवरी, 2022

(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन नं. 09353339

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

मुझे, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ आपकी कंपनी का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय कार्य—निष्पादन

गत वर्ष के आंकड़ों के साथ वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2020-21 की समाप्ति हेतु	वर्ष 2019-20 की समाप्ति हेतु
1	प्रचालन से निवल आय	414.59	249.33
2	अन्य आय	34.80	49.02
3	मूल्यहास एवं ब्याज से अन्य कुल आय	427.10	328.43
4	असाधारण आय / (व्यय)	0.00	(13.21)
5	पीबीडीआईटी	22.28	(43.29)
6	घटाएं: वित्तीय लागत	0.00	0.00
7	पीबीडीटी	22.28	(43.29)
8	घटाएं: मूल्यहास	9.13	7.65
9	कर पूर्व लाभ / (हानि)	13.15	(50.94)
10	घटाएं: आय कर	0.00	0.00
11	करोपरांत निवल लाभ	13.15	(50.94)

1.1 निगम ने गत वर्ष में 50.94 करोड़ रुपये की निवल हानि की तुलना में वर्ष 2020-21 में 13.15 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की 5.85 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 8.93 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है।

2. लाभांश

कंपनी को वित्त वर्ष के दौरान घाटा हुआ है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

3. कारोबारी प्रचालन और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा

आपके निदेशक वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कारोबारी प्रचालन का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं:-

क. प्रचालन

प्रचालनरत इकाइयों का कार्य—निष्पादन—

अलग-अलग और सामूहिक रूप से परिचालन इकाइयों की क्षमता का उपयोग सीमेंट (प्रतिशत), क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन), सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन) और सीमेंटों का प्रेषण (मीट्रिक टन) इस प्रकार है -

	बोकाजन		राजबन		तांदूर		केवल प्रचालनरत संयंत्रों के लिए	
	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20
सीमेंट का उपयोग (प्रतिशत)	52.53	44.00	59.68	39.30	64.14	40	61.78	40.4
क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन)	93965	74670	102150	100730	611650	317560	807765	492960
सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन)	104005	87024	148000	97450	641356	400110	893361	584584
प्रेषण (मीट्रिक टन)	104879	86782	147690	97731	643897	392440	896466	576951

परियोजनाओं की स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है:

क) बोकाजन विस्तार परियोजना

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक), बेंगलूर को कार्य आदेश संख्या 46/10/6(6)/10-एमएमओ/196 दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से बोकाजन इकाई को 1200 टीपीडी तक बढ़ाने एवं सिलचर में 50 टीपीएच की बोकाजन इकाई स्थापित करने के लिए 142.4 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यदेश प्रदान किया गया था।

इस परियोजना का कुल मूल्य 142.40 करोड़ रुपये था जो आशय पत्र की तिथि अर्थात् 24.09.2010 से 18 माह की अवधि में पूरी की जानी थी।

यह परियोजना लगभग 7 वर्षों तक अधर में लटकी रही और संविदा में परिकल्पना के अनुसार यह चालू नहीं हो पाई।

इसके उपरांत, मैसर्स प्रोमैक ने पत्र संख्या सीसीआई/प्रोमैक/18/डी-006 दिनांक 3 जनवरी, 2018 के माध्यम से मध्यस्थता का अनुरोध किया। दावेदार, मैसर्स प्रोमैक ने अन्य बातों के साथ-साथ 112 करोड़ रुपये (लगभग) के लिए प्रार्थना करते हुए दावे का बयान दायर किया और प्रतिवादी सीसीआई ने बचाव का बयान दायर किया तथा मैसर्स प्रोमैक के दावे के प्रति 924.84 करोड़ रुपये (लगभग) का दावा किया।

सीसीआई ने दिनांक 06.03.2019 मैसर्स प्रोमैक के साथ की गई संविदा समाप्त कर दी अब मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही चल रही है।

ख) सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक) को कार्य आदेश संख्या 47/10/6(7)/10-एमएमओ/206 दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से सिलचर (असम) से 40 कि.मी. की दूरी पर बैकुंठपुर (कालियान) में 50 टीपीएच सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना कार्यादेश जारी किया गया था।

इस संविदा का कुल मूल्य 39.68 करोड़ रुपये था जो आशय पत्र की तिथि अर्थात् 24.09.2010 से 12 माह की अवधि में पूरी की जानी थी।

संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन पर, सीसीआई द्वारा यह कार्य आदेश रद्द कर दिया गया था।

इसके उपरांत, मैसर्स प्रोमैक ने पत्र संख्या एचआर/डीआईआर/024/2019-20 दिनांक 24.04.2019 के माध्यम से मध्यस्थता का अनुरोध किया एवं अन्य बातों के साथ-साथ 8.60 करोड़ रुपये (लगभग) के लिए प्रार्थना करते हुए दावे का बयान दायर किया और सीसीआई ने बचाव का बयान दायर किया तथा दावे के प्रति 5.30 करोड़ रुपये (लगभग) का दावा किया।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही चल रही है।

ग) तांदूर में तकनीकी उन्नयन

कार्य-निष्पादन में सुधार के उद्देश्य से नई तकनीक के उच्च दक्षता वाले उपकरणों की खरीद की जा रही है। इन उपकरणों की खरीद का मुख्य उद्देश्य उत्पादन की लागत को कम करना है यद्यपि सीसीआई पूर्णतया स्वदेशी तकनीक पर निर्भर है। सीसीआई की कुछ नई पहलें इस प्रकार हैं:-

- सीमेंट मिल ईएसपी पंखे, एमएफसी, ब्लोअर, 4 कूलर पंखे में वीएफडी प्रणाली का अधिष्ठापन। इनके परिणामस्वरूप बिजली की बचत हुई है।
- 40 और 15 किलोवाट के लिए दो सौर ऊर्जा संयंत्रों का अधिष्ठापन।

गैर प्रचालनरत इकाइयां:-

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार, गैर-प्रचालनरत इकाइयां यानी मंधार, कुरकुंटा, नयागांव, अकालतारा, चरखी दादरी और दिल्ली ग्राइंडिंग इकाइयां दिनांक 31.10.2008 से बंद कर दी गई हैं। दिनांक 20.02.2017 के आदेश अधीन आदिलाबाद इकाई बंद है। भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई भी चालू नहीं थी।

गैर-प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री की स्थिति:

नयागांव इकाई: भारत सरकार के निर्देशानुसार नयागांव इकाई के लिए रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस इकाई की बिक्री के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित की गई थी, हालांकि, दिनांक 16.06.2021 को आयोजित आईएमजी बैठक के अनुसार, यह संस्तुति की गई है कि एमएमडीआर अधिनियम में हाल ही में किये गये संशोधन को देखते हुए नयागांव इकाई के विनिवेश को सूची से हटाने के लिए इस इकाई के मामले को सीजीडी के समक्ष उठाया जाए।

गैर-प्रचालनरत इकाइयों का भू डेटा:

सीसीआई की निजी भूमि, सरकारी पट्टा वाली भूमि, निजी पट्टा वाली भूमि और अन्य सहित गैर-प्रचालनरत इकाइयों की कुल भूमि का क्षेत्रफल इस प्रकार है:

क्र. सं.	इकाई	फ्री होल्ड	पट्टे पर			अन्य	कुल (एकड़)*
			सरकारी	निजी	कुल		
1	मंधार	656.06	290.54	0	290.54	39.34	985.94
2	नयागांव	563.85	789.28	00	789.28	65.25	1418.38
3	आदिलाबाद	772.85	36.33	1477.70	1514.03	0.00	2286.88
4	अकालतारा	187.62	385.50	460.75	846.25	459.88	1493.75
5	कुरकुंटा	465.48	360.55	0.00	360.55	105.70	931.73
6	चरखी दादरी	205.03	0	0	0	0	205.03
7	भटिंडा	20.24	0	0	0	10.12	30.36
	योग	2871.13	1862.2	1938.45	3800.65	680.29	7352.07

* भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है क्योंकि यह स्थानीय भू-राजस्व कानूनों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व विभाग द्वारा भूमि अभिलेखों के अद्यतन और सीमांकन के अधीन है।

ख. लाभप्रदता

गत वर्ष के 50.94 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में वर्ष 2020-21 में कंपनी ने 13.15 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया।

ग. सिंहावलोकन

वित्तीय वर्ष 2020-21 कोविड-19 की पहली लहर में लगाए गए लॉकडाउन का साक्षी रहा है जिसके कारण वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था सिकुड़ सी गई थी। कोविड 19 ने अर्थव्यवस्था के लिए विकट चुनौती पेश की और उस अवधि में जीवन और आजीविका के बीच संतुलन की आवश्यकता थी। हालांकि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में सीमेंट क्षेत्र में धीमी लेकिन सकारात्मक वृद्धि देखी गई।

इस महामारी के बीच, ग्रामीण बाजारों में सीमेंट की खपत में मजबूत वृद्धि देखी गई क्योंकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कम लागत वाले आवास के निर्माण में वृद्धि के साथ-साथ श्रम उपलब्धता में वृद्धि हुई। केंद्र सरकार की '2022 तक सबके लिए आवास' की योजना और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने सीमेंट की मांग बढ़ाने के लिए सकारात्मक योगदान दिया। हालांकि, वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगाये गये लॉकडाउन के कारण भारतीय सीमेंट उत्पादन में कुल मिलाकर लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। अखिल भारतीय सीमेंट उत्पादन जो वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 329 मिलियन टन था वह वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान घटकर 294.4 मिलियन टन रह गया क्योंकि वर्ष 2020 के अप्रैल में लगभग पूरा महीने में देशव्यापी लॉकडाउन लगा था।


हालांकि अप्रैल, 2020 के अंतिम सप्ताह में ही कोविड 19 संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के उपरांत सीसीआई भी पुनः सीमेंट उत्पादन आरंभ करने में सक्षम था और यह प्रबंधन और कार्यबल की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है।

घ. बिक्री और क्षमता उपयोग


आपकी कंपनी मई 2020 में सीमेंट उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने में सक्षम थी जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक सीमेंट उत्पादन 8.93 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 19-20 के दौरान दर्ज किए गए 5.84 लाख मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादन से 53 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी तरह सीमेंट

की बिक्री भी 5.74 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 8.95 लाख मीट्रिक टन हो गई जिसमें 56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान सीमेंट का उत्पादन और बिक्री गत पांच वर्ष में सबसे अधिक रही। सीसीआई में माह-वार सीमेंट उत्पादन और बिक्री के आंकड़े इस प्रकार हैं-

वित्त वर्ष 2019-20 के सापेक्ष वित्त वर्ष 2020-21 में सीसीआई में सीमेंट का उत्पादन



वित्त वर्ष 2019-20 के सापेक्ष वित्त वर्ष 2020-21 में सीसीआई में सीमेंट की बिक्री



इस प्रकार, वित्त वर्ष 2019-20 के आगामी महीने की तुलना में अप्रैल को छोड़कर, वित्त वर्ष 20-21 के प्रत्येक महीने में सीमेंट उत्पादन और बिक्री दोनों अधिक रही है। वित्तीय वर्ष 20-21 में सीमेंट उत्पादन के लिए क्षमता उपयोग गत वित्तीय वर्ष में 40 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया।



हैदराबाद अंचल कार्यालय में डीलरों की बैठक



देहरादून अंचल कार्यालय में डीलरों की बैठक

ड. गुणवत्ता

- सीसीआई की तीनों प्रचालनरत इकाइयों में गुणवत्ता पहलुओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कंपनी की स्वयं की भली भांति उपकरणों से लैस प्रयागेशालाओं में कच्चे माल के चरण से उत्पाद चरण तक नियमित गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण गतिविधियां पूरी की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सीमेंट के नमूनों का पूर्ण भौतिक और रासायनिक मापदंडों के लिए एनटीएच, एनसीबी आदि जैसी प्रतिष्ठित सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है।
- तीन प्रचालनरत इकाइयां आईएसओ-9001 प्रमाणित हैं। तांदूर इकाई एसए: 8000 प्रमाणित भी है।
- राजबन इकाई जो उत्पादन कर रही है वो ओपीसी-43 जीआर आईएस 269:2015 और पीपीसी आईएस:1489 भाग-I-2015 बीआईएस मानकों के अनुसार है।

4. पूंजी संरचना

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में कंपनी की शेयर पंजी रूपए 811.41 करोड़ थी; इसमें 455.98 करोड़ रूपए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी और 355.43 करोड़ रूपए के चुकता गैर-संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर सम्मिलित हैं।

5. मानव संसाधन विभाग

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी के रूप में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र सीमेंट विनिर्माण उपक्रम होने पर अत्यंत गर्व है, इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी ने विगत 50 वर्षों से बाजार में अपनी साख बनाई है, यह उत्पादों और ग्राहकों की संतुष्टी दोनों मामलों में असंख्य प्रगतिशील संशोधनों को एकीकृत करके अपने विशाल स्वरूप में विकसित हुई है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में उभरा है, इसने भारतीय उद्योग जगत में भिन्न-भिन्न स्तरों पर अनेक चुनौतियां उत्पन्न की है।

हाल में, महामारी की स्थिति के कारण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, लेकिन सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऐसे कठिन समय में भी एक ऐसी कंपनी के रूप में उभरी है, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए लगातार और अथक रूप से काम कर रही है।

राष्ट्र ने कोरोना वायरस के साथ संघर्ष जारी रखा, पर कई कंपनियां अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटीं क्योंकि कार्य जारी रखना आवश्यक था। महामारी की शुरुआत से ही सीसीआई राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा रही है।

सीसीआई ने इस अवधि के दौरान कर्मचारियों के ईमानदार प्रयासों और काम के प्रति समर्पण के कारण कई कई सम्मान प्राप्त किए हैं। सीसीआई हर वर्ष अपने प्रदर्शन के साथ दायरा बढ़ा रहा है।

सी.सी.आई. प्रबंधन ने बांटा राशन



पांवटा साहिब : सी.सी.आई. प्रबंधन की टीम राशन वितरण करती हुई।
(संजय)

कोविड-19 महामारी के दौरान राजबन इकाई द्वारा खाद्य वितरण

6. मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध:

कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं इसलिए सीसीआईएल मानव संसाधनों पर अत्यधिक महत्व देता है। कंपनी में ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास विभिन्न प्रकार के कौशल, योग्यताएं और क्षमताएं हैं। निगम मानव संसाधन विकसित करने और उन्हें संगठन के उद्देश्यों में उनके योगदान से जुड़े अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीसीआईएल मानव दक्षताओं के विकास और अपनी सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति अर्थात् अपने कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

निगम की सभी इकाइयों में पूरे वर्ष शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध बने रहे। ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न मंचों पर उपयोगी विचार-विमर्श और बातचीत की जा रही है, जिसने निवारण को नियंत्रित करने, मतभेदों को



बोकाजन यूनिट में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन



बोकाजन इकाई में योग दिवस मनाया



सीसीआई बोकाजन इकाई में मनाया गया एक लोकप्रिय फसल उत्सव बोहाग बिहू



राजबन इकाई की महिला समिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम

दूर करने और औद्योगिक संबंधों में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में कोई भी श्रम दिवस नष्ट नहीं हुआ है।

7. मानव संसाधन विकास:

एक स्वस्थ कार्य संस्कृति स्थापित करने तथा उच्च लक्ष्य एवं उत्पादकता प्राप्त करने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव संसाधनों के विकास और अभीष्ट उपयोग की दिशा में प्रयास पर जोर दिया जा रहा है।

सीसीआई ने कर्मचारियों को अपने घर से प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करने की सुविधा उपलब्ध कराने और कंपनी की लागत को कम करने के लिए ई-ऑफिस की सुविधा आरंभ की। ई-ऑफिस ने न केवल कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ-साथ विभिन्न मामलों पर गोपनीयता के पहलू को भी मजबूत किया।

सीसीआई में एक ऑनलाइन कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली आरंभ की गई है, जिससे एपीएआर प्रणाली पूर्णतया स्वचालित और अधिक कुशल हुई है।

विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के लिए एसओपी डिजाइन करके सीसीआई प्रौद्योगिकी उत्तरदायी कंपनी के रूप में काफी विकसित हुई है, इस प्रकार शारीरिक भर्ती प्रक्रिया की तुलना में कम लागत पर योग्य अभ्यर्थियों तक पहुंचने में सफल हो रही है।

8. प्रशिक्षण और विकास:

मानव संसाधन विकास के हिस्से के रूप में, कंपनी ने सभी

स्तर के कर्मचारियों के कौशल विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को उनके कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किए गए। कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर बाहरी प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को नामित भी किया है। कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर काम करने के उनके कार्यात्मक क्षेत्रों में अनेक संगोष्ठियों और सम्मेलनों के लिए भी नामित किया जाता है।

सभी प्रचालनरत इकाइयों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों की अवधारणा और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उपरोक्त के अलावा, सीसीआईएल प्रचालनरत इकाइयों में पर्यवेक्षी स्तर के कर्मचारियों की योग्यता मानचित्रण भी करता है ताकि कौशल अंतर को पाटा जा सके।

सीसीआई ने लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न ऑनलाइन सत्र/प्रशिक्षण आयोजित किए। यहां तक कि छुट्टियों पर अपने कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की। विभागाध्यक्षों/कर्मचारियों/उद्योग विशेषज्ञों के प्रस्तुतिकरण इस अवधि के दौरान सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनीं।

कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक गतिविधियों/सत्रों और भिन्न-भिन्न ज्ञान के आदान प्रदान के लिए परिचर्चा का आयोजन का मुख्य ध्यान इकाइयों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हासिल करने पर केन्द्रित था।

उपरोक्त पहलों के अलावा, सीसीआईएल कुल कार्यबल के 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बैंड में निगम में प्रशिक्षुओं की

नियुक्ति करते हुए कुशल जनशक्ति समूह बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

9. राजभाषा कार्यान्वयन:

निगम ने सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग के लिए अपने प्रयास जारी रखे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठक होती हैं, निगम ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी की। कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों में हिंदी के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जा रहा है।

दिनांक 18.11.2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टीओएलआईसी) के अध्यक्ष और भारतीय सीमेंट निगम के साथ संसद की राजभाषा समिति की आलेख और साक्ष्य उप-समिति का परिचर्चा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सीसीआई ने केवल अपने कर्मचारियों के लिए अपितु नरकास के सदस्यों के लिए भी हिंदी कार्यशालाएं,

विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करके राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का हमेशा प्रयास करता है। इस सराहनीय कदम को आगे बढ़ाते हुए, सीसीआई ने 15 मार्च, 2021 को पोस्को, एनआरडीसी, एनबीसीएफसी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे चार अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया है।

10. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी ने अपने सीएसआर दर्शन के एक हिस्से के रूप में सदैव अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है जिससे व्यवसाय और समाज विकास के भागीदार बन सकें। अपने निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप, कंपनी ने गतिविधियों की रूपरेखा बनाई है और अपने संयंत्र स्तर पर विभिन्न पहलें की हैं। अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के एक हिस्से के रूप में सीसीआई ने पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है। साथ ही सीसीआई के सभी कर्मचारियों ने भी पीएम केयर्स फंड में अपने एक दिन का वतन दिया है।



बोकाजन इकाई में स्वास्थ्य शिविर



राजबन इकाई में वृक्षारोपण



तंदूर इकाई में वृक्षारोपण

11. महिला कल्याण:

कंपनी महिलाओं के कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति पूर्णतया संवेदनशील और जागरूक है। निगम की विभिन्न इकाइयों/कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं।

महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सी सी आई की इकाइयों में लेडीज क्लब हैं जहाँ महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियाँ की जा रही हैं। इन विभिन्न क्लबों में कंप्यूटर साक्षरता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल आदि पर व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निगम समय-समय पर महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसी गतिविधियों को करने के लिए ढांचागत और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहाँ तक कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का संबंध है, ऐसे किसी भी मुद्दे की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है और इसके लिए नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, समिति को कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।



कॉर्पोरेट – अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह



राजबन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित भव्य समारोह (कॉर्पोरेट कार्यालय)

12. शिकायत निवारण तंत्र

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपने कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण के लिए प्रभावी आंतरिक तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है।

सीसीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली को अत्यंत प्रभावी ढंग से बनाए रखता है और कर्मचारियों को हर स्तर पर वेतन मामलों, काम करने की स्थिति की छुट्टी, कार्य असाइनमेंट और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित शिकायतों को उठाने का अवसर दिया जाता है। अधिकांश शिकायतों का निवारण अनौपचारिक रूप से पर्यावरण की सहभागी प्रकृति को देखते हुए किया जाता है। इकाइयों में विद्यमान है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

13. पारिश्रमिक नीति

सीसीआई में, अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य लाभ भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफ.सं.1(6)2009-पीई.गप दिनांक 30 अप्रैल, द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं। अंतिम वेतन संशोधन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-गट/08 दिनांक 26 नवंबर, 2008, संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-IV/09 दिनांक 9 फरवरी, 2009 और संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-प्ट/09 दिनांक 2 अप्रैल, 2009 के अनुसार किया गया था, जो दिनांक 01/01/2007 से प्रभावी हुआ था। पीआरपी कंपनी के कार्य-निष्पादन/लाभप्रदता के साथ-साथ व्यक्तिगत निष्पादन रेटिंग पर आधारित है जो संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप है।

दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-गप/17 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड

द्वारा दिनांक 01.01.2017 से बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और सी सी आई के गैर संघीय पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन पर कार्यकारी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और गैर-पर्यवेक्षकों के लिए तीसरा पीआरसी अभी लागू नहीं किया गया है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी अनुबंध में दी गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगम और प्रचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के भाग के रूप में किया जाता है।

16. कंपनी द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण

आपकी कंपनी ने हमेशा अपने सीएसआर दर्शन के एक भाग के रूप में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है जिससे व्यवसाय और समाज विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। आपकी कंपनी ने गतिविधियों की रूपरेखा अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप बनाई है और विभिन्न पहलें आरंभ की हैं।

17. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां।

- वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग ने संगठन में सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा की है और काम के माहौल में ईमानदारी, दक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक सीवीसी के मार्गदर्शन में 'सतर्क भारत समृद्ध भारत' विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह में कारपोरेट कार्यालय और प्रचालनरत इकाइयों ने संगोष्ठियों, वाद-विवाद, कार्यशालाओं, निबंध लेखन/नारा आदि पर प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। कंपनी में कदाचार खत्म करने की दृष्टि से निवारक सतर्कता पर व्याख्यान भी आयोजित किए गए।
- सीवीओ, सीसीआई द्वारा दिनांक 8.3.2021 से 11.3.2021 तक तांदूर इकाई का निरीक्षण किया गया।

तांदूर इकाई के महाप्रबंधक सहित सभी अधिकारियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करके, सभी स्तरों पर कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा की गई और कदाचार में लिप्त होने की गुंजाइश को खत्म करने की दृष्टि से निवारक सतर्कता और प्रणाली में सुधार पर जोर दिया गया।

- ई-खरीद, ई-नीलामी, ई-ऑफिस और सत्यनिष्ठा अनुबंध क्रियान्वित किया गया है। सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार आईईएम की नियुक्ति की गई है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान तांदूर सीमेंट फैक्ट्री, बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री और राजबन सीमेंट फैक्ट्री में सीटीई प्रकार के तीन निरीक्षण किए गए।
- सीवीसी की वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक दिनांक 04.02.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में सीवीओ, सीसीआई सम्मिलित हुए। सीसीआई से संबंधित मुद्दों को अनुपालन के लिए उठाया गया है।
- मानव संसाधन विभाग द्वारा वर्ष, 2020 के लिए कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी एकत्र की गई है और इसकी त्रैमासिक आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

18. ई-खरीद/सत्यनिष्ठा अनुबंध

संगठन में ई-खरीद की सुविधा विद्यमान है, इस ई-खरीद पोर्टल के लिए मैसर्स अंटेयर्स सिस्टम प्रा. लिमिटेड, बंगलुरु की सेवाएं ली जा रही हैं। 2 (दो) लाख रुपये से अधिक राशि की सभी निविदाएं ई-निविदा, ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं। एल्युमिना ब्रिक्स, कन्वेयर बेल्ट, हाई-क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया, एमएन-स्टील कास्टिंग और एचआरसीएस कास्टिंग आदि सहित सीओ से अधिक मूल्य सभी खरीद ई-निविदा के माध्यम से की जाती है।

श्रीमती विजया कंठ, आईईएम द्वारा प्रस्तुत 13 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार आईईएम के समक्ष किसी भी विक्रेता की कोई शिकायत/टिप्पणी लंबित नहीं है।

सीसीआई वेबसाइट पर वेंडर पंजीकरण का प्रारूप भी डाला गया है। वेंडर जब भी आवेदन करते हैं, इकाइयों के साथ-साथ कारपोरेट कार्यालय में भी उनका पंजीकृत होते हैं।

ऑनलाइन ई-निविदा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीवीओ द्वारा जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप संशोधित सत्यनिष्ठा अनुबंध भी सीसीआई की वेबसाइट पर

अपलोड किया गया है। सत्यनिष्ठा अनुबंध के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आईईएम को नियुक्त किया गया है।

19. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, और अच्छे कॉर्पोरेट के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करना शामिल है। कंपनी में मुख्य रूप से दो प्रकार की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है:—

- स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा।
- आंतरिक लेखापरीक्षा।

बाहर के आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। समय-समय पर कंपनी की प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और नियंत्रण को मजबूत किया जाता है।

कंपनी के पास विपणन नियमावली, खरीद और कार्य नियमावली सामग्री, स्टोर, लेखा और व्यक्तिगत नियमावली इत्यादि सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को आवृत करने के लिए प्रबंधन द्वारा जारी की गई विभिन्न संहिताओं, नियमावलियों और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय विद्यमान हैं। प्रबंधन ने बेहतर जांच और नियंत्रण के लिए समय-समय पर अन्य सभी नियमावलियों का अद्यतन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

20. ऋण, गारंटी या निवेशों का ब्यौरा

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया है।

21. लेखापरीक्षकों और प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई योग्यताओं, छिपावों, प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

22. संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं या करारों का ब्यौरा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत यथा परिभाषित संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या करार नहीं किए गये थे।

23. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति:

सीसीआई केन्द्र सरकार का सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) है जहां निदेशकों की नियुक्ति, उनको देय पारिश्रमिक और भत्तों से संबंधित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

24. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणी के सार इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

25. समीक्षाधीन वर्ष में आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की।

26. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और यह कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

27. निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड एतद्वारा अपने उत्तरदायित्व का कथन प्रस्तुत करता है:—

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया था और साथ ही सामग्री प्रेषण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकसम्मत हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या नुकसान के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के

रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किये थे; तथा

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किये जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ कंपनी द्वारा अपने कारोबार के सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल है।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

28. अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई अनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी नहीं है।

29. जमाएं

कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

30. निदेशक

निम्नलिखित निदेशकों को/ने वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक नियुक्त किया गया/त्यागपत्र दिया।

- श्रीमती अलका तिवारी, उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय ने अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में बोर्ड में दिनांक 10.11.2020 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री एस. शक्तिमणि की दिनांक 07.03.2021 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में सेवाएं समाप्त हुईं। कंपनी के साथ उनके जुड़े होने के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए कंपनी उनकी सराहना करती है।
- श्री ए.एम. मनिचन की दिनांक 10.11.2020 से कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

(सरकार द्वारा नामित) के रूप में सेवाएं समाप्त हुईं। कंपनी के साथ उनके जुड़े होने के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए कंपनी उनकी सराहना करती है।

31. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

समीक्षाधीन अवधि अर्थात् वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक विद्यमान नहीं थे। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अंतर्गत स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की जा सकी है।

32. टैली ईआरपी का कार्यान्वयन, कंपनी की वेबसाइट के लिंक और ई-ऑफिस की स्थिति

(क) टैली ईआरपी 9 का कार्यान्वयन: -

- टैली ईआरपी 9 के मॉड्यूल ऑपरेटिंग यूनिट, मार्केटिंग ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- टैली ईआरपी 9 के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, टैली सर्वर-9 को परिनियोजित किया गया है।
- कारपोरेट कार्यालय में लैन और लीज लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी परिनियोजित की गई है।

(ख) कंपनी की वेबसाइट के लिंक: -

- सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.cciitd.in> है जिसमें कंपनी की वर्तमान नीतियां जैसे सीएसआर, मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ, वित्तीय परिणाम, मार्केटिंग नेटवर्क आदि शामिल हैं।

(ग) ई-ऑफिस

- सीसीआई में सभी अनुमोदनों के लिए ई-ऑफिस (फाइल प्रबंधन, ऑनलाइन अवकाश) लागू की गई है।

(घ) वेंडर के लिए बिल ट्रेकिंग सिस्टम:-

- वेंडर के लिए अपने बिल के भुगतान का पता लगाने के लिए, बिल ट्रेकिंग सिस्टम लागू किया गया है और इसके लिए सीसीआई वेबसाइट पर लिंक प्रदान किया गया है।

33. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को सदैव अक्षरशः लागू करने का प्रयास

किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19(1) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी को नामित किया है। कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ एक विशेष आरटीआई कॉर्नर विकसित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट पर अधिकारियों, पीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है।

34. विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

समय-समय पर विभिन्न पक्षकार हमसे निर्यात संबंधी पूछताछ करते रहे हैं। हमारे संयंत्रों के समुद्री बंदरगाहों से दूर के स्थानों पर होने के कारण, संयंत्रों से निकटवर्ती समुद्री बंदरगाहों तक अंतर्देशीय माल भाड़ा अधिक पड़ता है। इसी कारण हमारे एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। निर्यात के मोर्चे पर कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि उचित अवसर मिलने पर इसका लाभ उठाया जा सके। हालांकि सीमेंट का पूरा उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।

35. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2020-21 के लिए मैसर्स महलवाला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था और मैसर्स सी वेंकट कृष्णा एंड कंपनी, मैसर्स गुप्ता मस्कारा एंड एसोसिएट्स, मैसर्स रैपल्ली रमेश एंड कंपनी, मैसर्स मणिलाल एंड कंपनी, मैसर्स प्रवीण अग्रवाल एंड कंपनी, मैसर्स एसआरपी एंड कंपनी, मैसर्स पूर्ति एंड कंपनी एवं मैसर्स आर कुमार अग्रवाल एंड कंपनी को शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं तत्संबंधी उत्तर एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स को निगम का मुख्य लागत लेखापरीक्षक के अलावा राजबन इकाई का लागत लेखापरीक्षक, बोकाजन इकाई के लिए मैसर्स बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी एवं तांदूर इकाई के लिए मैसर्स पीकेआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी को वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखाकार नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के

प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनबंध के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में, आपके निदेशकों ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:

“समीक्षाधीन अवधि अर्थात् 2020-21 के दौरान, बोर्ड में आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 और जीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल/लेखा परीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया जा सका। नियमित अंतराल पर रिक्तियों को भरने के अनुरोध प्रशासनिक मंत्रालय को भेजे गए थे। हालांकि, भारी उद्योग मंत्रालय ने आदेश संख्या 1(4)/2013-पीई-XII/सीपीएसई-III दिनांक 2.11.2021 के अंतर्गत डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली और डॉ. मंजू बघेल को तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक सीसीआई के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया है।”

36. लेखापरीक्षा समिति के गठन और निगरानी तंत्र के प्रावधान का स्पष्टीकरण

विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गठित की गई लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित हैं:

- क. श्रीमती सुकृति लेखी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित), अध्यक्ष
- ख. श्री बी.वी.एन प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सदस्य
- ग. श्रीमती अल्का तिवारी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित), सदस्य

कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। कंपनी ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी सीधी पहुंच प्रदान की है, जो कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अधीन कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्टिंग पर सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.ccilttd.in पर भी उपलब्ध है

37. आभार

बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से आपके निगम को प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन और रेल मंत्रालय,

पीईएसबी, वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों द्वारा दिये गये समर्थन और सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के उत्पादों को निरंतर भारी समर्थन देने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अपने सम्मानित ग्राहकों का भी आभार व्यक्त करते हैं।

दिनांक : 25 फरवरी, 2022
स्थान : नई दिल्ली

कंपनी के निदेशक मैसर्स महलवाला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- II के आभारी हैं। निदेशकगण निगम के कर्मचारियों के समर्पण के लिए उनकी हृदय से प्रशंसा करता है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन नं. 09353339

**कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन)
नियमावली, 1988 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण**

चालू/बंद करने के लिए लाइटिंग टाइमर का अधिष्ठापन।

1. संसाधन कुशलता:

➤ बिजली और कोयले की खपत:-

संसाधन अभीष्ट उपयोग के क्रम में प्रौद्योगिकी उन्नयन/ऊर्जा संरक्षण के उपाय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। फ्लाई-ऐश प्रबंधन प्रणाली, 53-एस साइलो का निर्माण, वीएफडी पैनल का अधिष्ठापन और ऊर्जा दक्ष मोटर्स से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

क ऊर्जा का संरक्षण

वर्ष 2020-21 में ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

बोकाजन:-

- 75 किलोवाट से कम रेटिंग वाले दो ऊर्जा दक्ष मोटर्स का अधिष्ठापन।

राजबन:-

- प्लांट और टाउनशिप में 24 वॉट के दस सोलर स्ट्रीट लाइटों का अधिष्ठापन
- रॉ मिल, भट्टा और सीमेंट मिल सेक्शन में आठ ऊर्जा दक्ष मोटर्स का अधिष्ठापन।
- पारंपरिक लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटों का अधिष्ठापन।
- विभिन्न सेक्सनों की प्लांट लाइटिंग को स्वचालित रूप से

तांदूर:-

- तांदूर इकाई में दो गति नियंत्रण पैनल स्थापित किए जा चुके हैं जबकि छह को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। तांदूर इकाई ने संयंत्र के साथ-साथ टाउनशिप में पूर्णतया एलईडी लाइट्स और ऊर्जा दक्ष पखें लगा दिये गये हैं, अन्य इकाइयों में भी इसे क्रियान्वित करने का काम चल रहा है।
- तांदूर और राजबन इकाइयां ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत अर्थात् सौर पैनलों का उपयोग कर रही हैं, जबकि बोकाजन इकाई इसे आरंभ करने की प्रक्रिया में है।
- पर्यावरण संरक्षण की पहल के रूप में तीनों इकाइयों में नए वृक्ष/पौधे लगाए गए हैं।

प्रौद्योगिकी समावेशन

निधि की उपलब्धता और प्राथमिकता के अनुसार, तीन प्रचालनरत इकाइयों में केपेक्स निष्पादित किया जा रहा है। तांदूर में फ्लाई ऐश प्रबंधन प्रणाली, कोल शेड निर्माण, सीमेंट मिल ईएसपी की रेट्रोफिटिंग, 53-एस स्टोरेज साइलो का निर्माण अंतिम चरण में है। मार्च 2020-21 में राजबन इकाई में पल्स जेट बैग फिल्टर (पीजेबीएफ) का कार्यादेश दे दिया गया है और बोकाजन इकाई में यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है।

(क) उत्पादन की प्रति इकाई इकाई-वार कुल ऊर्जा खपत और ऊर्जा खपत:-

1) विद्युत	बोकाजन	राजबन	तांदूर
क) खरीद			
I) यूनिट (किलोवाट)	19751276.00	17723927.00	81779899.00
II) कुल राशि (लाख रुपये में)	1334.27	1117.42	4075.70
III) दर प्रति यूनिट (रुपये/किलोवाट)	6.76	6.30	4.98
ख) स्वयं का उत्पादन			
I- डीजल के माध्यम से उत्पादन			
i) यूनिट (किलोवाट)	10636.80	0.00	0.00
ii) डीजल की कुल खपत (लीटर में)	7600.00	0.00	0.00
iii) डीजल ऑयल प्रति लीटर यूनिट (किलोवाट/लीटर)	1.40	0.00	0.00
iv) प्रति यूनिट लागत (रुपये/किलोवाट)	43.82	0.00	0.00
2) कोयला			
खपत की मात्रा (मीट्रिक टन)	24933.00	21199.00	146315.00
कुल लागत (लाख रुपये में)	1591.27	1735.45	8132.90
औसत दर (रुपये/मीट्रिक टन)	6382.20	8186.48	5558.48
3) प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत			
i) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक किए गये सीमेंट का प्रति टन किलोवाट)	188.60	134.68	128.61
ii) बुक किया गया कोयला (क्लिंकर उत्पादन का प्रतिशत)	26.53	20.75	23.93
iii) कोयला (यूएचवी) किलो सेल्सियस प्रति किलो कोयला	5336.00	5247.00	3948.00

उत्पादन के आंकड़े वर्ष 2020-21

	क्लंकर	सीमेंट
बोकाजन	93965	104005
राजबन	102150	148000
तांदूर	611650	641356
योग	807765	893361

(ख) सीसीआई उत्पादन की प्रति यूनिट कुल ऊर्जा खपत के रूप में-

1. विद्युत		
क) खरीद	(2020-21) (केवल प्रचालनरत इकाईयां)	(2019-2020) (केवल प्रचालनरत इकाईयां)
i) यूनिट (लाख में)	1192.55	811.81
ii) कुल राशि (लाख रुपये में)	6527.39	5570.21
iii) दर प्रति यूनिट	5.47	6.86
ख) स्वयं का उत्पादन		
i) यूनिट (किलोवाट)	10636.8	70745.20
ii) डीजल की कुल खपत (लीटर में)	7600.00	35000.00
iii) डीजल ऑयल प्रति लीटर यूनिट (किलोवाट/लीटर)	1.40	2.02
iv) प्रति यूनिट लागत (रुपये/किलोवाट)	43.82	29.67
2. कोयला		
i) खपत की मात्रा (टन)	192447	120493.00
ii) कुल लागत (लाख रुपये में)	11459.62	7455.32
औसत दर (रुपये/मीट्रिक टन)	6709.05	6615.11
प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत		
i) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक किए गये सीमेंट का प्रति टन किलोवाट)	136.60	142.20
ii) बुक किया गया कोयला (क्लंकर उत्पादन का प्रतिशत)	23.83	24.44
iii) कोयले की गुणवत्ता (यूएचवी) किलो सेल्सियस प्रति किलो कोयला	4273.73	4217.18



सिरमौर जिले में स्थित राजबन इकाई, राज्य-हिमाचल प्रदेश



कराबी आंगलॉग जिले में स्थित बोकाजन इकाई, राज्य- असम



तांदूर इकाई के.वी. रंगारेड्डी जिला, राज्य-तेलंगाना

सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति के वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है:

सीसीआई की सीएसआर और स्थिरता नीति की परिकल्पना "अधिमानत: परियोजना क्षेत्रों में 44.45 जहां यह काम कर रहा है, समुदायों और हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता के रूप में की गई है।"

सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थिरता नीतियां और गतिविधियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की सातवीं अनुसूची और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुझाई गई क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के साथ एकीकृत कर उनके अनुरूप बनाता है। सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को आत्मसात किया जाएगा और इसे सीसीआई की सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, प्रचालन और लेनदेन में लागू किया जाना चाहिए।

सीएसआर नीति के वेब-लिंक पता <http://ccilttd.in/page.php?id=194> है।

2. सीएसआर समिति की संरचना

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। तदनुसार, सीएसआर समिति का गठन नहीं किया जा सका।

3. गत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ: (886.70) रुपये

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में दी गई राशि का 2 प्रतिशत): लागू नहीं

5. वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर का विवरण:

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: शून्य

(ख) अव्ययित राशि, यदि कोई हो: शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि जिस रीति में की गई, इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य	परिव्यय (बजट) परियोजना की राशि	खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	सीधे या कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
-	-	-	-	-	-	-

(आर.पी सिंह)
निदेशक (वित्त)
डिन नं. 08750557

(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन नं. 09353339

कारपोरेट शासन पर प्रतिवेदन

1. शासन संहिता पर कंपनी का दर्शन:

कारपोरेट शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन यह है कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय विवेक, ग्राहकों की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करता है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अपने घोषित विश्वास और दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई प्रथाएं सभी हितधारकों अर्थात् शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी एजेंसियों/विभाग और समाज बड़े पैमाने पर समाज पर आधारित हैं।

2. निदेशक मंडल:

i. बोर्ड का गठन:

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। बोर्ड में निदेशकों की संख्या 3 से कम और 12 से

अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

ii. बोर्ड की संरचना:

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सीसीआई के बोर्ड में तीन (3) निदेशक शामिल थे, जिनमें से एक कार्यकारी निदेशक और दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक हैं, जो प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित हैं।

[*श्री पी.एम. चंद्रैया (कार्यकारी निदेशक) को भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 15.03.2021 के आदेश के अंतर्गत दिनांक 07.03.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। उन्होंने दिनांक 30.03.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। इसके उपरांत, दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को श्री पी.एम. चंद्रैया के असामयिक निधन के कारण, सीसीआई के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के तौर पर उनकी सेवा समाप्त हो गई।]

निदेशकों के नाम और संवर्ग, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में उनकी उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक के साथ-साथ निदेशक और समिति (लेखा परीक्षा समिति) पदों की संख्या तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1: निदेशकों के संवर्ग और उनके द्वारा धारित निदेशक पद और समिति के पद

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक	बोर्ड बैठक की संख्या जिनमें उपस्थिति रही	वार्षिक आम बैठक (दिनांक 04.03.2021 को आयोजित) में उपस्थिति	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार धारित निदेशक पद की संख्या (सी सी आई सहित)	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समिति में
कार्यकारी निदेशक:						
1.	श्री बी वी एन प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4	हां	1	शून्य
2.	श्री एस. शक्तिमणि (दिनांक 6.03.2021 तक)	3	3	हां	1	शून्य
सरकार द्वारा नामित निदेशक:						
3.	श्रीमती सुकृति लिखी	4	4	हां	4	शून्य
4.	श्रीमती अलका तिवारी	2	2	हां	1	शून्य
5.	श्री ए.एम. मनिचन (दिनांक 10.11.2020 तक)	1	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में चार बोर्ड बैठकें अर्थात् दिनांक 02.09.2020, दिनांक 03.12.2020, दिनांक 03.03.2021 और दिनांक 24.03.2021 को आयोजित की गईं। बोर्ड की ये

बैठकें एमसीए अधिसूचना परिपत्र संख्या 11/2020, पत्र संख्या एफ संख्या 2/1/2020-सीएल-वी दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुसार आयोजित की गई थीं।

iii. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मर्दों का निर्धारण और चयन:

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त उचित नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक मंडल समिति की बैठकों की तारीख और स्थान विनिश्चित करते हैं। बैठक के दौरान सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बयान अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। जब अत्यावश्यक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, तो बैठकें कम समय की पूर्व सूचना पर बुलाई जाती हैं या अधिनियम या इसके लेखों में उल्लिखित लागू प्रावधानों के सम्यक अनुपालन में परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जहां कहीं किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति के कारण एजेंडा नोट्स में संलग्न करना व्यावहारिक नहीं है, या विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मर्दों के कागजात बैठक में पटल पर रखे जाते हैं।
- कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त कार्यसूची कागजात परिचालित किये जाते हैं।
- बोर्ड/समितियों की बैठकों में वित्त, संचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतीकरण दिया जाता है ताकि सदस्यों को जब भी अपेक्षित हो, सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
- कंपनी की सभी जानकारी तक बोर्ड के सदस्यों की पूरी पहुंच है। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे की संस्तुति करने के लिए भी स्वतंत्र है जिसे वह एजेंडा में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। बोर्ड द्वारा चर्चा की जा रही वस्तुओं के लिए अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए, जब भी अपेक्षित हो, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बुलाया जाता है।

iv. बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेखन:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तक में विधिवत दर्ज किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के सदस्यों के बीच उनकी संपुष्टि के लिए आगामी बोर्ड बैठक में परिचालित किया जाता है। बोर्ड की उप-समिति के कार्यवृत्त भी जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

v. अनुवर्ती तंत्र:

बोर्ड/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को एटीआर एजेंडा प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रभावी अनुवर्ती, समीक्षा और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

vi. अनुपालन:

हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एजेंडा नोट्स तैयार करते समय कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन हो। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विभिन्न अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। बोर्ड को अपेक्षित सूचना नियमित रूप से निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाती है:—

- समझौता ज्ञापन (एमओयू), बड़ी संविदाएं प्रदान करने की सूचना।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस, और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो तात्विक से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी कंपनियों का गठन, संयुक्त उद्यम और कार्यनीतिक गठबंधन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/फर्मों आदि में उनके द्वारा अधिग्रहित निदेशकों और समिति पदों के बारे में अभिरुचि का प्रकटीकरण।
- कानून और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मर्दें।
- सांविधिक प्रावधानों का त्रैमासिक अनुपालन प्रमाण पत्र।
- बोर्ड द्वारा समय-समय पर वांछित अन्य विषय।

vii. गैर-कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा और प्रकटीकरण:

कंपनी सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं करती है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 6000/- रुपये (छह हजार रुपये मात्र) की दर से बैठक शुल्क और जेब से खर्च का भुगतान

किया गया। दिनांक 29.06.2019 से कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जा सका।

viii. निदेशक मंडल द्वारा अन्य कंपनियों की समिति में धारित निदेशक पद और सदस्यता

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशक पद / प्रकटीकरण (2020-21)
कार्यकारी निदेशक:			
1.	श्री बी वी एन प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	शून्य
2.	श्री एस. शक्तिमणि निदेशक (वित्त) (दिनांक 06.03.2021 तक)	कार्यकारी निदेशक	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
सरकार द्वारा नामित निदेशक			
3.	श्रीमती सुकृति लेखी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1. नेपा लिमिटेड 2. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड 3. तुमकुरु मशीन टूल पार्क
4.	श्रीमती अलका तिवारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य
5.	श्री ए.एम. मनिचन (दिनांक 10.11.2020 तक)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड 2. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड 3. भेल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड

ix. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने बोर्ड के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए पहल करती है। सीसीआई के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर सीसीआई के बोर्ड (आधिकारिक) और (गैर-आधिकारिक), जैसा भी मामला हो, के अंशकालिक निदेशकों को सीसीआई के कामकाज से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है।

x. आचार संहिता

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के प्रति कटिबद्ध है। यह पुष्टि की जाती है कि बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 2020-21 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

xi. जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक एकीकृत हिस्सा है और कारपोरेट और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है।

3. लेखा परीक्षा समिति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने निम्नलिखित निदेशकों से मिलकर लेखा परीक्षा समिति का गठन किया: -

- 1) श्रीमती सुकृति लेखी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) - अध्यक्ष
- 2) श्री बी.वी.एन. प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - सदस्य
- 3) श्रीमती अलका तिवारी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) - सदस्य

लेखा परीक्षा समिति के पास कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और विचारार्थ विषय होते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, दिनांक 03.12.2020, दिनांक 03.03.2021 और दिनांक 24.03.2021 को तीन लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया: -

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1. श्रीमती सुकृति लेखी	3	3
2. श्री बी.वी.एन. प्रसाद	3	3
3. श्रीमती अलका तिवारी	3	3

4. परिश्रमिक समिति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को देय

पारिश्रमिक और भत्ते सरकार द्वारा और उनकी नियुक्ति/संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक सीपीएसई एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जो कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन नीति विनिश्चित करेगी।

स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में कंपनी की पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण:

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	नाम	डीए और एचआरए सहित वेतन	अन्य हितलाभ	कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन	परिलब्धियां	चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	कुल
1.	श्री बी वी एन प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	27.91	6.34	0.00	0.00	0.18	3.00	37.43
2.	श्री एस. शक्तिमणि निदेशक (वित्त) (दिनांक 06.03.2021 तक)	23.80	6.30	0.00	0.00	0.19	2.56	32.86
3.	अजय कुमार शर्मा, कंपनी सचिव	12.78	2.21	0.00	0.00	0.38	1.53	16.91
	योग	64.50	14.85	0.00	0.00	0.76	7.10	87.20

5. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति होना अपेक्षित है। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। तदनुसार, कंपनी में सीएसआर समिति का गठन नहीं किया जा सका।

6. हितधारक संबंध समिति

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और इसकी संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है। इसलिए, ऐसी किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

चूंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

8. अनुशंगी कंपनियां

कंपनी की कोई अनुशंगी कंपनी नहीं है।

9. वार्षिक आम बैठक

विगत तीन वर्षों की वार्षिक आम बैठक का विवरण इस प्रकार है:-

वार्षिक आम बैठक	54वीं वार्षिक आम बैठक	55वीं वार्षिक आम बैठक	56वीं वार्षिक आम बैठक
तारीख और समय	26 सितंबर, 2018 अपराह्न 12.30 बजे	30 दिसंबर, 2019 अपराह्न 03.00 बजे	4 मार्च, 2021 मध्याह्न 12.00 बजे
स्थान	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
पारित किए गए विशेष संकल्प	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

10. प्रकटीकरण

I. संबंधित पक्षकार लेनदेन:

कंपनी ने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार व्यक्तिगत

रूप से निदेशकों द्वारा किया गया प्रकटीकरण) के साथ ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के साथ संभावित हित जुड़े हों।

II. कानूनों का अनुपालन:

कंपनी ने मई 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 56वीं वार्षिक आम बैठक 4 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी। इस संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत चूक के शमन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन दाखिल किया जा रहा है।

निदेशक मंडल के लिए संविदात्मक दायित्वों के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किए गए खर्च के अलवाला कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया है।

III. लेखाकरण समाधान:

कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार वित्तीय विवरण के लिए अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई टिप्पणियों और पर्यवेक्षणों के अधीन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन किया।

IV. राष्ट्रपति के निर्देश:

वित्तीय वर्ष 2020-21 और विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निर्देश नहीं मिला है।

11. सतर्कता

सीसीआई, एक पीएसयू होने के नाते, कंपनी के अभिलेख भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा और सतर्कता द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं। सीसीआई में सीवीओ की अध्यक्षता में सतर्कता विभाग विद्यमान है।

12. संचार के माध्यम

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट www.ccilttd.in पर डाले जाते हैं। कंपनी समय-समय पर कारपोरेट संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों और क्रियाकलापों पर आधिकारिक समाचार वेबसाइट पर भी डालती है।

13. सचेतक नीति:

कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मचारियों की सीएमडी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति तक सीधी पहुंच है जो कंपनी की सचेतक नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.ccilttd.in पर भी उपलब्ध है।

14. अनुपालन प्रमाण पत्र:

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों के साथ उनकी टिप्पणियों और पर्यवेक्षण के अधीन अनुपालन की पुष्टि करने वाला मैसर्स जीडब्ल्यू एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, इसके साथ संलग्न है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन नं. 09353339

दिनांक : 25 फरवरी, 2022

स्थान : नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. सिंहावलोकन

वित्तीय वर्ष 2020-21 कोविड-19 की पहली लहर में लगाए गए लॉकडाउन का साक्षी रहा है जिसके कारण वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था सिकुड़ सी गई थी। कोविड 19 ने अर्थव्यवस्था के लिए विकट चुनौती पेश की और उस अवधि में जीवन और आजीविका के बीच संतुलन की आवश्यकता थी। हालांकि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में सीमेंट क्षेत्र में धीमी लेकिन सकारात्मक वृद्धि देखी गई।

इस महामारी के बीच, ग्रामीण बाजारों में सीमेंट की खपत में मजबूत वृद्धि देखी गई क्योंकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कम लागत वाले आवास के निर्माण में वृद्धि के साथ-साथ श्रम उपलब्धता में वृद्धि हुई। केंद्र सरकार की '2022 तक सबके लिए आवास' की योजना और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने सीमेंट की मांग बढ़ाने के लिए सकारात्मक योगदान दिया। हालांकि, वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगाये गये लॉकडाउन के कारण भारतीय सीमेंट उत्पादन में कुल मिलाकर लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। अखिल भारतीय सीमेंट उत्पादन जो वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 329 मिलियन टन था वह वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान घटकर 294.4 मिलियन टन रह गया क्योंकि वर्ष 2020 के अप्रैल में लगभग पूरा महीने में देशव्यापी लॉकडाउन लगा था।

हालांकि अप्रैल, 2020 के अंतिम सप्ताह में ही कोविड 19 संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के उपरांत सीसीआई भी पुनः सीमेंट उत्पादन आरंभ करने में सक्षम था और यह प्रबंधन और कार्यबल की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है।

2. वित्तीय समीक्षा और विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 50.94 करोड़ की निवल हानि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निगम का निवल लाभ 13.15 करोड़ रुपये रहा। वर्ष के दौरान सीमेंट का उत्पादन गत वित्तीय वर्ष के 5.84 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 8.93 लाख मीट्रिक टन रहा।

3. कारपोरेट शासन

सीसीआई कारपोरेट शासन के उच्चतम मानकों का पालन करने के प्रति कटिबद्ध है और इसके निदेशक अच्छे कारपोरेट शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की संपुष्टि करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी, कारपोरेट शासन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन कर रही थी।

4. संवहनीयता

सतत विकास कंपनी के कारोबारी दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सीसीआई अपने कारोबारी विकास और

लाभप्रदता का अवलोकन करते समय पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपायों को बढ़ाने का प्रयास करता है। संवहनीयता उपायों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपाय, वैकल्पिक ईंधन के उपयोग में वृद्धि, सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि और जल संरक्षण शामिल हैं। संवहनीयता का लक्ष्य हासिल करने में सहायता करने के लिए इकाइयों में सीवेज प्रशोधन संयंत्र भी स्थापित किए गये हैं। ये प्रयास कंपनी के संयंत्रों के आस-पास रहने वाली आबादी की भी सहायता करते हैं और ब्रांड और इसकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत करते हैं। सीसीआई ने अपनी तांदूर इकाई में अत्यधिक कुशल पल्स जेट बैग फिल्टर भी स्थापित और चालू किया, जो सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम है।

5. डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र

कंपनी में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और तीनों इकाइयों में ई-ऑफिस के सफल शुभारंभ और कार्यान्वयन और कारपोरेट कार्यालय ने कागज के कम उपयोग को सुनिश्चित करने और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा कोविड महामारी की अवधि की निगरानी और उस पर विजय प्राप्त करने में सहायता की है। ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेजी भी आई है और सुव्यवस्थित भी हुई है। कर्मचारी की छुट्टी की मंजूरी और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया भी उसी पैकेज के माध्यम से की जाती है। निगम ने अभिलेखों के लंबे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर उनका डिजिटलीकरण भी किया है।

6. जोखिम प्रबंधन

सीमेंट अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योगों में से एक है जिसकी 98 प्रतिशत से अधिक क्षमता निजी क्षेत्र के पास है। वास्तव में सीमेंट भारत में एक कमोडिटी से ब्रांडेड कमोडिटी चरण में स्थानांतरित हो गया है। सीमेंट क्षेत्र के लिए परिकल्पित महत्वपूर्ण जोखिम नीचे दिए गए हैं—

क) **आर्थिक वातावरण और बाजार की मांग**— गत कुछ वर्षों के दौरान निर्माण में होने वाली वृद्धि की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे सीमेंट की खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मौजूदा उत्पादकों की क्षमता में वृद्धि और नए प्रवेशकों के उद्भव के साथ, प्रतिस्पर्धा निरंतर जोखिम भरी दिखाई देती है। इसी प्रकार देश का सतत विकास भी सीमेंट की बढ़ी हुई खपत के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

ख) **मुद्रास्फीति और उत्पादन की लागत में वृद्धि**—सीमेंट उत्पादन अत्यधिक ऊर्जा की खपत

वाला सतत प्रक्रिया है और कोयले, पेट-कोक और अन्य ईंधन की कीमतों में कोई भी वृद्धि सीमेंट के उत्पादन की लागत में वृद्धि करेगी, जिसे उपभोक्ता को इससे पार पाने में कठिनाई आ सकती है।

ग) पर्यावरण- पर्यावरण चिंता हाल ही में और अधिक बढ़ी है और इसलिए निगम द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लगभग सभी इकाइयों में कचरे का निस्तारण, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, सीवेज प्रशोधन संयंत्र, बैग हाउस की स्थापना और व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा टीम आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की निगरानी करती है और लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। प्रचालन प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों में सुधार पर आंतरिक लेखा परीक्षा टीम की सस्तुतियां भी लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और कारोबारी प्रचालन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए उपकरण के रूप में इनका उपयोग किया जाता है।

8. सीएसआर नीति

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संवहनीयता नीति विद्यमान है।

9. अन्य प्रकटीकरण

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट

शासन पर दिशानिर्देशों के अध्याय-7 में प्रावधान है कि निदेशकों की रिपोर्ट के अलावा या इसके अतिरिक्त, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए जिसमें कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विभिन्न मामलों पर चर्चा भी सम्मिलित है। जहां तक खंड-वार और उत्पाद-वार प्रदर्शन का संबंध है, कंपनी केवल एक खंड अर्थात् सीमेंट में काम करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मोर्चा और पर्यावरण परिरक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण आदि जैसे विषय पहले ही निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए जा चुके हैं।

उपसंहार

सीमेंट उद्योग की वृद्धि की संभावनाएं अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ी हुई हैं। अल्प अवधि में इसका दृष्टिकोण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि, सीमेंट उद्योग के लिए दीर्घकालिक चालक बरकरार है। महत्वपूर्ण रूप से, बुनियादी ढांचे के विकास और आवास पर सरकार का ध्यान उद्योग के लिए अच्छा है।

चेतावनी कथन

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और प्राक्कलनों का वर्णन करने वाले इस "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" में दिए गए कथन लागू सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अर्थ में आषावादी और प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणमों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रपत्र सं. 9 एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का सारांश

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:		
i)	सीआईएन :	U74899DL1965GOI004322
ii)	पंजीकरण की तारीख :	18/01/1965
iii)	कंपनी का नाम :	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी :-	विनिर्माण क्षेत्र
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :-	कोर -5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड नई दिल्ली- 110003
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है- हां/नहीं :-	नहीं
vii)	रजिस्टर और अंतरण एजेंट, यदि कोई है का नाम, पता तथा संपर्क विवरण :-	लागू नहीं

2. कंपनी के प्रमुख कारोबारी कार्यकलाप

कंपनी के ऐसे सभी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा, जो कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान देते हैं:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	सीमेंट	2394	100%

3. नियंत्रक, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	नियंत्रक, अनुषंगी और सहयोगी कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
	शून्य				

4. शेयरधारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के ब्यौरे)

i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयर				वर्ष के अंत में धारित शेयर				वर्ष के दौरान परिवर्तन (प्रतिशत में)
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क) प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति विशेष/एचयूएफ	0	0	0	0.00					
(ख) केन्द्र सरकार के इक्विटी शेयर अधिमानी शेयर	-	-	45,59,749	35,54,325	45,59,749	35,54,325*	100%	100%	NIL
	-	-	45,59,749	35,54,325	45,59,749	35,54,325	100%	100%	
(ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(च) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप-योग (क) (1):-	0	81,14,074	81,14,074	100%	81,14,074	81,14,074	100%	100%	
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई-व्यक्ति विशेष	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(ख) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(ग) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00					
(घ) कोई अन्य....	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
उप-योग (क) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रवर्तकों की कुल शेयरधारिता									
(क)=(क)(1)+(क)(2)	0		0	0	0	0	0	0	
(क) सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग) केंद्र/राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
घ) उद्यम पूंजीगत निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
ङ. बीमा कंपनियों	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(*) सीसीआई की परिसंपत्तियों की बिक्री की आय से मोचित जाना था। मंत्रालय को समुचित कार्रवाई के लिए अनुरोध भेजा गया है।									
च) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	
छ) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0.00					
ज) अन्य विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
दवाबग्रस्त परिसंपत्तियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
उप-योग (ख)(1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. गैर संस्थागत निकाय									
क) निगमित निकाय (भारतीय और विदेशी)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) व्यक्ति विशेष	0	0	0	0	0	0	0	0	
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपये तक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपये से अधिक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयर				वर्ष के अंत में धारित शेयर				वर्ष के दौरान परिवर्तन (प्रतिशत में)
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) न्यास	0	0	0	0	0	0	0	0	
एनआरआई और विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग-ii) समाशोधन सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	
एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप-योग (ख)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
क. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	
सकल योग (क+ ख+ग)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	NIL

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान परिवर्तन (प्रतिशत में)
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के सापेक्ष गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के सापेक्ष गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का प्रतिशत	
1.	केन्द्र सरकार	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	शून्य
	योग	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	शून्य

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि-वार बढ़/घट, बड़/घट, के कारण भी विनिर्दिष्ट करें (उदाहरणार्थ आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रवर्तक और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से अन्य) की शेयरधारिता का पैटर्न:

क्र. सं.	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारक	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि-वार बढ़/घट, बढ़/घट, के कारण भी विनिर्दिष्ट करें (उदाहरणार्थ आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण होने की तिथि को, यदि पृथक्करण उसी वर्ष के दौरान हुआ है)				

v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि-वार बढ़/घट, बढ़/घट, के कारण भी विनिर्दिष्ट करें (उदाहरणार्थ आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				शून्य
	वर्ष के अंत में				

5. ऋणभारग्रस्तता

बकाया/उपचित ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणभारग्रस्तता

(₹ लाख में)

	जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणभारग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणभारग्रस्तता				
i) मूलधन की राशि		15090.07		15090.07
ii) देय ब्याज परंतु प्रदत्त नहीं		12385.27		12385.27
iii) उपचित ब्याज परंतु देय नहीं		शून्य		शून्य
योग (i+ii+iii)		27475.34		27475.34
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभारग्रस्तता में परिवर्तन		शून्य		शून्य
· परिवर्धन				
· अपचयन				
निवल परिवर्तन		शून्य		शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणभारग्रस्तता				
i) मूलधन की राशि		15090.07		15090.07
ii) देय ब्याज परंतु प्रदत्त नहीं		12385.27		12385.27
iii) उपचित ब्याज परंतु देय नहीं		शून्य		शून्य
योग (i+ii+iii)		27475.34		27475.34

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्यौरा	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम		कुल राशि
		श्री बी.वी.एन. प्रसाद	श्री एस. शक्तिमणि (दिनांक 06.03.2021 तक)	
1.	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन	34.25	30.10	64.35
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	--	--	---
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले हितलाभ	--	--	--
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन			
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें....			
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें			
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	3.00	2.56	5.56
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.18	0.19	0.37
	योग (क)	37.43	32.86	70.29
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	0	-	-
	• बोर्ड की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क				
	• कमीशन				
	• अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				
	योग (1)	0			
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक (बीआईएफआर नामिती)				
	• बोर्ड की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क				
	• कमीशन				
	• अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				
	योग (2)	0			
	योग (ख)=(1+2)	0	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा				

ग). प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधकों से इतर अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	कंपनी सचिव (वित्त) / सीएफओ	निदेशक (दिनांक 06.03.2021 तक)
		श्री अजय कुमार शर्मा	श्री एस. शक्तिमणी
1	सकल वेतन
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन	14.99	30.1
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले हितलाभ	-	-
		-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-
4	कमीशन		
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	-	-
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें		
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	1.53	2.56
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.38	0.19
	योग	16.91	32.86

7. अपराधों के लिए दंड / सजा / समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित दंड / सजा / समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
दंड	धारा 96	वर्ष 2019-20 की वार्षिक आम बैठक बढ़ाई गई समयावधि के बाद आयोजित करना		आरओसी	आरओसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के समक्ष आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत है।
समझौता					
ख. निदेशक					
		शून्य			
दंड					
सजा					
समझौता					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
		शून्य			
दंड					
समझौता					

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

दिनांक : 25 फरवरी, 2022

स्थान : नई दिल्ली

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर -5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7-लोधी रोड
नई दिल्ली - 110003

- हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, मई, 2010 को (समय-समय पर यथा सेशोधित) जारी दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित है, द्वारा कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
- कारपोरेट शासन का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कारपोरेट की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर मत की अभिव्यक्ति है।
- हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनसुार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:
क. कंपनी के बोर्ड में 29.06.2019 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, हालांकि समय-समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध भेजा गया था।

ख. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक सदस्य होंगे और लेखापरीक्षा समिति के दो- तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। लेकिन कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक विद्यमान नहीं है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा समिति की संरचना डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है।

ग. कंपनी ने पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

4. हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

कृते जी डब्ल्यू एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./—

सीएस गीता रानी वाधवा

प्रोपराइटर

सदस्यता संख्या 25218

सीपी संख्या 9822

एम: 8802712645

यूडीआईएन सं. 1025218001339465

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 02.02.2022



बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकैट ए/3,
सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
मोबाइल : 9811387946
ई मेल: balikasharma@gmail.com

प्रपत्र सं. एमआर-3

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
खकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक)
नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में,

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
कार्यालय : कोर 5, स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003
सीआईएन: U74899DL1965GOI004322

हमने सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके पश्चात 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उचित कारपोरेट परिपारटियों के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस रीति में की गई थी जो हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर हमारा मत व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करे।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए ई-प्रपत्रों और विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और इसके अतिरिक्त कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार,, कंपनी ने **1 अप्रैल, 2020** से आरंभ होने वाले और **31 मार्च, 2021** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को समाहित करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उस सीमा तक, जिस सीमा तक इसके उपरांत किए गए प्रतिवेदन की रीति में और अधीन समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र विद्यमान हैं:

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी')** द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं,, फाइल किए गए ई-प्रपत्रों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- 2) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- 3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- 4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;



बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकैट ए/3,
सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
मोबाइल : 9811387946
ई मेल: balikasharma@gmail.com

- 5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: –
- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992;
 - ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009;
 - घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999;
 - ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;
 - च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993;
 - छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों असूचीबद्धता) विनियम, 2009; तथा
 - ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998;
- 6) असूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते, पैरा 2, 3, 4 और 5 में दिए गए उपरोक्त अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 7) हमने कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी को अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा गठित प्रणाली और तंत्र के लिए दिए गए अभ्यावेदन पर भरोसा किया है।
- हमने पैरा (i) के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की है चूंकि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2015 से अधिसूचित किया गया था, लेकिन हमने पैरा (पप) के प्रावधानों के अनुपालन की जांच नहीं की है चूंकि ये कंपनी (असूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के कारण) पर लागू नहीं होते हैं।
- i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
 - ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ किए गए सूचीबद्धता करार यदि लागू हो;

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर, कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। हालांकि, कंपनी ने पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है और इस पर पुष्टि की प्रतीक्षा है।



बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकैट ए/3,
सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
मोबाइल : 9811387946
ई मेल: balikasharma@gmail.com

बोर्ड की बैठकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए कंपनी में प्रणाली मौजूद है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में ऐसी पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं जो ऊपर बताए गए लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

पैरा 5 में ऊपर बताए गए अधिनियम, नियम, विनियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, हालांकि हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान फेमा प्रावधानों के अंतर्गत कोई लेनदेन की सूचना नहीं थी।

ह./—

बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स

कंपनी सेक्रेटरीज

एफसीएस सं.: 4816

सी.पी. सं. बचछव : 3222

यूडीआईएन सं.: F004816C002320943

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 28.01.2021

यह रिपोर्ट हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ी जाए जो अनुबंध I के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।



बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज

पता : फ्लैट नं. 211, पॉकैट ए/3,
सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
मोबाइल : 9811387946
ई मेल: balikasharma@gmail.com

अनुबंध I

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
कार्यालय : कोर 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003
सीआईएन: U74899DL1965GOI004322

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाएगा

1. सचिवीय अभिलेख का अनुक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत व्यक्त करना है।
2. हमने उन लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों,, यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारा मत के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी परीक्षा यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. यह सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 28.01.2021

ह/-
बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज
एफसीएस सं.: 4816
सी.पी. सं. ब्युचव : 3222
यूडीआईएन सं.: F004816C002320943

दस वर्ष का सार-संग्रह

(₹ लाख में)

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
लाभ-हानि विवरणिका											
बिक्री और प्रेषण एवं स्टॉक में अभिवृद्धि/कमी	39255	25202	27237	33075	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286
असाधारण आय/व्यय सहित अन्य आय	3762	3752	8685	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893
कच्चे माल की खपत	5058	4749	4029	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969
भंडार और पैकिंग सामग्री की खपत	1755	1488	1472	1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703
कर्मचारी को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	5672	5490	6070	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997
ब्याज	374	147	116	261	225	223	297	295	446	911	3683
मूल्यहास	913	765	635	603	665	790	636	906	811	744	774
अन्य विनिर्माण व्यय	27930	21410	22965	24812	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340
लाभ (+)/हानि(-)	1315	-5095	635	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713
तुलन पत्र											
प्रदत्त शेयर पूंजी*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	(82034)	(83350)	(78256)	(78846)	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)
ऋण	15090	15090	27475	28100	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	14127	12317	12697	10418	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224
चालू परिसंपत्तियां	33977	28492	36856	41100	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269
चालू देनदारियां एवं प्रावधान	18040	10564	10697	31399	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137
पूंजी डब्ल्यूआईपी	5959	5809	5812	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051
अन्य परिसंपत्तियां (डीआरई सहित)	2116	2248	2254	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795
नियोजित पूंजी#	40576	39765	44896	48478	50564	53610	50349	47859	50358	45928	17068
कर्मचारियों की संख्या	486	504	574	640	665	747	813	907	906	907	988
निवल संपत्ति	-2980	-4229	859	364	-1382	-5593	-10807	-14260	-15808	-16524	-18536

* इसमें 45,598 लाख रुपये के इक्विटी शेयर एवं 35,543 लाख रुपये के मोचनीय अधिमानी शेयर सम्मिलित हैं।
नियोजित पूंजी को कुल परिसंपत्तियों में से चालू देनदारी एवं अपरिशोधित व्यय को घटाकर लेखांकित किया गया है।



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (संशोधित)

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

वित्तीय विवरणिकाओं पर संशोधित रिपोर्ट

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा कार्यालय (आई एंड सीए), नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 19 दिसंबर, 2021 के हॉफ मार्जिन की गई टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को लेखाओं पर हमारी पिछली 9 दिसंबर 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमण में है।

योग्य मत

हमने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") सीआईएन नं. -U74899DL1965GOI004322 की संलग्न एकल (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि की विवरणिका और नकदी प्रवाह विवरणिका सम्मिलित है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित ग्यारह इकाइयां (मंधार, तांदूर, चरखी दादरी, अकालतारा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुरुकुंटा, आदिलाबाद), बोकाजन और सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट) तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षित राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और कारपोरेट कार्यालय की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना भी शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य मत हेतु आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरणिका कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना इस रीति में देती है जो 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इकाई के कार्यों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व हानि और उसके नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप अपेक्षित है तथा सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य मत हेतु आधार

- क. कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के मालिकाना हक और लीज पट्टा का निष्पादन निरंतर लंबित है और भूमि का विवरण समाशोधन के अध्ययन है। इसके अतिरिक्त, डीडीए ने दिनांक 11-04-2017 को स्वतः 14.20 एकड़ भूमि एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी थी जिसकी लागत अब "बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य" में अंतरित कर दी गई है। रेलवे को साइडिंग के निर्माण के लिए दिये गये 6.74 एकड़ भूमि का भौतिक कब्जा अभी तक कंपनी को नहीं सौंपा गया है, निर्माण लंबित है। (टिप्पणी-34 के बिंदु संख्या 04 और 08 देखें)।
- ख. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर की सरकारी भूमि जो पंप हाउस से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क के रूप में है जिसका अन्य संक्रामण आदेश अभी प्रतीक्षित है, के अधिग्रहण एवं उपयोग से होने वाली देनदारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (टिप्पणी-34 के बिंदु संख्या 06 देखें)।
- ग. वर्ष 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित समाशोधन के कारण विचारनहीं किया गया है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 12 देखें)।
- घ. कुछ व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय, पक्षकारों को जमा राशियां और पक्षकारों से जमा राशियां तथा अन्य देनदारियां पुष्टि और समाशोधन के अध्ययन हैं। समाशोधन न होने के कारण पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का मूल्यांकन नहीं किया गया है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 22 देखें)।

- ड. कंपनी की दिल्ली में सात उत्पादन इकाइयों और एक ग्राइंडिंग इकाई है, जहाँ वर्ष 1996 से वर्ष 1999 के बीच प्रचालन बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई है, जिसमें उत्पादन आरंभ नहीं किया था, जिसके संबंध में टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 11 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रबंधन के विचार के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि बाजार मूल्य आम तौर पर परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक होता है।
- च. कंपनी ने 22 मार्च, 2007 को 7 (सात) वर्षों के लिए भारत सरकार को 355.43 करोड़ रुपए के मूल्य के 3554325 गैर-संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर प्रत्येक 1000/- रुपए के जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त अधिकानी शेयरों का 22 मार्च 2014 से पूर्व मोचित किया जाना था, जो कि निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रबंधन ने सूचित किया कि मंत्रीमंडल/बीआईएफआर के निर्देशानुसार मंत्रालय से अधिमानी शेयर को पुनः निर्गमित करने के लिए आगे की कार्रवाई की मांग की गई है। (टिप्पणी 34 बिंदु सं. 13 देखें)।
- छ. 11,963.31 लाख रुपये की कुल मालसूची में से 4,095.84 लाख रुपये की अप्रचालनरत इकाइयों की मालसूची की वही राशि विगत कई वर्षों से बहियों में आगे ले जाई जा रही थी। मालसूची में निहित मदों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एवं शाखा लेखा परीक्षकों की अपनी संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में मालसूची पर टिप्पणियों के संबंध में मालसूची के मूल्य में अत्यधिक कमी हो सकती है वित्तीय विवरणिकाओं में जिसके प्रभाव का प्रबंधन द्वारा निर्धारण नहीं किया गया है या प्रावधान नहीं किया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण (एसए) के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणिका खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वह हमारी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम वित्तीय विवरणिकाओं में निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

- कंपनी को माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96-बीईएनसीएच IV एसओएल दिनांक 08.08.96 के माध्यम से रुग्ण कंपनी घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने दिनांक 21-03-2006 को की गई अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03-05-2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 अप्रचालनरत संयंत्रों को बंद करने/बेचने की परिकल्पना की गई थी। माननीय बीआईएफआर द्वारा मामला समाप्त करने उपरांत अप्रचालनरत इकाइयों की बिक्री डीआईएमएम दिशानिर्देशों के अनुसार डीएचआई के माध्यम से की गई। निदेश के अनुसार, अप्रचालनरत इकाई की बिक्री दो चरणों में की जानी है, जिसके लिए परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता, लेनदेन सलाहकार और विधिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। पांच इकाई के लिए पीआईएम (प्रारंभिक सूचना ज्ञापन) तैयार कर लिया गया है। नयागांव इकाई के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित की जा चुकी है। अतः नयागांव विस्तार (1 मिलियन टन संयंत्र) की सीधे तौर पर जुड़े प्रचालन की चिन्हित सीमा तक, परिसंपत्ति और देनदारियां दिनांक 01-04-2019 से नयागांव सीमेंट फ़ैक्ट्री को अंतरित कर दी गई हैं। इसी तरह, नयागांव सीमेंट फ़ैक्ट्री की देनदारियां, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, से अन्य को नयागांव विस्तार (1 मिलियन टन संयंत्र) को अंतरित कर दी गई हैं (टिप्पणी 34.09 देखें)
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के पत्र के अनुसरण में वन भूमि के गैर-वन उपयोग के लिए निवल चालू मूल्य और उस पर ब्याज के संबंध में डीएफओ, पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को 2305.25 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। (टिप्पणी 34.17 देखें)

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणिकाओं और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना सम्मिलित है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरणिकाएं और हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी मत में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाएं पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणिकाओं के साथ भौतिक रूप से या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त सूचना हमारे ज्ञान में असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का तात्त्विक मिथ्याकथन है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी बात नहीं है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने; ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है, जो सत्य और न्यायोचित अवलोकन प्रदान करने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए प्रासंगिक हों और किसी उल्लेखनीय मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में निदेशक मंडल कंपनी की लाभकारी कारबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, यथा लागू प्रकटीकरण, लाभकारी कारबार वाले संस्थान से संबंधित मामलों और लेखाकरण में लाभकारी कारबार वाले संस्थान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी के या तो परिसमापन या प्रचालन बंद करने आशय नहीं करता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के संबंध में उत्तरदायित्व हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समग्र रूप से तात्त्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे मत शामिल हैं। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा तात्त्विक मिथ्या कथन मौजूद होने पर सदैव उसका पता लगाएगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से हो सकते हैं और यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा होती है तो इन्हें तात्त्विक माना जाता है।

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और ऐसी योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें जिससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणी तात्त्विक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं।

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणिकाओं में निहित राशि और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय

विवरणिकाओं में उल्लेखनीय मिथ्या कथन का आकलन किया जाना शामिल है, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो। वे जोखिम आकलन करते समय, लेखा परीक्षक कंपनी की सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उन परिस्थितियों में समीचीन हों। एक लेखा परीक्षा में कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा तैयार किए गए लेखाकरण प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणिकाओं में शामिल 11 (ग्यारह) शाखाओं की वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणिकाएं/ वित्तीय सूचना में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कुल परिसंपत्ति 383.49 करोड़ रुपए और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 356.56 करोड़ रुपए (कुल राजस्व का लगभग 79 प्रतिशत) है। इन वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई और और जहां तक शाखाओं के संबंध में सम्मिलित राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारे मत पूर्णतया ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की जांच की है। मालसूची धारिता अनुपात, चालू अनुपात, बिक्री ग्राफ, लेखाकरण (एसए) 570 (संशोधित) (लाभकारी कारबार वाला संस्थान) पर मानक में यथा निर्धारित श्रम शक्ति में गिरावट एवं पाया गया कि ये वित्त वर्ष 2019-20 तक कंपनी के बारे में नकारात्मक तस्वीर दर्शाते हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लगभग सभी वित्तीय संकेतकों में सकारात्मक तस्वीर दिखाई दी है और हमारे पास वित्त वर्ष 2020-21 के मामले में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी बात नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, और कंपनी की बहियों और अभिलेखों के ऐसी जांच के आधार पर जैसा हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर 'अनुबंध क' में, विवरण देते हैं।
- हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जारी निदेशों/ उप-निदेशों पर अधिनियम की धारा 143 (5) के निबंधनानुसार, कंपनी के बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच जो हमने उचित समझी, के आधार पर और हमें प्रदान की सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुबंध ।। में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
- जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे;
 - हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं, उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उन शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।
 - शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखाओं पर रिपोर्ट हमें भेज दिया गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे इस पर उचित रूप से ध्यान दिया है;
 - तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इस रिपोर्ट में दर्शाया गया नकदी प्रवाह की विवरणिका, लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणों के साथ हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है;
 - हमारे मतानुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणिका कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं;

- च) सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलताओं के संबंध में, "अनुबंध ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है – वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी सख्या 32 देखें।
 - कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घावधिक संविदाएं नहीं हैं जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियां होती हैं।
 - ऐसी कोई धनराशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और नियम क प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी कोई निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

कृते महलवाला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन.: 005823एन

ह/—
सीए मनोज गुप्ता
पार्टनर
स.सं. 089370

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 17/01/2022

यूडीआईएन: 22089370AAAAAJ7184

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाएं' पर रिपोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

हमारे द्वारा उचित समझी गई जांच के आधार पर और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

1. इसकी स्थायी संपत्तियों के संबंध में:

- (क) कंपनी ने अपनी शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यथाउल्लिखित अकालतारा सीमेंट फैक्ट्री को छोड़कर, स्थायी परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं। इसके अतिरिक्त कुरकुंटा इकाई (एनओयू) के स्थायी परिसंपत्ति अभिलेख सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे जैसा कि शाखा लेखापरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है।
- (ख) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, अकालतारा सीमेंट फैक्ट्री इकाई और कुरकुंटा यूनिट के अपवाद वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है, जो हमारे मतानुसार, उचित अंतराल पर सभी स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का प्रावधान करती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं और लेखा बहियां उचित रूप से अनुरक्षित की गई हैं।
- (ग) शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ इकाइयों को छोड़कर स्थायी परिसंपत्तियों के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर हैं। कंपनी की भूमि और अन्य संपत्तियों के कुछ स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं। (टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 3 और 7 देखें)। विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	इकाइयों का नाम	भूमि का विवरण/बिल्डिंग
1	मंधार	1.06 एकड़
2	अकालतारा	495.75 एकड़
3	भटिंड	10.12 एकड़
4	नयागांव एक मिलियन टन का संयंत्र और दिल्ली सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई	6.74 एकड़
5	नयागांव	155.83 एकड़
6	नयागांव	0.146 हेक्टेअर
7.	आदिलाबाद	58.81 एकड़
8	प्रधान कार्यालय भवन	266-58 लाख रुपये, 5.7 लाख रुपये के विद्युत स्थापना को छोड़कर

II. इसकी मालसूची के संबंध में

- (क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में तैयार माल, अर्ध-तैयार माल और 'ए' और 'बी' श्रेणी के स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और कच्चे माल की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया था। जहां तक स्पेयर पार्ट्स की 'सी' श्रेणी की मालसूची का संबंध है, प्रबंधन के पास भौतिक सत्यापन की प्रणाली विद्यमान है ताकि तीन वर्ष के कालखंड में कम से कम एक बार सभी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जा सके। तदनुसार, वर्ष के दौरान ऐसी मालसूची के भाग का भौतिक सत्यापन किया गया था। तीसरे पक्षकारों के पास कोई मालसूची नहीं है।
- (ख) हमारी मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सूची का उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित किए हैं और लेखा अभिलेखों की तुलना में स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं। मंधार इकाई (अप्राचलनरत इकाई) की शाखा लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अनुसार, मालसूची की कुछ मदें जमीन में खुले पड़े हैं और बरबाद हो चुके हैं।

- III. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पक्षकारों को दिए गए प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के संबंध में:
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है और इस प्रकार आदेश का पैरा 3(पपपद्ध लागू नहीं होता है)।
- IV. ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।
- V. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जमा स्वीकार नहीं किया है और उसके पास अदावाकृत जमाराशि नहीं है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- VI. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए लागत अभिलेख की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत अभिलेख तैयार और अनुरक्षित किए हैं। हालांकि, हमने इन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है जिससे यह निर्धारित हो कि वे सही या पूर्ण हैं।
- VII. सांविधिक देयों के संबंध में:

कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, आयकर, कर कटौती सहित स्रोत पर कर, व्यावसायिक कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और उस पर लागू अन्य सामग्री वैधानिक बकाया, अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरणों में नियमित तौर पर जमा कर रही निम्नलिखित अविवादित मामलों में, भुगतान देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार बकाया हैं।

सांविधिक का स्वरूप	देयताओं का स्वरूप	राशि (लाख रुपये में)
केन्द्रीय बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	9.61
निगमित कर	प्रवेश कर	14.14
निगमित कर	नाला कर	18.92
निगमित कर	रॉयल्टी (एवं ब्याज)	66.98
मृत किराया	मृत्यु किराया (एवं ब्याज)	41.32
ईडी ग्राम पंचायत कर	अधिभार/अतिरिक्त कर	45.93
आय कर	आय कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.23
उद्योग (विकास एवं विनियम अधिनियम), 1951	सीमेंट पर उप कर	18.03
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	1597.49
खनन देयताएं	खनन विभाग	189.61
वृत्तिक कर	वृत्तिक कर एवं अन्य प्रकीर्ण	0.007
अधिभार/अतिरिक्त कर	अधिभार/अतिरिक्त कर	13.26

- ख) हम दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 का बकाया/शेष में आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में विवादित देय राशियां इस प्रकार हैं:

विवरण	देयता का स्वरूप	कहां लंबित है?	राशि (लाख रुपये में)
नाला कर	नाला कर	लागू नहीं	51.13
संपत्ति कर	संपत्ति कर	लागू नहीं	251.98
सेवा कर	सेवा कर	लागू नहीं	2.29
रॉयल्टी	रॉयल्टी (ब्याज सहित)	लागू नहीं	519.88
एनपीडीसीएल	एनपीडीसीएल	लागू नहीं	2.6
आय कर	टीडीएस में मिलान न होने के कारण मांग	आय कर आयुक्त	9.33
संपत्ति कर	आवास एवं अग्नि कर	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	205.49
उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	अपीलीय प्राधिकारण	538.7
बिक्री कर	बिक्री कर देयताएं	तेलंगाना उच्च न्यायालय	274.61
बिक्री कर	जीटीए सेवाएं	आयुक्त (अपील) केन्द्रीय सीमाशुल्क एवं सेवा कर	38.73

इसके अतिरिक्त, बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने मूल्यांकन आदेशों की अनुपलब्धता के कारण विवादित आयकर या बिक्री कर देय राशि के बारे में अपनी में अस्वीकार किया है।

- VIII. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निम्नलिखित देय राशि के संबंध में ऋण की मूल राशि और उस पर ब्याज की चुकौती में चूक की है।

विवरण	राशि लाख रुपये में	चूक की अवधि
भारत सरकार ब्याज सहित	27475.00	2011 से

- IX. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी नव वर्ष के दौरान आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखता सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं जुटाया है या कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।
- X. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधड़ी या कंपनी के साथ उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- XI. अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 क प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। आदेश के खंड 3(xi) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।
- XII. कंपनी निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं है क्योंकि आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XIII. हम दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 क अनुपालन में हैं, वित्तीय विवरणिका में लेखाकारण मानक (एएस) 18, से संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के अंतर्गत अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 क नियम 7 के साथ पठित राज्य नियंत्रित संस्थाओं पर लागू सीमा तक अपेक्षित प्रकटीकरण किया गया है।
- XIV. कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेरों या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

- XV. कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संवयवहार नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XVI. कम्पनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अधीन पंजीकरण कराया जाना अपेक्षित नहीं है।

कृते महलवाला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन.: 005823एन

हं
सीए मनोज गुप्ता
पार्टनर
स.सं. 089370

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 17/01/2022

यूडीआईएन: 22089370AAAAAJ7184

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 क खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मापदंडों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित किए जाने के लिए मानद, लेखा परीक्षा पर मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी दोनों आंतरिक नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू और दों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम इस बारे में, कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए और यदि ऐसा है तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित थे, औचित्यपूर्ण आश्वस्त प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करेंगे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इनकी प्रचालित प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियां निष्पादित करना निहित था। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का बोध प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता विद्यमान थी, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता को प्रचालित करना और इसके आरेखन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक की निर्णय पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणिकाओं के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का आकलन शामिल है, चाहे वह प्रवंचना से हुआ हो या त्रुटि से।

हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षा संबंधी मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदनों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वस्त मुहैया कराने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

1. ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हों जो, औचित्यपूर्ण विस्तार से, सटीकता और निष्पक्षता से निगम की परिसम्पत्तियों के संव्यवहारों और निपटान को परिलक्षित करती हों
2. यह औचित्यपूर्ण आश्वस्त प्रदान करती हों कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं और
3. कंपनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय रहते परिचयन के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वस्त देती हों जिनका वित्तीय विवरणिकाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुपयुक्त प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, से त्रुटि या प्रवंचना की वजह से, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है और इसका परिचयन नहीं हो सकता है। साथ ही, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की भविष्य की अवधियों पर प्रत्याशाएं स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकती हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का क्षय हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण संबंधी मानदंडों के आधार पर, ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन.: 005823एन

ह०

सीए मनोज गुप्ता

पार्टनर

स.सं. 089370

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 17/01/2022

यूडीआईएन: 22089370AAAAAJ7184

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत
निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट

1.	क्या कंपनी में सभी लेखाकरण लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से साधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर के लेखाकरण लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ लेखों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	जी हाँ, आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी की अपनी प्रणाली विद्यमान है। हमने ऐसा कोई भी लेखाकरण लेनदेन नहीं पाया है जिसे आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया हो।
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना की है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बढ़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों की समुचित रूप से लेखांकित गया गया है। (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांघिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बढ़े खाते में डालने के मामले नहीं हैं।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था। विचलन के मामले की सूची बनाए।	केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियां को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया है।

कृते महलवाला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन.: 005823एन

ह०
सीए मनोज गुप्ता
पार्टनर
स.सं. 089370

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 17/01/2022

यूडीआईएन: 22089370AAAAAJ7184

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
इक्विटी एवं देनदारियां			
शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	02	81,140.74	81,140.74
(ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	03	(82,033.82) (893.08)	(83,349.38) (2,208.64)
गैर चालू देनदारियां			
(क) दीघावधिक उधारियां	04	15,090.07	15,090.07
(ख) अन्य दीघावधिक उधारियां	05	24,152.55	23,856.86
(ग) दीघावधिक प्रावधान	06	4,312.73	4,851.13
		43,555.35	43,798.06
चालू देनदारियां			
(क) अल्पावधिक उधारियां	07	-	-
(ख) कारोबारी देय	08	2,121.43	2,219.41
(ग) अन्य चालू देनदारियां	09	8,983.35	6,593.88
(घ) अल्पावधिक प्रावधान	10	2,622.69	1,946.22
		13,727.47	10,759.51
योग		56,389.74	52,348.93
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	11A	14,125.80	12,317.44
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	11B	0.80	-
(iii) चल रहे पूंजीगत कार्य	12	5,958.60	5,808.56
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	13	12.81	0.20
(ख) गैर चालू निवेश	14	227.98	227.98
(ग) दीघावधिक ऋण एवं अग्रिम	15	3,202.01	3,316.53
(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	16	29.76	38.75
(ङ) अपरिशोधित व्यय	17	2,086.52	2,019.84
		25,644.28	23,729.30
चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश	18	-	-
(ख) मालसूचियां	19	11,963.31	14,309.33
(ग) कारोबारी प्राप्त्य	20	542.01	940.71
(घ) नकद और बैंक शेष	21	13,585.85	9,133.49
(ङ) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	22	3,382.34	3,012.84
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	23	1,271.95	1,223.26
		30,745.46	28,619.63
योग		56,389.74	52,348.93

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस तुलन पत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते **महलवाला एंड कं.**

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए मनोज गुप्ता)

पार्टनर

सदस्यता सं. 089370

तिथि: 09/12/2021

तिथि: नई दिल्ली

1 से 34

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(राज पाल सिंह)

निदेशक (वित्त)

डिन नं. 08750557

ह/-

(मनोज कुमार पात्रा)

सहायक महाप्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
राजस्व			
I प्रचालनों से राजस्व			
(क) उत्पादों की बिक्री (विलंकर सहित)		41,176.61	24,761.69
(ख) अन्य प्रचालनरत राजस्व		282.51	171.26
प्रचालनों से कुल राजस्व		41,459.12	24,932.95
II अन्य आय			
	24	3,479.94	4,902.08
कुल राजस्व		44,939.06	29,835.03
व्यय			
(क) उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	25	5,057.89	4,748.70
(ख) तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल	26	1,922.00	(439.73)
(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	5,671.85	5,489.65
(घ) अन्य व्यय	28	30,058.72	23,044.65
(ङ) वित्तीय लागत	29	-	-
च) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	30	913.04	765.08
कुल व्यय		43,623.50	33,608.35
असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)		1,315.56	(3,773.32)
असाधारण मदें आय/(व्यय)	31A	-	(1,320.77)
कर पूर्व लाभ/(हानि)		1,315.56	(5,094.09)
चालू प्रचालनों से कर संबंधी व्यय	-	-	-
चालू प्रचालनों से लाभ/(हानि)		2,345.23	(4,567.16)
रोके गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	31C	(1,029.67)	(526.93)
रोके गए प्रचालनों के कर संबंधी व्यय	-	-	-
रोके गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (करोपरांत)		(1,029.67)	(526.93)
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		1,315.56	(5,094.09)
प्रति शेयर आय (रुपये में)			
(1000 रुपये प्रति इक्विटी शेयर मान मूल्य)			
मूल		28.77	(82.83)
तनुकृत		28.77	(82.83)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां 1 से 34 उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस लाभ-हानि विवरणिका का अभिन्न हिस्सा हैं। यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित लाभ-हानि विवरणिका है।

कृते **महलवाला एंड कं.**

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए मनोज गुप्ता)

पार्टनर

सदस्यता सं. 089370

तिथि: 09/12/2021

तिथि: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(राज पाल सिंह)

निदेशक (वित्त)

डिन नं. 08750557

ह/-

(मनोज कुमार पात्रा)

सहायक महाप्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	प्रचालनरत		अप्रचालनरत		कुल	
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनरत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	2,345.23	(4,567.16)	(1,029.67)	(526.93)	1,315.56	(5,094.09)
समायोजन:						
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1,555.16	644.85	85.98	120.91	1,641.14	765.76
वित्तीय लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज एवं अन्य आय	(2,740.18)	(3,081.67)	(122.10)	(1,627.70)	(2,862.28)	(4,709.37)
स्थायी परिसंपत्तियों के निस्तारण पर लाभ	(1.14)	(13.60)	-	(11.08)	(1.14)	(24.68)
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-	-	-	-	-
आवश्यक नहीं रहे प्रतिलेखन के प्रति प्रावधान	(570.71)	(166.83)	(45.81)	(1.22)	(616.52)	(168.05)
संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	-	13.09	-	-	-	13.09
अपलिखित अपरिशोधित व्यय	258.32	181.49	-	-	258.32	181.49
असाधारण (आय)/व्यय	-	-	-	1,320.77	-	1,320.77
कार्यशाली पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनरत लाभ	846.68	(6,989.83)	(1,111.60)	(725.25)	(264.92)	(7,715.08)
कार्यशाली पूंजी में परिवर्तन:						
कारोबारी देयों में बढ़/(घट)	31.01	52.19	(128.99)	118.34	(97.98)	170.53
अन्य देनदारियों में बढ़/(घट)	3,362.68	(365.10)	(61.00)	190.61	3,301.68	(174.49)
प्रावधानों में बढ़/(घट)	249.53	(120.09)	(111.45)	117.55	138.08	(2.54)
कारोबारी प्राप्यों में घट/बढ़	398.69	(107.77)	-	(417.29)	398.69	(525.06)
मालसूचियों में घट/बढ़	2,344.46	(778.79)	1.56	10.06	2,346.02	(768.73)
ऋण एवं अग्रिमों में बढ़/(घट)	(206.16)	135.04	(48.82)	(29.93)	(254.98)	105.11
अन्य परिसंपत्तियों में घट/बढ़	(64.27)	292.81	-	-	(64.27)	292.81
खर्च किया गया अपरिशोधित व्यय	(325.00)	(175.58)	-	-	(325.00)	(175.58)
प्रचालनरत गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	6,637.62	(8,057.12)	(1,460.30)	(735.91)	5,177.32	(8,793.03)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(3,360.67)	(160.10)	(89.91)	(238.89)	(3,450.58)	(398.99)
ब्याज एवं अन्य आय	2,764.74	3,080.66	122.10	1,628.69	2,886.84	4,709.35
चल रहे पूंजीगत कार्य	(182.56)	(38.49)	19.91	42.49	(162.65)	4.00
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	1.43	21.92	-	13.37	1.43	35.29
निवेश गतिविधियों से नकदी	(777.06)	2,903.99	52.10	1,445.66	(724.96)	4,349.65
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
दीर्घावधिक उधारियों से आय	-	-	-	-	-	-
दीर्घावधिक उधारियों की चुकौती	-	-	-	-	-	-
अल्पावधिक उधारियों से आय	-	-	-	-	-	-
अल्पावधिक उधारियों की चुकौती	-	-	-	-	-	-
अन्य इकाईयों को अंतरित निधि	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज एवं अन्य उधारी लागत	-	-	-	(1,320.77)	-	(1,320.77)
इकाईयों के बीच अंतरित निधि	(1,349.85)	(647.46)	1,349.85	647.46	-	-
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी	(1,349.85)	(647.46)	1,349.85	(673.31)	-	(1,320.77)
नकदी एवं बैंक शेष में निवल बढ़/(घट)	4,510.71	(5,800.59)	(58.35)	36.44	4,452.36	(5,764.15)
प्रारंभिक नकदी एवं बैंक शेष	9,067.49	14,868.08	66.00	29.56	9,133.49	14,897.64
अंतिम नकदी एवं बैंक शेष	13,578.20	9,067.49	7.65	66.00	13,585.85	9,133.49

विवरण	प्रचालनरत		अप्रचालनरत		कुल	
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
टिप्पणियां:						
1 अंतिम नकदी एवं बैंक शेष मिलाकर शेष:						
नकदी	0.55	1.67	0.03	0.03	0.58	1.70
हस्तगत बैंक में शेष:	-	-	-	-	-	-
- चालू खाता	755.51	623.61	7.62	65.97	763.13	689.58
- जमा खाता	12,822.14	8,442.21	-	-	12,822.14	8,442.21
योग	13,578.20	9,067.49	7.65	66.00	13,585.85	9,133.49

- उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरणिका केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (लेखाकरण मानक), नियम, 2006 के अधीन लेखाकरण मानक 3 'नकदी प्रवाह विवरणिका' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार की गई है।
- बैंक जमाओं में 1021.46 लाख (गत वर्ष:1673.82 लाख रुपये) की जमा राशि सम्मिलित हैं जिसकी परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक है।
- अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, जब भी अपेक्षित हो, अपने स्वयं के नकद संसाधनों से पूर्ति किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(सीए मनोज गुप्ता)

पार्टनर

सदस्यता सं. 089370

तिथि: 09/12/2021

तिथि: नई दिल्ली

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार भार्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(राज पाल सिंह)

निदेशक (वित्त)

डिन नं. 08750557

ह/-

(मनोज कुमार पात्रा)

सहायक महाप्रबंधक (वित्त)

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणिकाओं से प्राप्त सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरणिका को सत्यापित किया है और इसे उसी के अनुसार तैयार किया गया है।

हमारी सम तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए मोनज गुप्ता)

पार्टनर

सदस्यता सं. 089370

तिथि: 09-12-2021

स्थान: नई दिल्ली

01 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

01.01 तैयारी का आधार

निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिन्हें नकदी आधार पर लेखांकित किया गया है, ये वित्तीय विवरणिकाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधान के साथ पठित लागू लेखाकरण मानकों के अनुपालन में, बीमांकिक आधार पर, ऐतिहासिक लागत परिपारटी के अंतर्गत तैयार की गई हैं।

- (i) रेलवे और बीमा दावों के अतिरिक्त अन्य परिसमाप्त क्षतियों/दंडों/दावों की वसूली पर लेखांकित जाता है और विविध आय में सम्मिलित किया जाता है।
- (ii) स्टोर एवं स्पेयर्स के अधिशेष/धीमी गति से चलने वाली/न चलने वाली वस्तु आदि पर लाभ/हानि, यदि कोई हो, को उस वर्ष में लेखांकित किया जाता है जिस वर्ष में उनका निस्तारण किया जाता है।

प्रचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित कंपनी के प्रचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्ति और देनदारियों के चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अपने प्रचालन चक्र को बारह महीने के रूप में अभिनिश्चित किया है।।

01.02 राजस्व की मान्यता

- (i) राजस्व को प्रतिदान, मितिकाटा (डिस्काउंट) और छूट आदि का निवल एवं वस्तु एवं सेवा कर को भी छोड़कर माना जाता है।
- (ii) ब्याज आय बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर समय के आधार पर उपचित की जाती है।

01.03 भूमि और परिशोधन

- (i) राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि का मूल्यांकन अंकित लागत पर या इसके अधिग्रहण पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

- (ii) खदान में उत्खनन पट्टे के अधीन फ्री होल्ड भूमि और 99 वर्ष से कम के पट्टे वाले भूमि पट्टे पर संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर परिशोधन किया जाता है।

01.04 निवेश

- (i) दीर्घावधिक निवेश का उल्लेख लागत पर किया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।
- (ii) चालू निवेश का उल्लेख सबसे कम लागत और उद्धृत/उचित मूल्य पर किया जाता है। गैर-उद्धृत चालू निवेश का उल्लेख लागत पर किया जाता है।

01.05 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन के कारण होने वाली उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जो अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें राजस्व पर प्रभारित की जाती हैं।

01.06 स्थायी परिसंपत्ति

- (i) मूर्त संपत्ति का उल्लेख अधिग्रहण लागत, संचित मूल्यहास और संचित क्षति की हानियों, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है। अधिग्रहण लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के उद्देश्य से काम करने की स्थिति में लाने के लिए कोई अन्य जिम्मेदार लागत सम्मिलित होती है।
- (ii) अमूर्त संपत्ति का उल्लेख अधिग्रहण लागत, संचित परिशोधन के निवल और संचित क्षति की हानि, यदि कोई हो, पर किया गया है। अधिग्रहण लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के उद्देश्य से काम करने की स्थिति में लाने के लिए कोई अन्य जिम्मेदार लागत सम्मिलित होती है।

01.07 मूल्यहास/परिशोधन

- (i) मूल्यहास का प्रावधान परिसंपत्ति के पूर्ण रूप से तैयार होने और उपयोग के लिए उपलब्ध होने के

बाद किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर लेखांकित किया जाता है और लागत का 95 प्रतिशत नीचे (iv) यथा उल्लिखित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान बड़े खाते में डाला जाता है

- (ii) वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उनके पूंजीकृत किए जाने की तारीख से और उन्हें त्यागने/बेचने/ध्वस्त करने/नष्ट करने की तिथि के यथानुपात प्रभारित किया जाता है।
- (iii) कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति जिसका लिखित मूल्य वर्ष के आरंभ में 5000/- रुपये या उससे कम है, उसका वर्ष के दौरान अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखे बिना पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है क्योंकि इसे महत्वहीन माना जाता है।
- (iv) वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/- रुपये तक की किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को सकल ब्लॉक में ले जाया जाता है और उसी वर्ष पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।
- (v) पट्टाकृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (vi) अमूर्त संपत्तियों को उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पांच साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

01.08 मालसूचियां

क) मूल्यांकन

- (i) स्टोर, स्पेयर्स और कच्चे माल, जैसा कि नीचे (ii) में दर्शाया गया है, का उल्लेख भारत औसत लागत पर किया जाता है। अप्रचलित/अनुपयोगी भंडार और पुर्जे जब अवधारित किए जाते हैं, तो उन्हें स्क्रेप के रूप में माना जाता है और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।
- (ii) क्लिंकर और अन्य अर्द्ध-तैयार माल का उल्लेख वर्क बैक फॉर्मूले के आधार पर इकाई की भारत औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर किसर जाता है। हालांकि, नकारात्मक मूल्यांकन के मामले में इसका उल्लेख शून्य मूल्य पर किया जाता है।

(iii) कारखानों/परियोजनाओं में तैयार माल/माल के ढेरों में या माल के मार्गस्थ ढेर का उल्लेख इकाई भारत औसत लागत या वसूली योग्य मूल्य से कम पर किया जाता है। विभिन्न ढेरों पर पड़े तैयार माल के मूल्य में ढेर तक बिक्री व्यय में शामिल भाड़ा भी शामिल होता है।

(iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न स्क्रेप मदों की कुल मात्रा का मूल्यांकन संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार उपलब्ध दरों के अनुसार किया जाता है। हालांकि, जहां पहली बार स्क्रेप से उत्पन्न होने या पहले निपटान नहीं होने के कारण ऐसी कोई दरें उपलब्ध न हों तो मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ ऐसे स्क्रेप मद के निपटान के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य अपनाया जाता है।

ख) ढीले उपकरण और रस्से

उपकरण और रस्से तीन वर्ष की अवधि में बड़े खाते में डाले जाते हैं।

01.09 आस्थगित राजस्व व्यय

- (i) पूर्वक्षण और बोरिंग पर व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- (ii) खदानों पर अधिक बोझ आदि को हटाने पर किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जिसका उपयोग सड़कों, स्टॉकयार्ड, क्रशर रैंप आदि जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए किया जाता है। अधिक बोझ आदि को हटाने पर किए गए शेष व्यय को आरंभ में 'आस्थगित राजस्व व्यय' के रूप में माना जाता है और उस अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है जिसमें खदान विकास से निकाले गये चूना पत्थर उपयोग के लिए उपलब्ध है।
- (iii) किराए के भवनों में आंतरिक विभाजन और अन्य फिक्स्चर की लागत स्थापना के वर्ष में सीधे प्रभारित की जाती है, लेकिन यदि लागत एक लाख रुपये से अधिक है, तो इसे आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।
- (iv) इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के उपरांत, हाई-क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया का प्रारंभिक पूर्ण प्रभार आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और तीन वर्ष की अवधि में बड़े खाते में डाल दिया जाता है। हालांकि, लाभ-हानि विवरणिका के लिए निर्माण शुल्क प्रभारित किया जाता है।

(v) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए कोई अप्रयुक्त अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध नहीं है, तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ महीने के वेतन के बराबर वीआरएस भुगतान के कारण सेवा समाप्ति हितलाभ या सेवा की शेष अवधि के लिए मजदूरी, जो भी कम हो और नोटिस अवधि के वेतन को आस्थगित कर दिया जाता है और व्यक्तियों की सेवा की शेष अवधि के दौरान या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, के दौरान भुगतान किया जाता है। हालांकि, वीआरएस/वीएसएस पर 01/04/2003 को या उसके बाद किए गए किसी भी व्यय को उस व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब उसे उस वर्ष में ही पूरी तरह खर्च एवं प्रभारित किया जाता है।

01.10 पूर्व अवधि/असाधारण समायोजन

विशेष वर्ष से संबंधित व्यय/प्राप्तियां, यदि निहित राशि 10,000/- रुपये से अधिक न हो तो लेखाबंदी के उपरांत ध्यान में आने वाली यानी निर्दिष्ट तारीख (कट ऑफ तिथि) के उपरांत अगले वर्ष के व्यय/प्राप्ति के संबंधित मद के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं। 10,000/-रुपये राशि रुपये से अधिक राशि के मामले में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-5 में निहित प्रावधानों को चालू वर्ष/पूर्व अवधि/असाधारण व्यय/आय के लेखाओं के स्वाभाविक शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।

01.11 विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन का लेखा-जोखा

विदेशी ऋण देनदारियों का रूपांतरण बाजार बंदन होने के विनिमय दरों पर किया जाता है। लेन-देन के निपटान पर लाभ या हानि (क) परियोजना अवधि के दौरान लिखत की प्रासंगिक लागत में क्रेडिट/डेबिट की जाती है, जो पुर्जों और सेवा से संबंधित हैं उन्हें निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईईडीसी) में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है, (ख) परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन होने के उपरांत, लाभ/हानि को लिखत की प्रासंगिक लागत में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है, लेकिन, जो पुर्जों और सेवाओं से संबंधित होते हैं उन्हें लाभ-हानि विवरणिका में प्रभारित किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों के इस तरह के समायोजन पर मूल्यहास को संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

01.12 सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(i) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सब्सिडी को संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से उनके बही मूल्य निकालने में घटाया जाता है। जहां विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान

परिसंपत्ति की पूरी या वस्तुतः पूरी लागत के बराबर होता है वहां परिसंपत्ति का मूल्यांकन अंकित मूल्य पर या इसके अधिग्रहण/स्थापना पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुदान, परिवहन सब्सिडी और अन्य राजस्व अनुदान संबंधित व्यय से काटे जाते हैं।

(iii) केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदान, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन में शामिल हैं और राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य समान अनुदान, जहां उनके संबंध में आमतौर पर कोई पुनर्भुगतान की उम्मीद नहीं है, अनुदान को पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में माना जाता है।

(iv) ऊपर विनिर्दिष्ट से अन्य, पूंजी/राजस्व अनुदान/सब्सिडी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक -12 के अनुसार लेखांकित किए जाते हैं।

01.13 निगम के दावे

(i) जहां खाते में भुगतान प्राप्त हुआ है वहां बीमा दावों को सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर और/या दर्ज किए गए दावों के आधार पर लेखा में लाया जाता है हालांकि, जहां 31 मार्च तक हुई हानि की घटनाओं के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट लेखाबंदी से पूर्व प्राप्त नहीं होती है, उसके प्रभाव का प्रकटीकरण लेखाओं पर टिप्पणियों के रूप में किया जाता है।

(ii) रेलवे के दावों को को दावों को दर्ज करने पर लेखा में लाया जाता है।

01.14 जमा कार्य

चल रहे जमा कार्यों के संबंध में, इसे निगम के चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में माना जाता है और निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को स्वामित्व के हस्तांतरण और पूंजीकृत होने पर जमा कार्य में आनुपातिक रूप से जोड़ा जाता है।

01.15 कर्मचारी हितलाभ

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान और कंपनी की अपनी ही उपदान योजना का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

(ii) सेवारत कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या

मृत्यु पर भुनाया जा सकने वाले अर्जित छुट्टी / अर्ध वेतन छुट्टी आदि का प्रावधान बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

- (iii) बोनस के लिए देनदारी का प्रावधान बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाईवार आधार पर किया जाता है, न कि संपूर्ण निगम के रूप में। कारपोरेट कार्यालय के लिए बोनस की देनदारी का प्रावधान उस दर पर किया जाता है जो अन्य इकाइयों के लिए प्रावधान किए गए बोनस की दरों का औसत होता है।

01.16 डिबेंचर के मोचन पर प्रीमियम

डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम को लाभ हानि विवरणिका / आईईडीसी लेखा में ऐसी समान किशतों में लगाया जाता है जो उस वर्ष से आरंभ होने वाली डिबेंचर की अवधि होती है जिसमें डिबेंचर आवंटित किए जाते हैं।

01.17 पूर्वदत्त व्यय

बाद के वर्ष (वर्षों) के अग्रिम में किए गए 10,000/- या उससे कम राशि के व्यय के प्रत्येक मामले को चालू वर्ष के व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

01.18 अशोध्य और संदिग्ध प्राप्यों / ऋणों / अग्रिमों आदि का लेखाकरण

- (i) संदिग्ध प्राप्यों / ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब उन्हें वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है लेकिन वसूली की संभावना बनी रहती है।
- (ii) राशियां तब बट्टे खाते में डाली जाती हैं, जब वसूली के प्रयास या तो विधिक प्रक्रिया के कारण विफल हो जाते हैं या जहां यह माना जाता है कि मुकदमेबाजी माना जाता है, फलदायी नहीं होगी और वसूली संभव नहीं है।

01.19 इंटर यूनिट / जोन / कारपोरेट कार्यालय अंतरण

- (i) इकाइयों द्वारा अंतरित तैयार माल का मूल्यांकन आरंभ में प्रेषण योजना दरों पर किया जाता है और फिर बेची गई मात्रा का जोनों द्वारा वास्तविक निवल वसूली योग्य मूल्य पर निपटारा किया जाता है।
- (ii) स्थायी परिसंपत्तियों के इंटर यूनिट / जोन / कारपोरेट कार्यालय अंतरण आदि को कही मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

- (iii) क्लिंकर के इंटर यूनिट अंतरण को उसकी वसूली योग्य दरों पर (सीमेंट से वर्क बैक मेथड द्वारा) लेखांकित किया जाता है और इसकी मार्गस्थ हानि को प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में समावेशित किया जाता है।

- (iv) इंटर यूनिट / जोन / कारपोरेट कार्यालय की शेष राशि का नियमित रूप से समाशोधन किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की जाती है।

01.20 व्यय का वर्गीकरण

- (i) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय, जिसमें स्टोर और स्पार्स की लागत सम्मिलित है, को छोड़कर, जैसा कि नीचे (ii) में दिखाया गया है, लाभ हानि विवरणिका में प्रभारित किए जाते हैं।
- (ii) स्टोर और स्पेयर्स की लागत सहित स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय, जो मौजूदा परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभ इसके निष्पादन के पहले से निर्धारित मानक (जैसे क्षमता में वृद्धि) से अधिक बढ़ाते हैं, को पूंजीकृत किया जाता है।
- (iii) वेतन और मजदूरी: संयंत्र और मशीनरी, भवन आदि की मरम्मत और रखरखाव पर होने वाले वेतन और मजदूरी को सीधे वेतन और मजदूरी लेखा में प्रभारित किया जाता है।
- (iv) अन्य फुटकर व्यय: पार्कों पर व्यय, वृक्षारोपण और तंबू और तिरपाल आदि की खरीद को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

01.21 मौजूदा संयंत्र से सटे क्षेत्र की विस्तार परियोजनाओं / नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

मौजूदा संयंत्रों द्वारा किए गए प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर होने वाले सामान्य खर्च को मौजूदा संयंत्रों से सटे विस्तार परियोजना / नई परियोजनाओं के लिए प्रभारित नहीं किया जाता है।

01.22 कॉर्पोरेट कार्यालय व्यय का आवंटन

कारपोरेट कार्यालय का निवल राजस्व व्यय / आय को प्रबंधन द्वारा उनके सर्वोत्तम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार विभिन्न इकाइयों या परियोजनाओं से संबंधित संभावित लाभों या संबंधित अनुमानों के आधार पर निर्माणाधीन सभी इकाइयों और परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
02 शेर पूंजी		
प्राधिकृत		
1000/- रुपये मूल्य के 50,00,000 (31 मार्च, 2020: 50,00,000) इक्विटी शेर	50,000.00	50,000.00
1000/- रुपये मूल्य के 40,00,000 (31 मार्च, 2020: 40,00,000) अधिमानी शेर	40,000.00	40,000.00
योग	90,000.00	90,000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
1000/- रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 45,59,749 (31 मार्च, 2020: 45,59,749) इक्विटी शेर	45,597.49	45,597.49
1000/- रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 35,54,325 (31 मार्च, 2020: 35,54,325) अधिमानी शेर	35,543.25	35,543.25
योग	81,140.74	81,140.74

02.1 शेरों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी में शेरों के दो वर्ग हैं जिन्हें इक्विटी शेर और अधिमानी शेर के रूप में उल्लिखित किया गया है, जिनका मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेर है। इक्विटी शेर का प्रत्येक धारक प्रति शेर एक वोट का हकदार है। अधिमानी शेरधारक केवल अपने अधिमानी शेरों से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने का पात्र है।

02.2 बकाया शेरों की संख्या का समाशोधन

इक्विटी शेर	मार्च 31, 2021		मार्च 31, 2020	
	शेरों की संख्या	राशि रु. लाख में	शेरों की संख्या	राशि रु. लाख में
वर्ष के आरंभ में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49
जोड़ें: निर्गमित शेर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49

0.01 प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेर	मार्च 31, 2021		मार्च 31, 2020	
	शेरों की संख्या	राशि रु. लाख में	शेरों की संख्या	राशि रु. लाख में
वर्ष के आरंभ में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25
जोड़ें: निर्गमित शेर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25

02.3 निगम में 5 प्रतिशत से अधिक की भोयरधारिता वाले प्रत्येक शेरधारक द्वारा धारित शेरों का विवरण:

शेरधारक का नाम	मार्च 31, 2021		मार्च 31, 2020	
	शेरों की संख्या	शेरधारिता का प्रतिशत	शेरों की संख्या	शेरधारिता का प्रतिशत
इक्विटी शेर:				
भारत सरकार	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेर:				
भारत सरकार	3,554,325	100%	3,554,325	100%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
03 आरक्षित एवं अधिशेष		
लाभ-हानि विवरणिका में अधिशेष/(घाटा)		
वर्ष के आरंभ में शेष	(83,349.38)	(78,255.29)
जोड़ें: वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि)	1,315.56	(5,094.09)
वर्ष के अंत में शेष	(82,033.82)	(83,349.38)
04 दीर्घावधिक उधारियां		
अप्रतिभूत:		
सरकारी ऋण	15,090.07	15,090.07
योग	15,090.07	15,090.07
05 अन्य दीर्घावधिक देनदारियां		
कारोबारी देय		
- एमएसएमई	90.07	78.61
- अन्य	2,689.33	2,454.07
प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	2,737.51	2,489.55
ग्राहकों से अग्रिम	35.01	420.59
देय जीएसटी/बिक्री कर	73.64	73.64
देय विद्युत बकाया	1,163.67	1,058.96
देय रॉयल्टी	65.30	65.30
भारत सरकार से उधारियों पर उपचित एवं देय ब्याज	12,385.27	12,385.27
अन्य देय	4,912.75	4,830.87
योग	24,152.55	23,856.86

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
06 दीर्घावधिक प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान:		
- उपदान	2,197.01	2,669.01
- अर्जित छुट्टी	1,415.02	1,494.44
चल रहे पूंजीगत कार्य हेतु प्रावधान	10.57	10.57
अन्य प्रावधान	690.13	677.11
योग	4,312.73	4,851.13
07 अल्पावधिक उधारियां		
बैंकों से	-	-
योग	-	-
08 कारोबारी देय		
कारोबारी देय-एमएसएमई	640.51	244.75
कारोबारी देय-अन्य	1,480.92	1,974.66
योग	2,121.43	2,219.41
09 अन्य चालू देनदारियां		
ग्राहकों से अग्रिम	1,557.37	1,165.35
प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	1,053.24	1,067.24
देय जीएसटी/बिक्री कर	1,462.20	1,254.39
देय विद्युत बकाया	691.33	786.04
कर्मचारियों का बकाया	422.78	824.87
देय रॉयल्टी	208.56	205.03
अन्य देय	3,587.87	1,290.96
योग	8,983.35	6,593.88
10 अल्पावधिक प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान:		
- ग्रेजुटी	665.18	592.98
- अर्पित छुट्टी	360.91	274.35
अन्य प्रावधान	1,587.76	1,070.09
बोनस	8.84	8.80
योग	2,622.69	1,946.22

विवरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यहास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	अप्रैल 31, 2020 तक	परिवर्धन/समायोजन	अपमार्जन/समायोजन	माव 31, 2021 तक	अप्रैल 31, 2020 तक	परिवर्धन/समायोजन	अपमार्जन/समायोजन	माव 31, 2021 तक	अप्रैल 31, 2020 तक	माव 31, 2021 तक
(क) कार्य	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
1 श्री होल्ड भूमि	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2 पट्टे की भूमि	401.42	1,551.40	-	1,952.82	170.30	911.81	-	1,082.11	870.71	231.12
3 सड़क एवं पुलिया	903.79	-	-	903.79	650.99	39.40	-	690.39	213.40	252.80
4 संयंत्र भवन	8,086.61	-	-	8,086.61	7,659.27	8.65	-	7,667.92	418.69	427.34
5 गैर संयंत्र भवन	841.79	-	-	841.79	602.31	8.58	-	610.89	230.90	239.48
6 जल आपूर्ति, जल निकास एवं सीवरज	1,081.03	-	-	1,081.03	942.45	2.44	-	944.89	136.14	138.58
7 रेलवे साइडिंग	3,296.19	-	-	3,296.19	1,762.13	101.06	-	1,863.19	1,433.00	1,534.06
8 विद्युत संस्थापन	1,859.62	273.53	-	2,133.15	1,768.97	35.85	-	1,804.82	328.33	90.65
9 संयंत्र एवं मशीनरी	47,150.25	1,610.00	-	48,760.25	40,022.66	477.31	-	40,499.97	8,260.28	7,127.59
10 हवाई रुज्ज मार्ग	706.04	-	-	706.04	672.33	-	-	672.33	33.71	33.71
11 रेलवे रीलिंग स्टॉक	423.65	-	-	423.65	406.45	-	-	406.45	17.20	17.20
12 खदान उपस्कर	2,324.45	3.34	-	2,327.79	2,200.45	3.37	-	2,203.82	123.97	124.00
13 वाहन	407.84	-	4.20	403.64	385.97	1.66	3.99	383.64	20.00	21.87
14 कार्यालय उपस्कर	500.82	10.34	0.17	510.99	459.91	8.71	0.03	468.59	42.40	40.91
15 फर्नीचर एवं फिक्सचर	266.55	0.27	-	266.82	252.53	2.16	-	254.69	12.13	14.02
16 विविध उपस्कर	1,008.82	0.31	-	1,009.13	810.56	19.50	-	830.06	179.07	198.26
17 5000 रुपये तक की लागत वाले संयंत्र एवं मशीनरी	60.50	0.73	-	61.23	60.50	0.73	-	61.23	-	-
वर्कर्स योग	70,656.29	3,449.92	4.37	74,101.84	58,973.85	1,621.23	4.02	60,591.06	13,510.78	11,682.44
(ख) टाउनशिप										
1 श्री होल्ड भूमि	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2 पट्टे की भूमि	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3 सड़क एवं पुलिया	39.01	-	-	39.01	36.99	-	-	36.99	2.02	2.02
4 आवासीय एवं कल्याण भवन	1,750.99	-	-	1,750.99	1,206.64	18.96	-	1,225.60	525.39	544.35
5 जल आपूर्ति, जल निकास एवं सीवरज	185.27	-	-	185.27	153.28	0.88	-	154.16	31.11	31.99
6 विद्युत संस्थापन	41.33	-	-	41.33	40.21	0.06	-	40.27	1.06	1.12
7 वाहन	121.49	-	1.67	119.82	116.66	-	1.59	115.07	4.75	4.83
8 कार्यालय उपस्कर	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08
9 फर्नीचर एवं फिक्सचर	18.54	-	-	18.54	17.26	-	-	17.26	1.28	1.28
10 विविध उपस्कर	19.57	-	-	19.57	18.29	-	-	18.29	1.28	1.28
टाउनशिप योग	2,228.40	-	1.67	2,226.73	1,593.40	19.90	1.59	1,611.71	615.02	635.00
वर्कर्स एवं टाउनशिप का योग	72,884.69	3,449.92	6.04	76,328.57	60,567.25	1,641.13	5.61	62,202.77	14,125.80	12,317.44
गत वर्ष	72,714.97	399.00	229.28	72,884.69	60,020.16	765.76	218.66	60,567.25	12,317.44	12,317.44

विवरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यहास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	अप्रैल 31, 2020 तक	परिवर्धन/समायोजन	अपमार्जन/समायोजन	माव 31, 2021 तक	अप्रैल 31, 2020 तक	परिवर्धन/समायोजन	अपमार्जन/समायोजन	माव 31, 2021 तक	अप्रैल 31, 2020 तक	माव 31, 2021 तक
(क) कार्य	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	0.81	-	0.81	-	0.01	-	0.01	0.80	-
योग	-	0.81	-	0.81	-	0.01	-	0.01	0.80	-
गत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2020 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2021 तक
12 चल रहे पूंजीगत कार्य (मूर्त)				
यांत्रिक परमर्शी सेवा	131.37	-	-	131.37
सिविल अभियांत्रिकी कार्य	2,022.59	-	5.81	2,016.78
प्रतीक्षित प्रतिस्थापन सहित संयंत्र एवं मशीनरी	3,755.98	1,878.39	1,695.33	3,939.04
संयंत्र एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन व्यय	0.55	-	-	0.55
प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन किया जाना है*	137.57	0.28	-	137.85
पूंजीगत भंडार	8.82	-	-	8.82
अन्य	187.65	-	27.49	160.16
उप योग	6,244.53	1,878.67	1,728.63	6,394.57
प्रावधान	435.97	-	-	435.97
योग	5,808.56	1,878.67	1,728.63	5,958.60
* प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन किया जाना है				
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	-	-		
योग	-	-		
बिजली	0.55	0.49		
विविध व्यय	1.43	0.76		
विधिक व्यय	3.75	-		
प्रतिभूति व्यय	20.35	21.35		
मूल्यहास	0.14	0.14		
योग	26.22	22.74		
अंतरित वर्ष के दौरान परिवर्धन	25.88	22.46		
योग	0.34	0.28		
13 चल रहे पूंजीगत कार्य (अमूर्त)				
सॉफ्टवेयर का विकास	2.30	12.61	-	14.91
योग	2.30	12.61	-	14.91
प्रावधान	2.10	-	-	2.10
योग	0.20	12.61	-	12.81

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 तक बाजार मूल्य	31.03.2021 तक बही मूल्य	31.03.2021 तक बही मूल्य	31.03.2020 तक बाजार मूल्य	31.03.2020 तक बही मूल्य	31.03.2020 तक बही मूल्य
14 गैर चालू निवेश						
क लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया प्रदत्त): उद्धरित						
i) आंध्रा सीमेंट कं. लि. के 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 31 इक्विटी शेयर एनएसई में जिनका बाजार मूल्य 5.40 रुपये प्रति शेयर है। (गत वर्ष 1.60 रुपये प्रति शेयर)	#		#	#		#
ii) एसीसी सीमेंट लि. (1) के 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 280 इक्विटी शेयर (180 बोनस शेयर सहित) एनएसई में जिनका बाजार मूल्य 1,903.25 रुपये प्रति शेयर है। (गत वर्ष 968.50 रुपये प्रति शेयर)	5.33		0.01	2.71		0.01
उप योग			0.01			0.01
ख लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया प्रदत्त): अनुद्धरित						
i) असम बंगाल सीमेंट कं. लि. का 10 रुपये का 1 इक्विटी शेयर (2)			#			#
ii) जयपुर उद्योग लि. के 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 79 इक्विटी शेयर			0.01			0.01
iii) स्टोन वैली सीमेंट कं. लि. के 5 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 40 इक्विटी शेयर			#			#
iv) ए पी गैस पॉवर कारपोरेशन लि. के 2315520 बोनस शेयर सहित 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 55,31,250 इक्विटी शेयर घटाएं: 1,34,000 बोनस शेयर सहित बेचे गये 16,10,680 शेयर 21,81,520 बोनस शेयर सहित शेष 39,20,840 शेयर		322.00 94.04			322.00 94.04	
उप योग			227.97			227.97
योग (क+ख)			227.98			227.98
कुल उद्धरित निवेश						
लागत			0.02			0.02
बाजार मूल्य	5.33			2.71		
कुल अनुद्धरित निवेश						
लागत			227.96			227.96
योग			227.98			227.98

- (1) 100 रुपये प्रति शेयर के 28 शेयरों से परिवर्तित। नए शेयर प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
 (2) शेयर अभी निगम के नाम में अंतरित किए जाने हैं।
 # राशि 1 लाख रुपये से कम है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
15 दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम		
क) अग्रिम पूंजी		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	207.20	207.20
संदिग्ध	18.59	18.59
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	18.59	18.59
उप योग	207.20	207.20
ख) जमा: केन्द्रीय उत्पाद भुल्क		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.44	0.44
संदिग्ध	0.02	0.02
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	0.02	0.02
उप योग	0.44	0.44
ग) जमा: अन्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	158.16	158.16
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,411.88	1,404.55
संदिग्ध	53.66	53.66
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	53.66	53.66
उप योग	1,570.04	1,562.71
घ) सविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	92.45	28.76
संदिग्ध	470.63	470.63
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	470.63	470.63
उप योग	92.45	28.76
ङ) सरकारी विभागों में शेष		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.41	0.38
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	173.39	170.25
संदिग्ध	151.20	151.20
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	151.20	151.20
उप योग	173.80	170.63
च) बीमा एवं अन्य दावे		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	7.08	7.68
संदिग्ध	133.84	133.84
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	133.84	133.84
उप योग	7.08	7.68
छ) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	3.16	3.16
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.60	0.60
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	3.76	3.76

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ज) वसूली योग्य दावे – रेलवे		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	13.44	13.44
संदिग्ध	406.06	406.06
घटाएं: अशोध्द्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	406.06	406.06
उप योग	13.44	13.44
झ) वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	27.55	27.55
संदिग्ध	80.21	80.21
घटाएं: अशोध्द्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	80.21	80.21
उप योग	27.55	27.55
ञ) कर्मचारियों से वसूली योग्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.36	0.36
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.02	0.05
संदिग्ध	7.65	7.65
घटाएं: अशोध्द्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	7.65	7.65
उप योग	0.38	0.41
ट) बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,105.87	1,293.95
संदिग्ध	674.38	674.38
घटाएं: अशोध्द्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	674.38	674.38
उप योग	1,105.87	1,293.95
ठ) जांच लंबित होने से कमी, हानियां		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	589.52	589.52
घटाएं: अशोध्द्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	589.52	589.52
उप योग	-	-
योग	3,202.01	3,316.53

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
16 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां		
दीर्घावधिक कारोबारी प्राप्य:		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	1,514.54	1,514.54
घटाएं: संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	1,514.54	1,514.54
उप योग	-	-
ऋणों एवं अग्रिमों पर उपचित एवं देय ब्याज		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	29.76	38.75
संदिग्ध	0.37	0.37
घटाएं: संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	0.37	0.37
उप योग	29.76	38.75
योग	29.76	38.75
17 अपरिशोधित व्यय		
उत्खनन विकास पर व्यय		
वर्ष के आरंभ में	2,019.84	2,025.75
परिवर्धन	325.00	175.58
	2,344.84	2,201.33
घटाएं: पूंजीकृत / समायोजित	258.32	181.49
योग	2,086.52	2,019.84
18 चालू निवेश		
गैर कारोबारी निवेश	-	-
योग	-	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	तक		तक	
19 मालसूचियां (प्रबंधन द्वारा यथा सत्यापित, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)				
क) स्टोर एवं स्पेयर्स:				
स्टॉक में	6,443.04		6,375.14	
मार्गस्थ	71.12	6,514.16	55.67	6,430.81
ख) चल रहे कार्य:				
स्टॉक में	2,547.49		4,104.24	
मार्गस्थ	-	2,547.49	-	4,104.24
ग) तैयार माल:				
स्टॉक में	374.17		659.28	
मार्गस्थ	102.55	476.72	1.58	660.86
घ) कच्चा माल:				
स्टॉक में	1,255.16		1,188.23	
मार्गस्थ	-	1,255.16	-	1,188.23
ङ) खुले औजार:				
स्टॉक में	1.04		0.91	
मार्गस्थ	-	1.04	-	0.91
च) पैकिंग सामग्री:				
स्टॉक में	145.78		92.85	
मार्गस्थ	-	145.78	-	92.85
छ) कोयला:				
स्टॉक में	849.01		1,476.36	
मार्गस्थ	-	849.01	-	1,476.36
ज) स्क्रेप:				
स्टॉक में	184.44		365.56	
मार्गस्थ	-	184.44	-	365.56
उप योग		11,973.80		14,319.82
घटाए: अप्राप्य मालसूची के लिए प्रावधान	10.49		10.49	
योग		11,963.31		14,309.33

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
20 कारोबारी प्राप्य		
क) छः माह से अधिक अवधि से बकाया		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.43	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	109.78	161.51
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	-	-
	110.21	161.51
ख) अन्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	43.99	87.24
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	387.81	691.96
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	-	-
	431.80	779.20
योग	542.01	940.71
21 नकदी एवं बैंक शेष		
हाथ में नकदी	0.58	1.70
हाथ में चेक	-	-
बैंक में शेष:		
- चालू खाता	763.13	689.58
- सावधि जमा	10,250.20	5,817.23
- बैंक गारंटी/साख पत्र के सापेक्ष मार्जिन के तौर पर रखी सावधि जमा	2,571.94	2,624.98
योग	13,585.85	9,133.49

टिप्पणी:

बैंक जमा में 1021.46 लाख रुपये (गत वर्ष: 1673.82 लाख रुपये) की जमा राशि शामिल है जिसकी परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
22 अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम		
क) अग्रिम पूजी		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	-	-
क) जमा: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	18.00	30.42
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	17.80	17.80
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	35.80	48.22
ग) जमा: अन्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	470.35	459.62
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	470.35	459.62
घ) सविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	992.23	332.66
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	992.23	332.66
ङ) सरकारी विभागों में शेष		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	594.30	407.12
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	702.55	1,226.65
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	1,296.85	1,633.77
च) बीमा एवं अन्य दावे		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	9.11	7.22
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	138.82	87.24
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	147.93	94.46
छ) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	7.35	7.57
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	7.35	7.57

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
ज) वसूली योग्य दावे – रेलवे		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	-	-
झ) वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	52.17	52.17
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	52.17	52.17
ञ) कर्मचारियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	11.26	11.02
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	6.29	7.06
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	17.55	18.08
ट) बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	362.11	366.29
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	362.11	366.29
ठ) जांच लंबित होने से कमी, हानियां		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	-	-
योग	3,382.34	3,012.84
23 अन्य चालू परिसंपत्तियां		
सावधि जमा पर उपचित ब्याज	406.60	382.04
बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य	865.35	841.22
योग	1,271.95	1,223.26

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
24 अन्य आय		
बजटीय सहायता के अंतर्गत प्रतिदाय	-	261.68
संपत्ति से किराया	2,082.31	3,483.14
ब्याज:		
- बैंक में सावधि जमा	608.75	811.80
- अन्य	50.27	46.67
टाउनशिप से प्राप्तियां	47.97	40.57
अतिरिक्त प्रतिलेखन प्रावधान	616.52	168.05
विविध आय	72.98	65.49
परित्यक्त संपत्ति की बिक्री पर लाभ	1.14	24.68
योग	3,479.94	4,902.08
25 उपयुक्त कच्चे माल की लागत		
प्रारंभिक शेष	1,188.23	1,011.60
वर्ष के दौरान अधिग्रहण:		
चूने पत्थर का उत्थापन, उत्खनन एवं ढुलाई (1)	3,155.91	2,745.28
अन्य कच्चे माल की खरीदी	1,968.91	2,180.05
कच्चे माल का समायोजन	-	5,936.93
घटाए:		
अंतिम स्टॉक	1,255.16	1,188.23
उपयुक्त कच्चा माल	5,057.89	4,748.70
(1) चूने पत्थर का उत्थापन, उत्खनन एवं ढुलाई		
चूने पत्थर का उत्थापन एवं संविदाकारों को भुगतान	872.76	592.37
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	343.69	371.11
प्रदत्त उपदान	40.40	103.39
कर्मचारियों को हितलाभ	0.14	0.29
भविष्य निधि में अंशदान	24.25	23.41
पेंशन निधि में अंशदान	4.97	6.78
छुट्टी नकदीकरण	16.45	31.63
चिकित्सा व्यय	3.24	5.13
उपदान हेतु प्रावधान	-	1.97
अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	7.65	3.65
	440.79	547.36
उपभुक्त भंडार		
सकल राशि	205.48	183.46
घटाए: मरम्मत में सम्मिलित राशि	9.63	22.50
	195.85	160.96
बिजली	51.20	71.81
ईंधन	77.83	85.46

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
दर एवं कर	14.33		20.65	
संविदा श्रमिकों को भुगतान	342.72		340.84	
रॉयल्टी एवं उपकर	1,204.37		870.58	
अपलिखित उत्खनन विकास व्यय	258.32		181.49	
यात्रा व्यय	0.18		4.48	
बीमा	0.48		0.52	
अन्य व्यय	12.46	1,961.89	21.84	1,597.67
मरम्मत				
- मशीनरी	3.02		18.46	
- भवन	0.05		-	
- अन्य	6.55	9.62	4.04	22.50
उप योग	3,480.91		2,920.86	
घटाएं: उत्खनन विकास व्यय	325.00		175.58	
योग	3,155.91		2,745.28	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
26 तैयार माल, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल की मालसूचियों में परिवर्तन				
अर्द्ध तैयार माल				
- प्रारंभिक स्टॉक	4,104.24		4,122.21	
- अंतिम स्टॉक	2,547.49	1,556.75	4,104.24	17.97
तैयार माल				
- प्रारंभिक स्टॉक	659.28		273.83	
- अंतिम स्टॉक	374.17	285.11	659.28	(385.45)
मार्गस्थ तैयार माल				
- प्रारंभिक स्टॉक	1.57		6.98	
- अंतिम स्टॉक	102.55	(100.98)	1.58	5.40
स्क्रेप स्टॉक				
- प्रारंभिक स्टॉक	365.56		287.91	
- अंतिम स्टॉक	184.44	181.12	365.56	(77.65)
योग	1,922.00		(439.73)	
27 कर्मचारी हितलाभ व्यय				
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	4,172.08		3,669.34	
प्रदत्त उपदान	470.82		527.93	
कर्मचारियों को हितलाभ	26.09		5.16	
छुट्टी नकदीकरण	277.45		326.35	
भविष्य निधि में अंशदान	295.62		290.26	
पेंशन निधि में अंशदान	46.48		59.90	
चिकित्सा व्यय	164.37		207.30	
अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	67.23		74.40	
उपदान हेतु प्रावधान	0.59		60.06	
कर्मचारी कल्याण व्यय	151.12		268.95	
उप योग	5,671.85		5,489.65	
घटाएं: आईईडीसी को अंतरित कर्मचारी हितलाभ व्यय	-		-	
योग	5,671.85		5,489.65	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
28 अन्य व्यय				
बिजली	6,545.50		5,566.44	
कोयला	11,459.62		7,455.33	
ईंधन तथा तेल	0.17		2.69	
किराया	50.02		32.92	
दर एवं कर	139.95		120.05	
बीमा	38.48	18,233.74	23.31	13,200.74
मरम्मत एवं रखरखाव				
- संयंत्र एवं मशीनरी	1,374.58		1,533.79	
- भवन	112.66		164.59	
- अन्य	247.90	1,735.14	224.60	1,922.98
अन्य उत्पादन व्यय	486.21		1,266.37	
अपलिखत उपकरण एवं रस्से	0.52		0.45	
यात्रा व्यय	44.86		102.28	
बिक्री व्यय				
- सीमेंट पर भाड़ा	3,210.95		1,784.72	
- चढ़ाई-उतराई खर्च	188.23		134.02	
- गोदाम खर्च	65.77		85.73	
- बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	33.33		26.76	
- अन्य बिक्री व्यय	28.54	3,526.82	7.84	2,039.07
वाहन परिचालन व्यय	15.24		27.95	
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक				
- लेखापरीक्षा हेतु	7.78		7.75	
- व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	1.16		1.81	
- अन्य क्षमता में	2.31	11.25	2.41	11.97
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की लागत				
- लेखापरीक्षा हेतु	1.06		1.10	
- व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	-	1.06	0.05	1.15
सीआरआई एवं अन्यो को अभिदान	8.05		8.55	
संचार व्यय	18.84		21.23	
मुद्रण एवं स्टेशनरी	21.44		19.33	
डाटा प्रोसेसिंग के लिए किराया प्रभार	0.34		11.06	
विधिक एवं वृत्ति व्यय	109.62		195.60	
सुरक्षा व्यय	739.65		703.44	
स्टॉकिस्टों/अन्यों से जमा पर ब्याज	374.01		146.74	
कर्मकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	1.16		0.59	
विविध व्यय (1)	263.86		564.95	
संविदा श्रमिकों को भुगतान	1,398.09		1,249.81	
बंद परियोजना पर व्यय	22.46		25.88	
संदिग्ध प्राप्यों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	-		13.09	
पूर्वावधि व्यय (निवल) [नोट सं. 31ख देखें]	1,314.60		5.36	
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	-		44.45	
भंडार एवं पुर्जों की खपत:				

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
- सकल राशि	1,788.51		1,884.77	
- घटाएं: मरम्मत एवं रखरखव सहित पैकिंग सामाग्री	1,184.96	603.55	1,206.47	678.30
उप योग	30,081.34		23,070.72	
घटाएं: आईईडीसी को अंतरित बिजली व्यय	0.50		0.55	
घटाएं: आईईडीसी को अंतरित विधिक एवं वृत्तिक व्यय	-		3.75	
घटाएं: आईईडीसी को अंतरित प्रतिभूति व्यय	21.36		20.34	
घटाएं: आईईडीसी को विविध व्यय	0.76		1.43	
योग	30,058.72		23,044.65	
(1) सम्मिलित:				
- मनोरंजन व्यय	-		0.06	
- निदेशकों को बैठक में उपस्थिति हेतु शुल्क	-		0.06	
29 वित्तीय लागत				
अन्य उधारी लागत				
- अन्य	-		-	
योग	-		-	
30 मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय				
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास/परिशोधन	1,641.14		765.76	
घटाएं: उत्खनन विकास को आबंटित	727.96		0.54	
उप योग	913.18		765.22	
घटाएं: आईईडीसी को अंतरित मूल्यहास	0.14		0.14	
योग	913.04		765.08	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
31 अपवादात्मक, असाधारण मदें एवं गत वर्षों से संबंधित समायोजन				
31A अपवादात्मक मदें				
आय:				
ब्याज आदि का अधित्याग		-		-
उप योग		-		-
व्यय:				
खनन पट्टा किराया पर ब्याज		-		1,320.77
उप योग		-		1,320.77
निवल अपवादात्मक मदों की आय/(व्यय)		-		(1,320.77)
31ख पूर्वावधि मदें				
आय:				
ब्याज		-		36.35
अन्य	17.41	17.41	13.73	50.08
योग		17.41		50.08
व्यय:				
मरम्मत एवं रखरखाव	0.95			-
दर एवं कर	5.24			5.84
रॉयल्टी	-			9.69
मूल्यहास एवं परिशोधन	727.96			0.54
ब्याज	589.55			0.00
अन्य	8.31	1,332.01	39.37	55.44
योग		1,332.01		55.44
निवल पूर्वावधि आय/(व्यय)		(1,314.60)		(5.36)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

31ग प्रचालन एवं अप्रचालन के राजस्व एवं व्यय की विवरणिका

विवरण	प्रचालित		अप्रचालित		कुल	
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क राजस्व:						
टर्नओवर (निवल)	41,176.61	24,761.69	-	-	41,176.61	24,761.69
अन्य प्रचालन राजस्व	282.51	110.61	-	60.65	282.51	171.26
अर्द्ध तैयार माल एवं तैयार माल का उपचय/अनुपचय	(1,921.99)	442.01	-	(2.28)	(1,921.99)	439.73
योग	39,537.13	25,314.31	-	58.37	39,537.13	25,372.68
ख व्यय:						
प्रचालन व्यय	40,503.93	33,143.28	1,197.56	904.80	41,701.49	34,048.08
योग	40,503.93	33,143.28	1,197.56	904.80	41,701.49	34,048.08
ग प्रचालन गतिविधियों से ब्याज एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	(966.80)	(7,828.97)	(1,197.56)	(846.43)	(2,164.36)	(8,675.40)
ब्याज खर्च	-	-	-	-	-	-
घ कर पूर्व लाभ/(हानि)	(966.80)	(7,828.97)	(1,197.56)	(846.43)	(2,164.36)	(8,675.40)
आय कर	-	-	-	-	-	-
ङ प्रचालन गतिविधियों से करोपरांत लाभ/(हानि)	(966.80)	(7,828.97)	(1,197.56)	(846.43)	(2,164.36)	(8,675.40)
अन्य आय	3,312.03	3,261.81	167.89	1,640.27	3,479.92	4,902.08
च अपवादात्मक मदें - आय/(व्यय)	-	-	-	(1,320.77)	-	(1,320.77)
छ प्रचालन गतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)	2,345.23	(4,567.16)	(1,029.67)	(526.93)	1,315.56	(5,094.09)

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
32 आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न किए जाने की सीमा तक)		
क) आकस्मिक देनदारियां		
(i) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है।		
क) आय कर मांग	8.57	9.22
ख) तांदूर एवं बोकाजन इकाई आदि से बिक्री कर की मांग	813.89	813.89
ग) बोकाजन विस्तार संविदा	12,060.00	12,647.68
घ) मध्यस्थता मामले	751.29	751.29
ङ) अलकतरा के संबंध में न्यूनतम टेरिफ प्रभार	1,151.50	1,151.50
च) इकाईयों के संबंध में विद्युत हवीलिंग प्रभार	24,214.52	17,637.04
छ) अन्य विविध मामले	6,473.15	6,451.88
(ii) ऐसी अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	-	-
उप योग	45,472.92	39,462.50
ख) प्रतिबद्धताएं		
क) पूंजीगत लेखाओं में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	0.94	270.00
उप योग	0.94	270.00
योग (क+ख)	45,473.86	39,732.50

टिप्पणी:

विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित मुआवजे/पदोन्नति/दावों आदि के लंबित मामलों का प्रभाव लेखा बहियों में नहीं दिया गया है चूंकि तत्संबंधी राशि का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
33 मात्रात्मक विवरण				
1 वास्तविक उत्पादन				
पोर्टलैंड सीमेंट				
- साधारण	679,875.00	मी. टन	446,946.78	मी. टन
- पोजोलाना	213,510.00	मी. टन	137,637.00	मी. टन
	893,385.00	मी. टन	584,583.78	मी. टन
2 क्लिंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री न कि अतिरिक्त उत्पाद)				
- स्वयं का विनिर्माण	807,770.00	मी. टन	492,960.00	मी. टन
- खरीदी	-	मी. टन	34,281.81	मी. टन
3 सीमेंट का प्रेषण	896,465.62	मी. टन	576,952.56	मी. टन
	मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रुपये में	मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रुपये में
4 प्रारंभिक स्टॉक				
क) सीमेंट				
i) फैक्ट्री में स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	9,786.18	334.06	2,299.64	98.23
- सीमेंट पीपीसी	1,947.29	92.72	1,802.60	70.18
ii) डंप में स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	4,207.55	205.24	2,238.20	98.12
- सीमेंट पीपीसी	-	-	-	-
iii) मार्गस्थ स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	30.00	1.58	160.00	6.98
- सीमेंट पीपीसी	-	-	-	-
iv) क्षतिग्रस्त सीमेंट				
- सीमेंट ओपीसी	6,253.44	27.26	5,090.15	7.30
- सीमेंट पीपीसी	3,015.50	-	3,015.50	-
उप योग	25,239.96	660.86	14,606.09	280.81
ख) क्लिंकर (स्वयं का विनिर्माण)	140,598.88	2,944.87	160,234.90	3,257.87
क्लिंकर (खरीद)	0.80	0.04	-	-
उप योग	140,599.68	2,944.91	160,234.90	3,257.87
5 स्वयं के उपभोग/अंतरण इत्यादि सहित निवल बिक्री				
i) सीमेंट ओपीसी	637,784.91	32,783.39	476,594.42	19,775.86
ii) सीमेंट पीपीसी	258,607.58	8,386.46	97,265.30	4,963.73
iii) परीक्षण हेतु प्रयुक्त सीमेंट	0.04	-	0.59	-
iv) मार्गस्थ होने के दौरान सीमेंट की कमी	57.23	-	67.55	-
v) ओपीसी का स्वयं का उपभोग	160.00	5.00	22.06	0.89
vi) पीपीसी का स्वयं का उपभोग	32.00	1.76	-	-
	896,641.76	41,176.61	573,949.92	24,740.48
v) क्लिंकर	-	-	517.02	21.21
6 अंतिम स्टॉक				
क) सीमेंट				
i) फैक्ट्री में स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	4,223.71	139.63	9,786.18	334.06
- सीमेंट पीपीसी	4,429.14	152.75	1,947.29	92.72

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
ii) डंप में स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	1,470.80	52.39	4,207.55	205.24
- सीमेंट पीपीसी	876.00	29.40	-	-
iii) मार्गस्थ स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	1,447.30	50.37	30.00	1.58
- सीमेंट पीपीसी	1,632.50	52.18	-	-
iv) क्षतिग्रस्त सीमेंट				
- सीमेंट ओपीसी	4,888.25	-	6,253.44	27.26
- सीमेंट पीपीसी	3,015.50	-	3,015.50	-
उप योग	21,983.20	476.72	25,239.96	660.86
ख) क्लिंकर (स्वयं का विनिर्माण)	116,129.68	2,046.65	140,598.88	2,944.87
क्लिंकर (खरीद)	-	-	0.80	0.04
उप योग	116,129.68	2,046.65	140,599.68	2,944.91
7 अन्य				
i) अन्य इकाइयों को / (से) अंतरित क्लिंकर	-	-	-	-
ii) स्क्रेप के रूप में बेचा गया सीमेंट	-	-	-	-
iii) स्क्रेप के रूप में बेचा गया क्लिंकर	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
8 सीमेंट की ग्राइंडिंग हेतु प्रयुक्त क्लिंकर	832,240.00	25,445.01	546,360.01	18,659.91
9 उपयुक्त कच्चा माल				
i) चूना पत्थर	1,161,965.00	3,064.04	722,767.00	2,741.47
ii) लैटराइट	2,132.00	7.79	2,054.00	9.84
iii) लौह अयस्क	20,879.00	808.92	10,445.00	368.83
iv) जिप्सम	23,563.00	549.40	12,363.00	259.79
v) शैल	43,899.75	110.99	21,359.00	58.09
vi) फ्लाइ एश	44,042.00	399.09	29,474.00	275.53
vii) क्लिंकर (खरीद)	0.80	0.04	34,281.01	963.44
viii) जली हुई मिट्टी	586.00	5.38	169.00	1.48
ix) अन्य	16,404.25	112.24	20,359.14	70.23
योग	-	5,057.89	-	4,748.70
10 निम्नलिखित के संबंध में सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातित माल का मूल्य:				
i) कच्चा माल	-	-	-	-
ii) संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	-	-	-	-
iii) पूंजीगत माल	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
11 सीधे आयातित एवं स्वदेशी उपलब्ध कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे जिसका उपभोग किया गया एवं प्रत्येक के कुल खपत का प्रतिशत:				
सीधे आयातित	0.72%	49.03	0.53%	35.02
स्वदेशी उपलब्धता	99.28%	6,797.34	99.47%	6,598.32
	100.00%	6,846.37	100.00%	6,633.34

34 वित्तीय विवरणिकाओं का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियां

34.1 निगम द्वारा 1,04,581.50 लाख रुपये (गत वर्ष 1,04,454.74 लाख रुपये) के दावे विभिन्न न्यायालयों आदि में मध्यस्थता के अंतर्गत/लंबित हैं और इसके परिणाम केवल निर्णय/डिक्री आदि पर ज्ञात हो पाएंगे। इसलिए लेखाओं में इसका प्रभाव नहीं दिया गया है।

34.2 आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए क्रमशः 88,500.88 लाख रुपये और 8,798.64 लाख रुपये की आय का निर्धारण किया और आगे ले जाने के साथ इसे हानियों में समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी का आंकलित घाटा घटकर 97,299.52 लाख रुपये हो गया। कंपनी ने अपील दायर की थी और अपीलीय प्राधिकारी ने मामले को कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया था। नतीजतन, अप्रचालनरत इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यहास की अनुमतियों के सापेक्ष परिवर्धन के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने कुल आय 8,852.22 लाख रुपये की पुनःगणना की। इसलिए, कंपनी की आंकलित हानि अब 53.58 लाख रुपये कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप आगे ले जाया गया संचयी घाटा 97,353.09 लाख रुपये हो गया है। कंपनी ने 53.58 लाख रुपये की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की है और यह अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है।

34.3 वर्ष 2010 में मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर (संविदाकार) को 18208 लाख रुपए में सिलचर इकाई सहित बोकाजन के विस्तार की संविदा प्रदान की गई थी। मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्यादेश के अनुसार मध्यस्थता खंड को रद्द कर दिया। सीसीआई ने संविदाकारों के 12,648 लाख रुपए के विरुद्ध सिलचर सहित बोकाजन विस्तार कार्य के लिए 92,900 लाख रुपए की हानि/क्षति के लिए प्रतिवाद भी दर्ज किया। पक्षकार को जारी कार्यादेश रद्द कर दिया गया है। संविदा की शर्तों के अनुसार, मध्यस्थ नियुक्त कर दिया गया है और मध्यस्थता की कार्यवाही आरंभ हो गई

34.04 1.06 एकड़ (मंधार), 0.146 हेक्टेयर (नयागांव), 495.75 एकड़ (अकलतारा), 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) और 155.83 एकड़ (नयागांव) और 58.81 एकड़ (आदिलाबाद) के पट्टा विलेख के लिए मालिकाना हक निष्पादित होना अभी शेष है।

डीएचआई ने अप्रचालनरत इकाइयों के विनिवेश का निदेश दिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राइंडिंग इकाई और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए सीसीआई को 20.94 एकड़ लीज होल्ड भूमि आवंटित की है।

डीडीए ने अपने पत्र दिनांक 11-04-2017 के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सीसीआई की 14.20 एकड़ की लीज होल्ड भूमि दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए हस्तांतरित की। 14.20 एकड़ भूमि की लागत अब 'बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य' को अंतरित कर दी गई है क्योंकि यह एसडीएमसी/डीडीए से वसूली योग्य है। डीएचआई ने वर्ष 2018 में पत्र द्वारा सीसीआई को धनराशि के मामले में मुआवजे के लिए एसडीएमसी के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया। नीति आयोग में दिनांक 16.05.2019 की बैठक में भी इस मामले पर चर्चा हुई। रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए सीसीआई को आवंटित शेष 6.74 एकड़ भूमि रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे को दे दी गई थी। रेलवे साइडिंग का लंबित निर्माण कार्य, साइडिंग सहित भूमि अभी तक सीसीआई को नहीं सौंपी गई है।

34.05 सभी सरकारी कंपनियों को खनन पट्टा, खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 दिनांक 03-12-2015 के अनुसार प्रदान किया गया माना जाता है। तदनुसार, सीसीआई के खनन पट्टों को स्वीकृत माना जाता है और अभी भी वेध है।

34.06 सीसीआई, आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि का अधिग्रहण और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक 32 गुंटा तक सड़क के रूप में प्रयुक्त भूमि, जिसके लिए राजस्व विभाग से अन्यसंक्रमाण आदेश की प्रतीक्षा है, इस प्रतिफल के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, लेखाओं में नहीं किया गया है।

34.07 स्वर्गीय श्री आर.के. डालमिया द्वारा धारित विभिन्न कंपनियों के शेयर (37.79 लाख रुपसे के अंकित मूल्य) और उनके द्वारा लिए गए 214.00 लाख रुपये के ऋण के सापेक्ष तत्कालीन डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के पास प्रतिभूति के रूप में रखे गए थे, उन्हें पिछले वर्षों में अपने अधिकार में ले लिया गया है। हालांकि इन शेयरों का मूल्य 2.80 लाख रुपये (वसूली योग्य मूल्य पर) था, लेकिन उन्हें संदिग्ध माना गया और तदनुसार गत वर्षों में प्रदान किया गया था।

34.08 5.70 लाख रुपये की विद्युत स्थापना को छोड़कर, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में कार्यालय भवन की 266.58 लाख रुपये की लागत को इसका स्वामी मानते हुए मूल्यहास के माध्यम से अनंतिम रूप से परिशोधित किया जा रहा है। हालांकि, निगम के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन अभी लंबित है।

34.09 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को पत्र संख्या एसईसी/84/96/513 दिनांक 25-04-96 के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अधीन एक संदर्भ दिया गया था। माननीय बीआईएफआर पत्र संख्या 501/96-बेंच पट एसओएल दिनांक 8-8-96 द्वारा कंपनी को रुग्ण कंपनी घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने दिनांक 21-03-2006 को हुई अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03-05-2006 को परिचालित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 अप्रचालन संयंत्रों को बंद करने/बिक्री की परिकल्पना की गई थी। माननीय बीआईएफआर की कार्रवाई खत्म होने के उपरांत, डीआईपीएम दिशानिर्देशों के अनुसार अप्रचालन इकाई की बिक्री डीएचआई के माध्यम से की जाती है। निर्देश के अनुसार अप्रचालन इकाइयों की बिक्री दो चरणों में की जानी है, जिसके लिए परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता, लेनदेन सलाहकार और विधिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। पांच इकाइयों के लिए पीआईएम (प्रारंभिक सूचना ज्ञापन) तैयार कर लिया गया है। नयागांव यूनिट के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित हो चुकी है। इसलिए, नयागांव विस्तार (1 मिलियन टन संयंत्र) की संपत्ति और देनदारियां, सीधे प्रचालन से संबंधित चिह्नित सीमा तक, दिनांक 01-04-2019 से नयागांव सीमेंट फैक्ट्री को स्थानांतरित कर दी गई हैं। इसी तरह, नयागांव सीमेंट फैक्ट्री की देनदारियां, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नयागांव विस्तार (1 मिलियन टन प्लांट) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

34.10 (i) जब इस तरह के भुगतान किए जाते हैं और ऐसी रियायतों/राहतें यथास्थिति बिना किसी आकस्मिकता के निश्चित हो जाती हैं या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तब लेनदारों, राज्य सरकारों, अन्य सरकार के संबंध में राहत और रियायतों पर युक्तियुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

(ii) भारत सरकार से 1975 से योजना ऋण (ब्याज मुक्त) 15,090,07 लाख रुपये (गत वर्ष 15,090,07 लाख रुपये) की राशि स्वीकृत योजना माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03-05-2006 को दी गई मंजूरी के अनुसार सात अप्रचालन इकाइयों की बिक्री से प्राप्त आय से चुकाई जाएगी। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए गैर योजनागत ऋण पर 12,385.27 लाख रुपये की उपचित ब्याज की राशि को दिनांक 01.04.2011 से रोक (सीज) दिया गया है। कंपनी इस मौजूदा के पुनर्भुगतान में चूक कर रही है। ब्याज का भुगतान अप्रचालन इकाइयों की बिक्री से प्राप्त आय से किया जाएगा।

34.11 निम्नलिखित इकाइयों में प्रत्येक इकाई के सामने उल्लिखित तिथियों से उत्पादन बंद कर दिया गया है:

क्र. स.	इकाई का नाम	राज्य	बंद होने की तिथि
i)	मंधार	छत्तीसगढ़	06 जून, 1996
ii)	चरखीदादरी	हरियाणा	14 अगस्त, 1996
iii)	अकलतारा	छत्तीसगढ़	09 दिसंबर, 1996
iv)	नया गांव, नया गांव विस्तार	मध्य प्रदेश	30 जून, 1997
v)	कुरकुन्टा	कर्नाटक	01 नवंबर, 1998
vi)	अदिलाबाद	तेलंगाना	05 नवंबर, 1998
vii) क.	दिल्ली ग्राइडिंग यूनिट	दिल्ली	08 फरवरी, 1999
vii) ख.	भटिंडा ग्राइडिंग यूनिट	पंजाब	चालू नहीं किया गया

आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार मसौदा पुनरुद्धार योजना (डीआरएस) को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 21-03-2006 को हुई सुनवाई में अनुमोदित किया गया था और स्वीकृत योजना दिनांक 03-05-2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के निपटान और बंद करने/उपरोक्त 7 अप्रचालन इकाइयों की बिक्री की परिकल्पना की गई थी। उक्त योजना में उल्लिखित उपरोक्त 7 इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। इसी तरह, बोकाजन, राजबन और तंदूर इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से कहीं अधिक होने की उम्मीद है।

इसलिए, किसी भी संभावित हानि का कोई संकेत नहीं है। इसलिए, लेखाओं में हानि के लिए प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

- 34.12** येरागुंतला इकाई के संबंध में एमओयू/बिक्री करार की शर्तों के अनुसार एसबीआई कैप्स, मर्चेंट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के साथ लंबित सुलह और पुष्टि बिक्री की तारीख को अर्जित होने वाली आवश्यक देनदारियों को लेखाओं में पहले ही विचार किया जा चुका है।
- 34.13** पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वयन के दौरान दिनांक 22-03-2007 को 35,543 लाख रुपये के गैर-संचयी अधिमानी शेयर सात वर्षों के लिए निर्गमित किए गए थे, कैबिनेट/बीआईएफआर निर्देश के अनुसार मंत्रालय से अधिमानी शेयर के पुनः निर्गमन के लिए आगे विस्तार मांगा गया है।
- 34.14** आस्थगित कर परिसंपत्ति/देनदारियों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य अवधि के भीतर आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता नहीं दी जाती है।
- 34.15** देनदारियों को चालू और गैर-चालू में वर्गीकृत करने के लिए, इसकी प्रकृति के अलावा स्वीकृत योजना में निहित शर्तों को ध्यान में रखा गया है।

34.14 निगम के व्यवसाय की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक-17 के अधीन रिपोर्टिंग खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

34.17 सभी राज्य सरकारों को जारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 01-04-2015 के पत्र के अनुसार डीएफओ, पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए 1455.94 लाख रुपये और वर्ष 2017-18 से एनपीवी पर ब्याज के रूप में 849.31 लाख रुपये की मांग की है।

इसके उपरांत, उपरोक्त भुगतान कर दिया गया है। भुगतान के लिए लेखाकरण प्रविष्टि लेखाकरण नीति के अनुसार की गई है।

34.18 दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीई द्वारा दिनांक 29-05-2017 को आईडीए कर्मचारियों के लिए तृतीय वेतन संशोधन जारी किया गया है। परिपारटी के अनुसार, 'निदेशक मंडल' की संस्तुति को अनुमोदनार्थ डीएचआई को भेज दिया गया है। आज की तारीख में, डीएचआई से आवश्यक अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है। कर्मचारी हितलाभ व्यय में इस लेखा पर प्रावधान सम्मिलित है।

34.19 लेखाकरण मानक-29 के अनुसार प्रावधान का विवरण, टिप्पणी 6 और 10 देखें। (₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान समायोजन/प्रदत्त		वर्ष के दौरान परिवर्धन		अंतिम शेष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
उपदान	3261.99	3382.06	400.38	199.24	0.58	79.17	2862.19	3261.98
बोनस	8.80	11.04	0.70	3.08	0.73	0.84	8.83	8.80
चल रहे पूंजीगत कार्य	10.57	10.57	2.76	-	2.76	-	10.57	10.57
ई.एल. देनदारी	1768.79	1700.28	60.09	10.38	67.23	78.89	1775.93	1768.79
अन्य	1747.20	1871.41	386.50	393.91	917.20	445.17	2277.90	1922.67

34.20 सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम एम. एस. एम. ई. उद्यमों को देय/प्रदत्त ब्याज का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	लेखाकरण वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल राशि	730.58	323.36
2	लेखाकरण वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त राशि पर ब्याज	367.39	351.59
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
4	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए किंतु अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना, बकाया और देय ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया है)	-	-
5	वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और लेखाकरण वर्ष के अंत में बकाया राशि।	15.80	13.42
6	बाद के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से छोटे उद्यमों को उपरोक्त बकाया ब्याज का वास्तव में भुगतान किया जाता है।	365.00	351.59

34.21 लेखाकरण मानक 15 के अनुसार कर्मचारी के हितलाभ

निगम ने कर्मचारी हितलाभ नीचे दिए गए विवरण में लेखाकरण मानक 15 अपनाया है –

i) भविष्य निधि

निगम एक अलग ट्रस्ट को पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि (पीएफ) के निश्चित अंशदान का भुगतान करता है जो धन को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ट्रस्ट को ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। भविष्य निधि ट्रस्ट की हानि, यदि कोई हो, निगम वहन करता है

ii) उपदान

निगम की एक परिभाषित उपदान योजना है। उपदान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी उपदान पाने का हकदार है। उपदान के लिए देनदारी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iii) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण उन पात्र कर्मचारियों को देय होता है, जिन्होंने अर्जित छुट्टी (ईएल), अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) आदि संचित की है। छुट्टी नकदीकरण के प्रति देनदारी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ

निगम में अधिवर्षिता के समय कर्मचारियों और आश्रितों के लिए गृह नगर में बंदोबस्त कीयोजना है। इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ-हानि विवरणिका में मान्यता दी जाती है।

लाभ-हानि विवरणिका और तुलन पत्र में माने गए विभिन्न परिभाषित हितलाभों का सारांश इस प्रकार है:

क. लाभ-हानि विवरणिका में माना गया व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
क)	वर्तमान सेवा लागत	123.09	150.01	125.17	128.29	0.79	0.79
ख)	ब्याज लागत	210.64	248.09	117.35	127.93	1.06	1.29
ग)	अवधि में मानी गई निवल बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	(245.94)	113.15	46.65	157.73	1.58	0.11
घ)	लाभ-हानि विवरणिका में माना गया व्यय	87.79	511.25	289.17	413.95	3.44	2.19

ख. तुलन पत्र में मानी गई राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
क)	अवधि के अंत की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	2748.83	3148.62	1761.17	1754.03	15.80	15.88
ख)	वित्तपोषण की स्थिति/अंतर	(2,748.83)	(3,148.62)	(1,761.17)	(1,754.03)	(15.80)	(15.88)
ग)	तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्ति/(देनदारी)	(2,748.83)	(3,148.62)	(1,761.17)	(1,754.03)	(15.80)	(15.88)

ग. दायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
क)	वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3148.62	3268.70	1754.03	1685.53	15.88	17.04
ग)	वर्तमान सेवा लागत	123.09	150.01	125.17	128.29	0.79	0.79
ख)	ब्याज लागत	210.64	248.09	117.35	127.93	1.06	1.29
घ)	प्रदत्त हितलाभ	(487.58)	(631.33)	(282.02)	(345.45)	(3.52)	(3.35)
ङ)	दायित्व पर बीमांकित (लाभ)/हानि	(245.94)	113.15	46.65	157.73	1.58	0.11
च)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2748.83	3148.62	1761.17	1754.03	15.80	15.88

घ. चालू अवधि के लिए राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
क)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2748.83	3148.62	1761.17	1754.03	15.80	15.88
ख)	अधिशेष/(घाटा)	(2,748.83)	(3,148.62)	(1,761.17)	(1,754.03)	(15.80)	(15.88)

ङ. बीमांकिक अनुमान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	
i)	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	
ii)	आयु	वापसी दर	%आयु
		30 वर्ष तक	0%
		31 वर्ष से 44 वर्ष तक	1%
		44 वर्ष से ऊपर	1%
iii)	मितीकाटा दर	6.70%	
iv)	भावी वेतन वृद्धि	6.00%	
v)	योजनागत परिसंपत्तियों का अपेक्षित प्रतिलाभ	शून्य	

34.22 अग्रिम, कारोबारी देय और कारोबारी लेनदारों आदि के अंतर्गत दिखाया गया शेष संपुष्टि/समाशोधन के अध्ययीन हैं। इनमें समायोजन के लिए कुछ पुराने शेष की लंबित जांच भी सम्मिलित हैं। इसके पूरा होने पर आवश्यक गणना की जाएगी।

34.23 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अधीन विभिन्न गतिविधियों के लिए किया गया व्यय नीचे दिया गया है। व्यय की गई कुल राशि टिप्पणी संख्या 28 में दर्शाई गई है।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
i)	गत तीन वर्षों में निगम का औसत निवल लाभ	(886.70)	2222.33
ii)	निर्धारित सीएसआर व्यय (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन उपरोक्त का 2 प्रतिशत)	NA	44.45
iii)	वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि जैसा कि नीचे दी गई है	-	44.45
iv)	खर्च न की गई राशि (ii - iii)	-	-

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	पहले की प्रदत्त		अभी अदायगी की जानी है		कुल	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) कोई परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	-	-	-	-	-	-
ख) उपरोक्त से अन्य प्रयोजनों पर पीएम केयर्स और राज्य सरकार के कोष	-	44.45	-	-	-	44.45
योग	-	44.45	-	-	-	44.45

34.24 कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के लेखाकरण मानक-18 'संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण' के अनुसार, प्रबंधन द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कोई संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया गया है। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	पद	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
1.	श्री बी वी एन प्रसाद*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	37.43	35.06
2.	श्री एस.शक्तिमणि	निदेशक (वित्त)/सीएफओ दिनांक 06-03-2021 तक	32.86	32.24
3	श्री पी.एम. चंद्रैया*	निदेशक (वित्त) दिनांक 30-03-2021 तक	-	-
3.	अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	16.91	16.25

* श्री पी.एम. चंद्रैया ने दिनांक 30 मार्च, 2021 से सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को भी प्रति माह रु.2000/- के भुगतान पर 1000 किलोमीटर तक की गैर-ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी के वाहन का उपयोग करने की अनुमति है।

34.25 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक-20 के अनुसार कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के लिए करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	1,315.56	(5,094.09)
ख)	घटाएं: असाधारण/अपवादात्मक मदें (लाख रुपये)	-	(1,320.77)
ग)	घटाएं: गैर-संचयी अधिमानी शेयरों पर लाभांश (लाख रुपये)	3.55	3.55
घ)	इक्विटी शेयर धारकों के संबंध में करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	1,312.01	(3,776.87)
ङ)	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	4,559,749	4,559,749
च)	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रुपये)	1,000.00	1,000.00
छ)	प्रति शेयर मूल आय (रुपये)	28.77	(82.83)
ज)	प्रति शेयर तनुकृत आय (रुपये)	28.77	(82.83)

34.26 जहां भी आवश्यक हुआ गत वर्षों के आंकड़ों को विभाजित और पुनर्समूहित किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप रखा जा सके।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए मनोज गुप्ता)

पार्टनर

सदस्यता सं. 089370

तिथि: 09/12/2021

तिथि: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(राज पाल सिंह)

निदेशक (वित्त)

डिन नं. 08750557

ह/-

(मनोज कुमार पात्रा)

सहायक महाप्रबंधक (वित्त)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कारपोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली- 110 002



OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI- 110 002

संख्या: ए.एम.जी-III/2(36)/वार्षिक
लेखे/ सीसीआई(2020-21)/2021-22/459

दिनांक: 04 FEB 2022

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली -- 110 003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष
के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र
अग्रेषित है।

Further, Director Identification Numbers (DIN) were not mentioned against the
Directors who signed the financial statements which led to non-compliance of Section 158 of
Companies Act 2013. This deficiency needs to be corrected at the time of printing of Annual
Report as assured by the Management while furnishing replies to Provisional Comments.

भवदीया,

(रिना अकोइजम)

महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अधीन, अधिनियम की 143(10) धारा के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणिकाओं के मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा तैयार दिनांक 17 जनवरी, 2022 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है, जो उनकी पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 9 दिसंबर, 2021 का स्थान लेती है।

मैंने भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे तीन लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों को प्रभावी बनाने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर पेश करने या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक

(रिना अकोइजम)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 04.02.2022

हमारे कर्मचारी—हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति

कर्मचारी किसी भी कंपनी की दिल की धड़कन होते हैं।

सीसीआई में पूरे भारत में 450 से अधिक कर्मचारियों की समर्पित टीम है, जो कंपनी की बेहतर उत्पादकता के लिए चौबीसों घंटे परिश्रम करते हैं। सीसीआई ने टीम के वैज्ञानिक नियोजन, अधिग्रहण, उपयोग, प्रशिक्षण और प्रेरणा में प्रगतिशील नीतियां अपनाई हैं। सीसीआई में, प्रत्येक कर्मचारी का अपना महत्व है प्रत्येक कर्मचारी कंपनी की सफलता में कुछ न कुछ योगदान करता है।

हमारे कर्मचारी हमारे संगठन की रीढ़ हैं। सीसीआई का मानना है कि लोगों में निवेश करने से संगठन के कार्य निष्पादन में सुधार होता है और विकासशील कर्मचारी स्वयं को बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी प्रेरकों में से एक है।

सीसीआई का मानना है कि कर्मचारियों की संतुष्टि और कंपनी के वित्तीय निष्पादन के बीच सदैव एक आर्थिक संबंध होता है। प्रसन्नताभरी कार्यस्थल संस्कृति बेहतर स्टॉक रिटर्न में परिवर्तित हो जाती है।

$$\text{प्रसन्नचित कर्मचारी} = \text{प्रसन्नचित ग्राहक} = \text{प्रसन्नचित हितधारक}$$

सीसीआई में मानव संसाधन नीतियां अत्यधिक अभिप्रेरित, जीवंत और स्व-चालित टीम बनाने के मूल सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती हैं। कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी की ख्याल रखती है और समय-समय पर उन्हें मान्यता देने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए अंतर्निहित प्रणाली विद्यमान है। चूंकि, सीसीआई समानता में विश्वास करता है अतः महिला कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक समानता पर कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

‘मानव संसाधन’ की किसी उद्यम में व्यापक महत्व एवं प्रतिष्ठा होती है जो कुल धारित संसाधनों का प्राथमिक खंड का निर्माण करते हैं। ‘मानव संसाधन’ का एक विचित्र पहलू यह है कि यद्यपि इनमें अनंत क्षमताएं होती हैं, तथापि इस संसाधन से जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह आम तौर पर हिमशैल के शिखर के समान होता है, जिसका यथोचित उपयोग नहीं हो पाता है। इस प्रकार, ‘वास्तविक’ और ‘संभावित’ ‘मानव संसाधन’ के बीच की अंतर को बढ़ाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों को ‘मातृ संसाधन’ के रूप में भी ब्रांडेड किया जा सकता है, जिसके माध्यम से अन्य डराने वाले संसाधन जैसे मशीन, सामग्री, धन को व्यवस्थित, समन्वित, निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। किसी उद्यम की सफलता के लिए इस ‘मातृ संसाधन’ की संभावनाओं की अधिक से अधिक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो जाता है। आंतरिक प्रबंधन और नेतृत्व शैली सहभागी, सहयोगी और जलवायु अनुकूल, प्रेरक वातावरण, देखभाल संबंधी चिंता और एक-दूसरे के लिए साथी की भावना, संगठनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य के उत्पादकतान्मुखी मानकों के लिए दिए गए ढांचे के भीतर काम करने की स्वतंत्रता और लचीलापन और मानव अप्रचलन के खतरे को दूर रखने के लिए प्रशिक्षण और विकास के प्रयासों के लिए निरंतर प्रबंधन की सकारात्मक जागरूकता मानव संपत्ति के इस संसाधन के दोहन के लिए कुछ आवश्यक आदान होते हैं। इसके अतिरिक्त, जब तक मानव संसाधन का प्रभावी ढंग से और सार्थक रूप से निरंतर उपयोग न किया जाए तो समय के साथ उसका क्षरण हो जाता है।

मौजूदा मानव क्षमता में मानव शक्ति वितरित व्यवसाय के प्रोफाइल के माध्यम से बेहतर अंतर्दृष्टि पाई जा सकती है और सीसीआई की कुल कर्मचारियों की संख्या में से लगभग 65 प्रतिशत तकनीकी और पेशेवर रूप से योग्य, डिग्री/डिप्लोमा धारक कर्मचारी हैं। इस प्रकार संगठन की कुल संख्या का 52.8 प्रतिशत कर्मचारी 26–50 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। सीसीआई की मानव शक्ति का विस्तृत वितरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	पेशेवर प्रोफाइल	
		कर्मचारियों की संख्या	
		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
1	पीएचडी धारक	1	1
2	स्नातकोत्तर अभियंता	1	1
3	स्नातक अभियंता	79	81
4	एमबीए	26	29
5	पेशेवर डिप्लोमा धारक	15	16
6	स्नातकोत्तर	25	29
7	सीए/आईसीडब्ल्यूए/एसएएस/एसीएस	12	11
8	इंजीनियर डिप्लोमा धारक	49	52
9	स्नातक	65	70
10	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	107	92
11	अन्य	106	122
	योग	486	504

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों का आयु वर्ग और श्रेणी-वार वितरण

पंक्तिबद्ध सूचक	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	कुल योग	औसत उम्र
कार्यपालक अधिकारी		5	26	29	10	14	22	38	144	46
पर्यवेक्षक		13	18	7	2	2	19	60	121	49
कर्मकार	5	27	36	34	20	9	38	52	221	48
कुल योग	5	45	80	70	32	25	79	150	486	48

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड														
समूह	अजा/अनुजा/अपिव का प्रतिनिधित्व				कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियां									
	(दिनांक 01.01.2021 तक)	अजा	अनुजा	अपिव	सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा		
कुल कर्मचारी	अजा	अनुजा	अपिव	कुल	अजा	अनुजा	अपिव	कुल	अजा	अनुजा	कुल	अजा	अनुजा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क-टीओटी	146	16	2	29	5	1	0	2	20	3	2	0	0	0
समूह ख-टीओटी	126	15	8	24	0	0	0	0	44	9	3	0	0	0
समूह ग-टीओटी	205	42	25	59	34	9	3	15	26	6	3	0	0	0
समूह घ-टीओटी	20	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	497	76	38	118	39	10	3	17	90	18	8	0	0	0

यूनिट का नाम		सीसीआई लिमिटेड																
01.01.2021 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की शक्ति																		
01.01.2021 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की समूह-वार शक्ति																		
समूह	कर्मचारी की संख्या	सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष के दौरान)							पदोन्नति									
01.01.2021 तक		आरक्षित रिक्तियों की संख्या			रिक्तियों की संख्या (नियुक्त)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			रिक्तियों की संख्या (नियुक्त)						
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
समूह क	146	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	126	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ग	205	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
समूह घ	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	497	0	0	3	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

नोट: वीएच का अर्थ है दृष्टिहीन विकलांग (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति)

iii) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (चलने में अक्षमता या सरेब्रेल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति)

हमारी इकाईयों (यूनिट) की प्रमुख विशेषताएं:

मंधार (जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह निगम की पहली इकाई है, जिसमें जुलाई, 1970 में उत्पादन आरंभ हुआ, इस इकाई में उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया अपनाई गई और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमेंट का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। इस इकाई में स्लैग की मांग भिलाई स्टील संयंत्र से पूरी की जाती है।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(129)	(91)	(37)

इकाई के अलाभकारी हो जाने के कारण इसमें उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

कुरकुंटा (जिला-गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की निगम की दूसरी इकाई है, जहां वर्ष 1972 से उत्पादन आरंभ हुआ।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(166)	(105)	7

बोकाजन (जिला-कारबी अंगलॉग, असम)

यह इकाई असम के कारबी अंगलॉग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज केवल सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर ही नहीं की गई अपितु आसपास के क्षेत्रों को सीमेंट उपलब्ध कराने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी की गई थी। इस इकाई में दुर्गम क्षेत्र से गुजरने वाले 10 किलोमीटर लम्बे रोपवे से चुना-पत्थर लाया जाता है। इस इकाई में 1 अप्रैल, 1977 से उत्पादन आरंभ हुआ।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	1.04	0.87	0.84
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	5914	4808	4761
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(668)	(1475)	(1092)

राजबन (जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

यह निगम की पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दुसरी इकाई है। सामान्य आवागमन कठिन होने के अलावा इस इकाई में बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती है चूंकि इस इकाई के निकट कोई रले सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों से 9 किलोमीटर लम्बे रोप-वे के माध्यम से चुना पत्थर यहां लाया जाता है। इस इकाई में अप्रैल, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	2.48	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	1.48	0.98	1.44
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	6514	6020	5872
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(2342)	(776)	(965)

नयागांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस इकाई में 1 मार्च, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(186)	(1061)	44

स्थल विभाजन अर्थात् नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लिंकर की ग्राइंडिंग की अवधारण के साथ इस इकाई की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ा कर परियोजना का विस्तार किया गया। नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिंग इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.05.1990 से आरंभ हुआ।

डीजीयू और बीजीयू सहित नयागांव विस्तार

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(92)	(555)	433

अकलतरा (जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से आरंभ हुआ।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(64)	1500	1174

इकाई के अलाभकारी हो जाने के कारण इसमें उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

चरखी दादरी (जिला-भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत एक रुग्ण इकाई थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियंत्रणाधीन किया गया। अल्पावधि के भीतर पुनरुद्धार के उपरांत इकाई में सीमेंट की ग्राइंडिंग का कार्य सितम्बर, 1981 में आरंभ हुआ गया और तत्पश्चात क्लिंकर का उत्पादन आरंभ हुआ। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(153)	(20)	37

इकाई के अलाभकारी हो जाने के कारण इसमें उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

आदिलाबाद (जिला-आदिलाबाद, तेलंगाना)

इस इकाई में अप्रैल, 1984 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			-
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(240)	(196)	288

तांदूर (जिला-के.वी. रंगारेड्डी, तेलंगाना)

इस इकाई में 1 जुलाई, 1987 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

	2020-21	2019-20	2018-19
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	10.00	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	6.41	4.00	4.07
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	26827	14376	16604
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	5355	-2316	746

NOTES


NOTES

Vision

To emerge as sustainable cement company committed to contribute to the economy and to enhance value for the stakeholders.

Mission

To improve the net worth of the company, inspiring employees in delivering an improved product and to aim for diversification in related fields.



Limestone Mines of Tandur Unit



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

Cement Corporation of India Limited

(A Govt. of India Enterprise)